Haryana Vidhan Sabha

Debates

12the February, 1971

(Evening Sitting)

Vol. I—No. 6

OFFICE REPORT

CONTENTS

Friday, the 12th February, 1971 (Evening Sitting)

	Page
Starred questions and Answers	(6)1
Second Report of the Business Advisory committee	(6)24
Presentation of Reports	(6)26
Bills(s)—	
The Haryana Appropriation—1971	(6)27
The Public works (Extension of Limitation) Haryana Amendment—1971	(6)55
The Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment)—1971	(6)57
The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment)—1971	(6)70
The Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment)—1971	(6)73
The Haryana Prevention of Beggary—1971	(6) 75-89

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, the 12the February, 1971 (Evening Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhawan, Sector-1, Chandigarh at 2-00 P.M. of the Clock.

Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair

STARRED QUESTION AND ANSWERS

Mr. Speaker: Hon. Members, the question Hour. Sh. Daya Krishan

(The hon. Member was not present in the House.)

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of Starred Q. No. 1156. Next Question. Dr. Malik Chand Gambhir.

Removal of cut imp[osed on D.A. to Teachers

***116 Dr. Malil Chand Gambhir:** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the cut imposed it the dearness allowance being paid along with the pay to the teachers in Haryana; if so, the time by which the said cut is likely to be removed?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Some teachers have filed writ in the High Court demanding restoration of cut. Government is awaiting decision of the High Court.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः क्या यह बगैर रिट के फैसला नही हो सकता था? क्या सरकार इस कट को नाजायज नही समझती, अगर समझती है तो इस कट को 'रेस्टोर' कर दिया जाये।

श्री माडू सिंह मलिकः नही जी।

श्रीमती चन्द्रावतीः वजीर साहिब ने जो आरिजीनल सवाल का उत्तर दिया है क्या वह उसको दोहरायेंगे?

Sh. Maru Singh Malik: Some teacher have filed writ in the Hight Court demanding restorationof cut. Government is awaitig decision of the High Court.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि रिट से पहले सरकार ने इस बारें में कोई फैसला किया है या नही किया और अगर फैसला ही किया तो उसका क्या कारण है?

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहिब, मै जानना चाहती हूंकि क्या रिट के फसेले से पहले इस बारमें में फैसला करने में कोई कानूनी अड़चन आती है?

श्री माडू सिंह मलिकः जी हां।

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब, जैसे मैने पहले भी कहा है कि क्या रिट दायर हाने से पहले सरकार के पास वह मांग नही थी?

श्री माडू सिंह मलिकः रिट दयर होने से पहले मांग थी। लेकिन फैसला होने से पहले रिट दायर कर दी गई थी।

श्री सत्य नारायण सिगोलः स्पीकर साहब, क्या रिट होने के बाद फैसला नही हो सकता है? अब भी अगर यह सरकार फैसला कर देती है तो रिट आटोमैटिकली खारिज हो जाएगी without any burden on th Stae regarding cost etc. यह जो इन्होने कहा कि रिट का फैसला होने के बगैर सरकार कुछ नही करेगी यह बात ठीक मालूम नही होती है। मै एक बात पूछना चाहता हूं, फर्ज करो, रिट खारिज हो जाती है तो क्या गवर्नमैंट इस मामले को फिर कन्सीडर करेगी?

श्री माडू सिंह मलिकः यह मौके मुताबिक देख लिया जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मै मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि रिप्रेजैटेशन करने और रिट दायर करने के बीच का कितना अरसा था?

श्री माडू सिंह मलिकः इसके लिए अलग नोटिस चाहिए।

Mr. Speaker: I think, it is a reasonable question. You have aid yourself that it was under consideration. Then in the meantime, they filed a writ and, therefore, you do not consider anything is to be one now. I thingk, if your know that, you may give this information of the House.

Sh. Maru Singh Malik: I do not remember it. जनाब, तारीख मुझे पता नही किस तारीख को रिट दायर की गई थी।

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): That makes no difference as to what time was there. That is an irrelevant supplementary.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह तथ्यों की जानकारी का फर्क है। तभी सवाल किया है। फर्ज करों सरकार के खिलाफ फैसला आ जाता है। तो क्या इतना अरसा सरकार सोई रही है? क्या यह हमारे प्रदेश के हितों के खिलाफ नही है कि यदि उनकी गलत जानकारी के कारणहाई कोर्ट सरकार के विरूद्ध फैसला कर दें? मै यह भी पूछना चाहता हूं कि कितनी देर रिप्रैजैटेशन सरकार के जेरे गौर रिट के दायर होने से पहले रही?

श्री बंसी लालः स्पीकर साहिब, मैम्बर महोदय को सोने का भय है, सरकार सोई नही है। The Government is fully aware of its responsibilities.

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री जी से मै इतनी बात का निवेदन करना चाहता हूं कि अगर काई सदस्या प्रश्न करता है तो इसमें कोई सोने और जागने की बात नही हैं मै इस हाउस का सदस्य हूं, यह तो एक सदस्य का अधिकार है। मैने अपने अधिकार को बरतते हुए पूछा है।

श्री बंसी लालः मै भी इस हाउस का सदस्य हूं। वह अकेले सदस्य नही है।

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब, आपने मुझे बुलाया, मै बोला। एक या दस या पंद्रह सवाल नही है। यह तो बार बार ऐसी बात करते है। क्या यह मुख्य मंत्री के कहने के नायल बात है? यही जवाब है इन के पास?

Mr. Speaker: What they have said is that they were well aware of the matter and they were not sleeping at all.

श्री सत्य नारायाण सिंगोलः जनाब बात यह है कि इन्होने कहा कि रिट के फैसले के बाद गौर करेंगे। फर्ज करों होई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से रिट का फैसला स्टेट के खिलाफ हो जाता है और विद कास्ट हो जाता है तो उससे स्टेट पर बर्डन भी पड़ेगा। पहले उन्होने सरकार को रिप्रेजैटेशन दी फिर पर्सनली मीट करने के बाद रिट दायर की। बहुत अरसे तक इन्होने इसबात को सोचा तक नही, अपनी जिद पर अड़े रहे। यदि हाई कोर्ट का सरकार के खिलाफ फैसला हो जाता है तो इन की गलती से पब्लिक क्यों सफर करे। तो हम जानना चाहते है कि इस चीज के लिए इनको कितन टाईम मिला था?

Sh. Bansi Lal: You cannot go by conjectures, what will be the decision and what not.

डा मलिक चन्द गम्भीरः मुख्य मंत्री ने जवाब में बताया कि उन्होने रिट कर रखी है। तो मै पूछना चाहता हूं कि सरकार ने क्या रिट का जवाब दिया है।

श्री बंसी लालः Not necessary to say दिया या नही दिया। हाई कोर्ट का फैसला आने पर पता लगेगा।

डा० मलिक चन्द गम्भीरः रिट का जवाब तो इन्होने दिया है.....

Sh. Bansi Lal: It is a subjoined matter.

Mr. Speaker: I don't think it is going to benefit you much. Anayway, a write is pending in the High Court. These are legal proceedings and they have given a reply to that one.

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहिब, जो चौधरी रणबीर सिंह जी ने पूछा था औरउसे मै भी दोहरा दूं कि रिट और कट के बीच का कितना टाईम था? यह सूचना अगर अब नही दे सकते तो सोमवार का दिलवा दे।यह तो बड़ा मेटिरियल सवाल है..... .....They cannot avoid it like this.

Sh. Bansi Lal: It is a quite immaterial. It is not material at all what time was thee and what not. When the Government wants to the take a decision, it can take a decision. A writ is pending in the High Court and the Government will not take a decision till the writ is pending.

श्रीमती चन्द्रावतीः मेरी एक सबमिशन है, जनाब, जब वे रिट में गये है तो सरकार के फैसले का इन्तजार करके गये होगे। इसलिए हम यह चाहते है कि कितना टाईम लाग? मै आपसे संरक्षण चाहूंगी.....(विघ्न)

श्री बसी लालः स्पीकर साहिब, पहले आप इनको संरक्षण ही दे दो।

श्रीमती चन्द्रावतीः जब मै बोल रही हूं तो ये बीच में बोलते है Why is he interfering like this? मुख्य मंत्री है तो इनको इतना अधिकार नही है कि वे मैम्बर को बोलने ने दे.....हम तो रिट और कट के बीच का टाईम जानना चाहते है।

Mr. Speaker: Why not ask a question as to when was the representation received by them? They might tell you about it.

Sh. Bani Lal: That has already been answered by the Hon. Minister that he does not remember it and it is not in the file. More over, it is quite immaterial.

Mr. Speaker: They wanted to know it.

Sh. Bansi Lal: They may want to know it. But it is quite immaterial.

श्रीमती चन्द्रावतीः जनाब, इनको जवाब तो देना चाहिये।

Mr. Speaker: I have said that cannot force an answer. That is a ruling given earlier on. It is a ruling based on the precdents that I cannot forces an answer. It is up to the good sense of the Hon. Minister himself whether to reply to the question or not.

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर सहिाब, वे तो उठना चाहते है जवाब देने के लिए लेकिन मुख्य मंत्री जी ने रोक दिया है।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो रिट की कन्टैन्शन है और रिप्रेजैटेशन में जो बात कही गई है उसमें क्या कुछ फर्क है? यदि है तो कितना फर्क है? और ऐसे कौन कौन से प्वायंट है जिनमें फर्क है?

(कोई जवाब नही)

Mr. Speaker: In any case, the matter is subjudice now and, I thin, let us leave it at that.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा निवेदन करने का मतलब था कि जो मामला सब जुडिस है उस में सिर्फ रिट की कन्टेशन ही हो सकती है। रिट की कन्टेशन से बाहर तो उसमे कोई चीज सब जुडिस हो नही सकती?

श्री बंसी लालः आनरेबल मैम्बर हाई कोर्ट से, पैसे देकर उस रिट की एक कापी ले आये।

Mr. Speaker: He has said that you may obtain a copy of their writ and their reply from the High Court.

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै तो सरकार से जवाब चाहता हू बाहर अन्दर का सवाल नही है, वहां से तो मिल सकती है।

श्री बंसी लालः सरकार ने जवाब दे दिया है कि मामला सब जुडिस है।

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब, मैने एक सवाल किया वह यह कि जो रिट की कन्टेन्षन है और जो डिमान्ड उन्होने गवर्नमैंअ को भेजी है क्यो वे एक ही चीज है या उसमें कोई फर्क है?

(कोई जवाब नही)

Mr. Speaker: They have said that the matter is subjudice and they do not want to answer any question.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्पीकर सहिब, इनका रिप्लाई ठीक नही, यह बात बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर अगर हम कमैन्ट करेंतो कन्टेन्शन आफ दी रिट स जुडिस नही होती। हम जानना चाहते है कि रिट क्या है और गवर्ननैंट ने उसका जवाब क्या दिया है? This is not a subjudice matter It can be replied and subould be replied.

श्री बंसी लालः उसकी कापी हाई कोर्ट से मिलती है वहां से लो ले।

चौधरी जय सिंह राटीः स्पीकर साहिब, जैसा कि ये कहते है किरट है तो क्या मै जान सकता हूं कि क्या पहले ही अपने दिमाग में इन्होने फैसला कर लिया है कि यह रिप्रेजैन्टेशन एक्सैप्ट नही करती है?

Mr. Speaker: They taken a stand that the matter is sub juice.

चौधरी जय सिंह राठीः स्पीकर साहिब, सब जुडिस वह मैटर होता है जिसमें कसे कोई चीज बताने से इन्साफ यानी जस्टिस होने में कोई असर पड़ जाये। जैसे फर्ज कीजिए के मुलजिम चोरी का है। रिट में तो ब्यान दिया जाये कि उसने चोरी नही की और असल में ऐसा हो कि उसने चोरी की हो। तो ऐसी बात बाहर बताने से उसका इन्साफ पर असर पड़ता है। लेकिन रिट को देखते हुए ऐसी कोई बात नजर नही आती जिससे उसके फैसले पर असर पड़े। आपने किसी हद तक उनका जवाब मान है। और that is a written thing and not sub judice.

(No reply was given)

Mr. Speaker: Sub rule (12) of Rule 46 of our rules procedure reads—

"In order that a question may be admissible it shall satisfy the following conditions, normally:-

It shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the public or in ordinary works of reference;"

चौधरी जय सिहं राठीः मैने जो बात कही है, वह सब जुडिस वाली बात नही है। यह बेशक कह दें कि हम तो जवाब ही नही देना चाहते लेकिन They should not take this shelter. My only contenton is that they should distinguish what can be sujudice and what can be available in the open market or anywhere else. Thee are two different things.

Mr. Spekaer: This rule pertains to the admissibility of question. Sub-rule (10) of Rule 46 Reads-

"It shall not ask for information aon any matter which is under adjudication by a court a law haveing juridisction in any part of India..."

Ch. Jai Singh Rathi: That is what I want to submit. The question here is: what has the Government replied to have writ? That is not subjudice.

Mr. Speaker: But that is available in the Court.

Ch. Jai Singh: That is not the point. The Point is that they cannot take shelter that this is subjudice.....

Mr. Speaker: The matte ris very straightforward. The Chair cannot force a Minister to reply. The ruling was given by me a year ago. A number of supplementary have been asked. The Minister concerned is not prepared to rely. In any case they have said, "This is subjudice and the document is available....." What is the point in thrashing it more and more?

Now we go to the next question.

श्री दया कृष्ण: स्पीकर साहिब, मेरे लेट होने की वजह से मेरा एक प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष: वह तो अब खत्म हो गया।

श्री दया कृष्ण: सर, लेकिन रिवाईव तो हो सकता है.....

.....

Mr. Speaker: Not now, He Should have been here.

सरकारी बैचों की ओर से आवाजें: हम आप को बाहर बता देगे.....

चौधरी रणबीर सिंह: स्पीकर साहिब, लोक सभा में यही प्रथा है कि जब कोई मैम्बर लेअ हो जाये औ उस का प्रश्न रह जाये तो यदि क्वैश्चन आवर में समय बचे, तो उसकस वह सवाल पूछने की इजाजत दे जाती है। मै आप से यही चाहूंगा कि उन्हें सवाल पूछने की इजाजत दे दी जाये।

Mr. Speaker: I have already given my dcisio. It cannot be allowed. He has lost his opportunity.

Investigation of Underground water of Tube wells

***1145 Sh. Daya Krishan:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) What steps the Government propose to take to investigate the availability of underground water for the tube wells;

(b) The approximate number of tube wells which are to be constructed in the State during the next five years?

Irrigation and Power Minister (Sh. Ram Dhari Gaur): (a) Haryana state Minor Irrigation (Tube wells) Corporation has been set up to explore and assess groundwater potential. The Central Ground water Board (Exploratory Tube wells) Corporation has been set up to water Board (Exploratory Tube well Organization) of the Government of India is also doing some exploratory work.

(b) It is proposed to install, 200 tube wells in the state during the next five years. In addition to the above, about 500 tube wells will be installed for augmentation of supplies in W.J.C.

श्री दया कृष्णः क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि अखबारों में जा बात आयी थी कि जींद और रोहतक के दरमियान अन्डरग्राउन्ड पानी काफी मिला है, क्या यह बात संच है?

श्री रामधारी गौड़ः हां जी, यह दरूस्त है।

श्री दया कृष्णः क्या मंत्री महोदयत बतायेगे कि उस पानी का किस हद तक और कब इस्तेमाल किया जायेगा?

श्री रामधारी गौड़ः बहुत जल्दी ही हम वहां ट्यूबवैल वगैरा लगाने का काम शुरू कर देगे। वहां पर 50 ट्यूबवैल लगाने की योजना है.....

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कहां कहां पर शैलों ट्यूबवैल लग सकते है। और कहां कहां डीप ट्यूबवैल लग सकते है?

श्री रामधारी गौडः यह तो एक्सप्लोरह होने के बाद मालूम होगा कि कहा शैलों ट्यूबवैल लग सकते है और कहा डीपन ट्यूबवैल लग सते है। लेकिन जहां तक दादूपुर से लेकर मूनक तक के एरिया का ताल्लुक है इस मे ंडीप टयूबवैल लगाये जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंहः मै मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इनके महकमे को जानकीर है कि शैलों ट्यूबवैल कहा कहां लग सकते ळै। यदिहै ताक कहा कहा?

श्री रामधारी गौड़ः हमने मुख्तलिफ जगह पर एक्सप्लारेशन करवायी है। उसमें हमें इन जगहों का पता लगा है अम्बाल जिल मे नारायणगढ़ तहसील में महेन्द्रगढ जिला में कृष्णावती बैल्ट में, गुडगांवा जिला में, बल्लभगढ़, साहबी नदी और पलवल तहसील में, रोहतक जिला मे इज्जर तहसील में, और जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और घग्घर के नीजदीक। इसी तरह से हांसी तहसील में सफीदों के नजदीक और राजस्थान में।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब पानी सतह ऊंची हो जाती है ,तो एन्टी–वाटरलोगिग स्टैप के तौर पर शैलों ट्यूबवैल लगाना जरूरी होता है या नही? यदि होता है तो वह कहां कहा लगाये जा रहे है।

श्री रामधारी गौडः इसका जवाब अभी आप को बता दिया है। वैसे मै आप को बता दूं कि शैलों ट्यूबवैल्ज जमुना नहर के साथ साथ लगाये जायेगे।

चौधरी लाल सिंहः मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसे कि सरकार का प्रोग्राम है कि वहां 200 ट्यूबवैल्ज लगाये जोयगे, क्या वह प्रोगाम वही रहेगा या इसे बढ़ाया जायेगा?

श्री रामधारी गौडः यदि पानी ज्यादा मिला तो जरूर बढ़ाया जायेगा। 200 ट्यूबवैल्ज तो आपके पक्के है ही।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदयत बतायेगे कि एक्सप्लोरेशन किस स्टेज पर है?

श्री रामधारी गौड़ः बहन जी आप पहले इस लफ्ज के मायने समझ ले।

श्रीमती चन्द्रावतीः तो आप मायने भी बतला दीजिए कि एक्सप्लोरेशन क्या होता है?

श्री रामधारी गौड़ः मैने यह बताया है कि फला फला जगह पर टयूबवैल्ट लगाये जायेगे। एक्सप्लोरेशन होने के बाद ही पता लगता है कि कहां ट्यूबवैल लग सकता है?

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का तो जवाब आया ही नही।

श्री रामधारी गौड़ः जैसे मैने बताया, एक्सप्लोरेशन होने के बाद ही यह किया है कि कहां कहां ट्यूबवैल्ज लगाये जायेंगे.... .....

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): We have yet to go a very off. This exploration work will take long to complete. This connection, we are carrying out experiments everywhere in the attend trying to find out underground date about the water available that the tube wells can be installed. This research is going on a very ge scale.

Mr. Speaker: The House wanted to know as the how much areas has been covered and how much still remains?

Sh. Bansi Lal: It has not been possible to find out these details far. However, I may state that shallow tub wells are sunk near the where the water level is higher, and deep wells are sunk near the ears Viz., Jamuna, Krishnawait and in some areas of Ghaggar.

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दादूपरु से जमुना कैनान तक जो ट्यूबवैल ला रहे है। उनका पानी क्या वहां के लोगों को दिया जाएगा जो वहां काश्त करते है या सिर्फ नहर में डाला जाएगा?

श्री रामधारी गौडः यह आगमेन्टेशन के लिए लगाए जायेगे।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः अगर वे लोग मांग करें तेा क्या उन लोगों को भी पानी दिया जाएगा?

श्री रामधारी गौड़ः उन लोगों के लिए दूसरी किस्म के ट्यूबवैल होगे तो डारेक्ट होगे। ये आगमेन्टेशन के है।

श्रीमती लेखवती जैनः मै मंत्री महोदयत से पूछना चाहती हूं कि क्या अम्बला जिले की अम्बाल तहसील में 1971–72 में सरकार की टयूबवैल लगाने की कोई स्कीम है?

श्री रामधारी गौड़ः नारायणगढ़ में लगाए जायेगे।

श्रीमती लेखवती जैनः मै अम्बाला तहसली की बाबत पूछ रही हूं।

श्री रामधारी गौड़ः नारायणगढ़ में जब मुकममल हो जायेगे और वहां अगर पानी मिल जाएगा तो वहा भी लगाए जायेगे।

श्रीमती लेखवती जैनः क्या वहा कोई जांच करवाई गई है। कि वहां पानी है या नही?

श्री रामधारी गौडः अम्बाला में जांच हो रही है।

श्रीमती लेखवती जैनः वहां केवल इरीगेशन के पानी की ही कमी नही है वहां पीने के पानी की भी बहुत कमी है।

श्री रामधारी गौडः वहा जो ट्यूबवैल लगाए जायेगो और पानी दिया जाएग वह पानी पिया भी जा सकता है।

श्री सत्य नारायाण सिगांलः मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि दादूपुर से मून तक वैस्टन जमुना कैनाल के साथ साथ शैलों ट्यूबवैल लगाए जायेगे, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपया करेंगे कि मूनक फाल से मुआना फाल जहां कि पानी की बहुत ज्यादती है वहां पर भी शैलों ट्यूबवैल लगाए जायेगे?

श्री रामधारी गौडः हां वहां पर भी लगाए जायेगे। वहां मूनक से लेकर खुगडू तक लगायेगे।

श्री सत्य नारायाण सिगोलः खुगडू तो दूसरी नही हुई। नहीर जमनगर्वी पर मूनक से मुआना तक.....

श्री रामधारी गौडः खुगडू जमनगर्वी पर ही है।

श्री सत्य नारायाण सिंगोलः पंडित जी नहर जमनगर्वी की आगे तीन शाखाएं है मै पूछ रहा हूं कि जमनगर्वी की जो हांसी शाखा है उसके लिए मूनक से मुआना फाल तक जो अंटा फाल और फिर उसके बाद मुआना फाल है वहां तक भी लगायेगे? खुगडू तो दूसरी लाईन है।

श्री रामधारी गौडः वहां भी लगाए जायेगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट आफ आड्डर है, जीन्द स्टेट के गांव का एक आदमी फौज में भर्ती हो गया। एक बार उसको छुट्टी लेनी थी। उसकें 'सूल' शब्द तो याद नही रहा वह कहने लगा कि जो इसे हो गया है वही मुझे हो गया है जा बात सिगोल साहब कर रहे है वही बात वजीर साहिब कर रहे हे। वजीर साहिब को यह ता पता नही कि जमनगर्वी वहां नही है।

श्री रामधारी गौडः वह हांसी ब्रांच ही जमनगर्वी है।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करकेगे कि अमृतसर में एक इरिगेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट है

जिसने पानी के बारमें एक रिपोर्ट तैयाकर की थी, क्या सरकार के पास उसकी प्रतिलिपितयां है?

श्री रामधारी गौडः उसकी प्रतिलिपियां मेरे पास नही है।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने डिस्ट्रिक्टवाईज एक नक्शा बनाया था जिसे पता लगता था कि पानी कहां मीआ है, ट्यूबवैल कहा लग सकता है, कहां पानी खारा है। सफीदो में कुछ एरिया में पानी बहुत मीटा है, मीटे पनी की लेयर कहां तक है इसको ंजानने के लिए क्या कोई एक्सप्लोरेशन करने का विचार है?

श्री रामधारी गौडः बाद की स्टेज में देखा जाएगा।

चौधरी रणबीर सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि इरीगेशन रिसर्च इंस्टीच्यूट अमृतसर की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां हमारे पास नही है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पानी कहां ऊंचा है, कहां नीचा है, कहां खारा है। वह बहुत फायदे की चीज है, उस में हमारा भी हिस्सा है। क्या सरकार उसकी प्रतिलिपियां हासिल करने की कोशिश करेगी?

श्री बंसी लालः कर लेगे

श्री रामधारी गौडः अगर जरूरत हुई तो कर लेगे।

चौधरी रणबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के जवाब देने के बाद भी यह कहा जा रहा है कि अगर जरूरत हुई तो प्रतिलिपियों हासिल कर लेगे।

श्री बंसी लालः वह तो दूसरे प्वायंट का जवाब दे रहे है।

श्री दया कृष्णः क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करने कि जींद और रोहतक के दरमियान जमीन के नीचे कोई पानी मिला है, वह कब मिला है ओर कौन से गांव के पास मिला है?

श्री रामधारी गौडः जींद के पास सफीदों का इलाका है, रोहतक का नही।

श्री दया कृष्णः आज सवेरे मैने अखबार में पढ़ा है कि जींद और रोहतक के दरमियान पानी की अन्डरग्राउन्ट लेयर मिली है।

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब ऐसा है कि एक वैल्ट इस किस्म की पूरी स्टेट में मे से गुजरती है जिस की तीन बैल्टै बनती है। 'ब्रॉडली' इसमें एक बैल्ट का कुछ हिस्सा रोहतक और जींद के बीच में कही टच करता है लेकिन उसका एक्सप्लोरेशन कम्पलीट नही हुआ है। कम्पलीट इर्न्मेशन हम इस लिए नही दे सकते। अभी वहां थोडी ही रिग्ज है और जब ज्यादा रिग्ज आ जायेगी तब हम कम्पलीट इन्फर्मेषन दे सकेगे। लेकिन मै हाउस

को यह यकीन दिला सकता हूं कि जैसे जैसे पानी मिलता जाएगा हम डीप ट्यूबवैल ओर शैलों ट्यूबवैल लगाते जायेगे। अभी तक उसकी तफतीश पूरी नही हुई है। इट इज स्टिग गोइंग औन।

श्रीमती लेखवती जैनः मै यह पूछना चाहती हूं कि गवर्नमैंट की ट्यूबवैल लगाने की नीति क्या है। क्या वह ट्यूबवैल उन जिलों और तहसीलों में लगाती है जहां पहले ही है या उन जिलों और तहसीलों को परैफरेन्स दिया जाता है जहां ट्यूबवैल बिल्कुल नही है या कम है।

श्री रामधारी गौडः जहां पानी मिल जाता है वही ट्यूबवैल लगाते है। जहां कही मीठा पानी मिल सकता है उन सब जगहों पर ट्यूबवैल लगाए जायेगे।

श्रीमती लेखवती जैनः क्या वजीर साहब बतायेगे कि अम्बाला जिला ही तहसील अम्बाला मे ंभी मीठा पानी मिला है कि नही?

श्री रामधारी गौडः अम्बाला जिला का तकरीबन सारा ही इलाका ऐसा है जहां पानी मिला है। इसलिए सारे हील अम्बाला के जिला में ट्यूबवैल लगाए जायेगे।

श्री भगवान दास सहगलः अम्बाला की तहसी लें अभी तक एक भी ट्यूबवैल नही लगाया गया, मै पूछना चाहता हूं कि वहां पर कब तक ट्यूबवैल लगाये जायेगे?

श्री रामधारी गौडः जल्दी की कोशिश करेगे।

(इस समय खान साहब अपनी सीट पर से उठ कर साथ वाली की सीअ पर गए)

श्री बंसी लालः स्पीकर साहब क्या खान साहिब भी सप्लीमैट्री सवाल पूछ सकते है

चौधरी जय सिंह राठीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब पहले तो खान साहिब ने फलोर क्रास कर लिया था और फिर दूसरे की सीट पर से बोलने के लिए खड़े हो गए है। क्या वह ऐसा कर सकते है?

Mr. Speaker: I will request the Minister for Irrigation to please address the Chair and not the Member concerned. If he talks facing that side. the hon. Membes sitting onthe other side cannot hear and then the trouble arise. Therefore, kindly assress the Chair while giving answers to the supplementaries.

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, जैसे सरकार ने हर गांव के अन्दर बिजली और सड़के बनानी लाजमी कर दी है क्या उसी तरीके से सरकार की हरियाणा में हर जमीदार को खेती के लिए पानी देने की स्कीमे है?

श्री रामधारी गौडः हां जी है।

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खान): जनाब स्पीकर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि खान साहब

सप्लीमैट्री सवाल पूछ सकते है। क नही पूछ सकते है। मै भी जानता था कि मै नही पूछ सकता, मैने अपने कोलीग श्री हरपाल सिंह जी से मश्वरा भी किया था, मै चाहता हूं कि अपने लीगल एडवाईजर से पूछ लूं। उन्होने यह फरमाया कि कुओं के मुताल्लिक पूछ सकते हो। इस लिए यह कहना चाहता हूं कि जहां पर लगा दिए गए है वहा तो लग चुके लेकिन आयंदा लिए यह देखना चाहिए कि जहां पर नही है वहां पर लगाए जाए।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या वजीर साहब बतायेगे कि खान साहब की कांस्टिच्यूएंसी में कितने डीप और शैलों ट्यूबवैल लग सकते है।

Mr. Speaker: They have not got that informto jwith them here.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः अभी मंत्री महोदय ने फरमाया था जहां कही भी मीठा पानी होगा वहां ट्यूबवैल लगाए जायेगे। हमारे इलाके में मूनक से मुआना फाल तक नहर की तीन शाखाएं है, एक हांसी ब्रांच है, दूसरी सरसा ब्रांच और तीसरी सुन्दर ब्रांच है वहा ंपर खुशकी के वक्त बारी बारी पानी दिया जाता है, यानि जब एक मे ंपानी छोडत्रा जाता है तो दूसरी दो सूखी रहती है। वहां पर जमीन के अन्दर सारा पानी मीटा है। क्या वहां पर साथ साथ शैलों ट्यूबवैल लगा कर सरकार उन तीनो ंनहरों को पानी देने का प्रबन्ध करने के लिए तैयार है?

श्री रामधारी गौडः जहां कही भी अच्छा मीठा पानी होगा उसको इरीगेशन की योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। हम वहां पर जांच करवा लेगे।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः यह बात इन्होने पिछली बार भी कही थी वहां पर जांच करना लेगे लेकिन अभी तक इन्होने उस इलाके को दिखलवाया नही। मै वहां का रहने वाला हूं और मै इनको बता रहू जें कि वहां पर जमीन के नीचे इतना मीठा पानी है कि अगर वहां पर उन नहरों के साथ साथ ट्यूबवैल लगा दिए जाएं तो तीन नहरों को फीड किया जा सकता है।

श्री रामधारी गौडः इतना पानी अगर वहां पर है तो उस का जरूर इस्तेमाल किया जाएगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवीः जहां पर नहरों का पानी लगता है और जमीन का पानी मीठा है लेकिन गहरा है वहां पर सरकार ट्यबवैल लगवा कर किसानो को इरीगेशन के लिए पानी देने का प्रबन्ध करेगी।

श्री रामधरी गौडः हा जी करेगे।

Mr. Speaker: Next question please.

Ch. Jai Singh Rathi: Queston No. 1157, Sir.

Mr. Spekaer: I have granted extension for this question. Next question please.

Reported case of Embezzlement in Yamunangar

***1184. Dr. Malik Chand Gambir:** Will the Minister ofr Development be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that there has been a case of embezzlement in volving Rs. 1 ½ lakhs in the Yamunangar Co-opertive Consumer store, since 1st January, 1970;

(b) Whether any enquiry has been instiurted in the said case; if so, they results thereof; and

(c) Whether tany person has been held responsible in this connection?

Development Minister (Sh. Sarupb Singh): (a) No. Sir,

(b) Does not arise.

(C) Does not arise.

डाक्टर मलिक चन्द्र गम्भीरः क्या वजीर साहिब तायेगे कि वहां पर कोआरेटिव कंज्यूमर स्टरे की तरफ से कोई इंक्वायरी हुई थी?

श्री सरूप सिंहः हां जी उन्हेाने एक कमेटी कुर्रर करके इंक्वायरी करवाई थी।

डाक्टर मलिक चन्द्र गम्भीरः क्या वजीर साहिब ताायेगे कि उसकी क्या रिपोर्ट है?

श्री सरूप सिंहः उनकी रिपोर्ट यह है कि जो वाईस–प्रेजीडैन्ट श्री भजन लाल था वह उसका जिम्मेवाद है।

डाक्टर मलिक चन्द्र गम्भीर: क्या वजीर साहिब बताएंगे कि उसके बारद क्या इक्दामात उठाए गए है?

श्री सरूप सिंह: उसके बाद कोआपरेटिव के इंस्पैक्अर ने इंक्वायरी की थी और उसकी भी सही रिपोर्ट है कि वही आदमी जिम्मेवार है। इसके बाद असिस्टैंट रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाईटीज अम्बाला के पास इंक्वायरी है जो कि अभी तक पैडिग है।

डाक्टर मलि चन्द गम्भीर: जब दो दफा इंक्वायरी मे एक आदमी दोषी ठहराया गया है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नही लिया गया?

श्री सरूप सिंह: कोआपेरेटि एक्ट के सैक्शन 54 क कतहत एक्षन लिया जा रहा है।

चौधरी रणबीर सिंह: क्या मै जान कसता हूं कियह डेढ़ लाख का घाटा कितने अर्से का है और कब इसके बारमे जानकारी मिली?

श्री सरूप सिंह: इस के मुताल्लिक मैने जवाब दिया है डेढ़ लाख का घाटा नही हुआ और न ही उसकी इंक्वायरी हुई है।

चौधरी रणबीर सिंह: लास तो घाटे को ही कते है, मै यह जानना चाहता हूं कि कितना लास हुआ और कब से वह

गवर्नमै।अ क नोटिस मे ंआया अै।र क्या महकमे ने एकोई एक्शन लिया?

श्री सरूप सिंहः कंज्यूमर स्टोर यमुनानपगर ने 24.8.69 को एक सब कमेटी मुकर्रर की थी और उसने 4.11.70 को अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद इंस्पैक्टर कोआपरेटिव सोसाईटीज ने इन्क्वायरी की और घाटा 30 जून, 1970 तक 16 हजार 30 रूपए 90 पैसे का था।

डाक्टर मलिक चन्द गम्भीरः क्य वजीर साहब बतायेगे कि क्या वह वाइए चेयरमैन आजकल भी कोई आफिस होल्ड करता है वहां पर?

श्री सरूप सिंहः इसके लिए सैपेरेट नोटिस दे तो पता करके बता देगं।

चौघरी रणबीर सिंहः क्या मै जान सकता हूं कि सब कमेटी के रिपोर्ट आने से पहले या सब कमेटी बनने से पहले अडिटन ने इस घाटे के बारे में रिपोर्ट की और अगर की तो कब की और किस साल के बारमें में की?

श्री सरूप सिंहः आडिट रिपोर्ट इस बारें में आई कि स्टाफ की कमी हुई और 16,996 रूपए और 70 पैसे की मिसएप्रपरिएशन की गई और उस बारमें में उन एम्पालाईज के बारमें में रिकवारी के एिल एक्शन लिया जा रहा है।

चौधरी रणबीर सिंहः मंत्री महोदय दो बाते तो अभी मान गये है और वह यह कि यह मिसएप्रोपरियशन हुई और दूसरे यह कि 16 हजार और कुछरूपए का घाटा था। मै पूछना चाहता हूं कि यह चीज पहले आडिटर ने बताई कि ऐसा हुआ है कि या और किसी तरह से इस बारें में पता चला था ओर क्या आडिट हुआ या नही और हुआ तो उसने यह बताया और अगर नही बताया तो क्या यउसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है या नही?

श्री सरूप सिंहः सब कमेटी जो बनी थी उसने जो रिपोर्ट दी उसमे ंबताया गया इस बारे में।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मै जान सककता हूंकि यह घाटा सारा एक ही साल क है जिस साल रिपोर्ट हुई या उससे पहले का भी है?

श्री सरूप सिंहः वह पिछले सालों का है। जिसक`बारमें में अभी इन्क्वायरी पैडिग है।

चौधरी रणबीर सिंहः उस साल से पहले के बारमें घाटा की बात है तो मतै जानना चाहता हूं कि आडिटर ने रिपोर्ट कब की, उसक`बाद क्या कार्यवाही हुई और किस किस साल में बारें में घाटा है?

श्री सरूप सिंहः आडिट रिपोर्ट 1969–70 की है।

चौधरी रणबीर सिंहः मैनत तो यह पूछा है कि नैनसे साल की आडिट रिपोर्ट में इनस्पैक्टर ने बताया कि सोसायटी को घाआ है ओर उसके बाद महकमा ने इस बारें में क्या कार्यवाही की?

श्री सरूप सिंहः सब कमेटी जो मुकर्रर की थी सब से पहले उसने घाटा प्यावयंट आउट किया और अब यह सारा केस ए० आर० के पास पैडिग एक्शन है।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मै जान सकता हूं कि सब कमेटी बनाने से पहले क्या इन इनस्पैटर ने घाटे के बारें में कोई जानकारी नही दी और अगर नही दी तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते है जिन्होने नही बताया कि घाटा है?

श्री सरूप सिंहः घाटा नफा तो बोर्ड होता है वह खु ही देखता है जिस तरह स्टोर्ज में भी जेाता है। लास की रिपोर्ट नही आई मिसएप्रोपरिऐशन की है लास का मतलब यह है कि कुछ चीजे ऐसी खरीदी गई जो बिक्री में नही आई।

श्री दया कृष्णः क्या वजीर साहिब बतायेगे कि इतने बड़े घाटा का बजूहात क्या है?

श्री सरूप सिंहः यह सारा केस अभी ए०आर० के पास है उससे अभी रिपोर्ट नही आई। आने पर पता लगेगा।

चौधरी जय सिंह राठीः क्य वजीर साहिब तायेगे कि जो पहले इंक्वायरीज हुइ हैं अैर रिपोर्ट्स आई उन में बताया गयाहै कि रीजनज थे?

श्री सरूप सिंहः यह सारा केस अभी मै ने अर्ज किय ए०आर० के पास पड़ाह ै ंओर उसकी रिपोर्ट अने पर सारा पता लगेगा।

चौधरी जय सिंह राठीः मैने यह पूछा है कि उन रिपोर्ट्स में क्या रीजन दिये गये थे इस लास के?

श्री सरूप सिंहः इस में बात यह है कि सब कमेटी ने प्रस्ताि पास किया कि वाइस चेयरमैन जिममेदार है। और इनस्पैक्टर ने लिखा है कि उसमें से कुछ रकम के लिए वाईस चेयरमैन जिम्मेदार हैं इसलिए यह सारा मामला ए.आर. के सपुर्द किया गया है कि वह देखे कौन कितना जिम्मेदार है और क्या एक्शन हो सकता है।

चौधरी जय सिंह राठीः क्या यह सही है कि इतने बड़े लास का रीजन यही था कि उनकी जाती जिम्मेदारी है या और काई रीजन दिया गया है?

श्री सरूप सिंहः मैने अर्ज किया है कि अभी ए.आर. की रिपोर्ट नही आई है और उसे आने पर सारा पता लगेगा कि क्या कोई एक जिममेदार है या सारे मैम्बर जिम्मेदारहै ओर उसके बाद एक्शन होगा।

डाक्टर रामेश्वर दास गुप्ताः क्य वजीर साहब बतायेगे कि उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोआपरेटिव स्टोर की दुकाने खरीदने के बरमें मे एम्बैजलमेंट की गई है।?

श्री सरूप सिंहः इनस्पैक्टर ने लास के बरमें बताया कि इनत है। सब इनस्पैक्टर और सक कमेटी की मिल गई इसलिए ए. आर. से कहा गयाकि वह देखे कि क्या बात है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मै जान सकती हूंकि जिन लेागों को दोषी पाया गया और जिममेदार ठहरयाया गया वह अीाी उस सोसायटी में आफिस होल्ट कर रहे है?

श्री सरूप सिंहः अभी रिपोर्ट इस बारें मे मुकम्मल नही आई रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जायेगा।

चौधरी जय सिंह राठीः वजीर साहिब ने शु में बताया था कि इनस्पैक्टर ने जिन के खिलाफ रिपोर्ट दी थी उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू कर दी गई है। मै जानना चाहता हूं कि वह किस कानून की बिना पर की गई है?

श्री सरूप सिंहः सरचार्ज की प्रोसीडिगज अलग से चलेगी और जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ अलग से एक्शन लिया जायेगा। रिपोर्ट आने पर अब हमने ए.आर. से कहा है कि वह देखे कि कौन जिम्मेदार है ओर कितना जिम्मेदार है?

चौधरी जय सिंह राठीः क्या अब तक उन आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई है?

श्री सरूप सिंहः जहां तक मिसएप्रोपिरएशन का सम्बन्धहै उनके खिलाफ रिकवरी की कार्यवही चालू है। ओर सरचार्ज की प्रोसीडिगज चालू है।

चौधरी रणबीर सिंहः क्या मै जान सकता हूं कि वह सालाना बैनेन्स की रिपोर्ट हर साल बनाते थे यह नही और क्या उस रिपोर्ट की कापी ए.आर. या महकमा के अफसरों के पास आती थी या नही और क्या उनमे ंखिसारा दिखाया गया था या नही?

श्री सरूप सिंहः यह इनफर्मेशन इस वक्त मेरे पास नही है।

डाक्टर रामेशवर दास गुप्ताः मै जानता चाहता हूं कि जो सब कमेटी बनी थी जिस की रिपोर्ट का यहां जिकर आया है उसकी सारी फाईडिग्ज आडिट रिपोर्ट के बारें में है और क्या पहले जो आडिट रिपोर्ट्स आया करती थी उनमें घाटा वगैरहा दिखाते रह`है या नही?

श्री सरूप सिंहः इस सवाल का जवाब पहले दिया जा युका है । शुरू में जो सब कमेटी मुकर्रर की थी उसकी रिपोर्ट आइ थी फि फला आदमी जिममेदारहै इस रिपोर्ट पर एक इन्सपैक्टर को इन्क्वायरी के लिए लगाया था जिसकी रिपोर्अ कोआपरेटिव रजिस्ट्रार के पास इन्क्वायरी के लिए पैडिग है।

श्री सत्य नारायाण सिंगोलः स्पीकर साहब, वैसे तो यह सवाल कोआपरेटि कंज्यूमर्ज स्टोर यमुनानगर के बारे में है। लेकिन इस किस्म की सोसाइटियों कई जगहों पर कै जिन में गबन और कुरप्शन हुई है आर उनकी इन्क्वायरीज दो तीन सालों से चल रही है। क्या सरकार उन केसिज को फाईनेलाईज करने के लिए कोई कार्य वाही करेगी?

श्री सरूप सिंहः जो भी शिकायत होगी उस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। जो पुराने केसिज है उनको फाईनेलाईज जल्दी ही किया जाएगा।

Mr. Speaker: Net question, Sh. Ranbir Singh.

Sh. Satya Narain Syngol: What about theSt. Queston No. 1146 by Sh. Daya Krishan?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which I have allowed.

New High Schools for Girsl

*1158 Sh. Ranbir Singh: Will the Minister for E\ducation be pleased to state the total number for Government Girls High Schools opened in Haryana in 1970?

Education Minister (Sh. Maru Singh Malik): Seven by upgrading the existing Middle schols.

चौधरी जय सिंह राठी: क्या मिनिस्टर महोदय बतायेगे कि ये स्कूल किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस किस जगह ळै?

श्री माड सिंह मलिक: ये सांपला जिला रोहतक, चांग जिला हिसार नगीना जिला, गुडगांव, हथीन जिला गुडगांव, कैम्प पलवल जिला गुडगांव, नेयतपुर जिला महेन्द्रगढ, बोडकला जिला महेन्द्रगढ़ में है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदयत बतायेगे कि जो स्कूल इन्होने खोले है इन में कितनी फीसदी लड़कियों पढेगी?

श्री माडू सिंह मलिक: ये तो लड़कियों के स्कूल है और लड़कियां ही पढ़ेगी। (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती: मेरा मतलब है इन स्कूलों में कितनी परसेंट पढेगी? कितनी लड़कियों को फायदा पहुंचेगा? आप सवालों को ऐसे ही टाल देते है जवाब देना ही नही आता।

श्री माडू सिंह मलिक: हमने स्कूल खोल दिए है और आगे उनके मां बा पर निर्भर करता है कि वे कितनी लड़कियों को स्कूल में भेजते हैं

श्री दया कृष्ण: वजीर साहिब ने सात स्कूलों के बारें में बताया है कि फलां फलां जगह खोले है। यह सब जानते है कि हरियाणा लड़कियों की तालीम में पिछड़ा हुआ और जिला जींद से

सबस ज्यादा पिछडा हुआ है ंक्या वजीर साहिब जींद जैसे पिछडे हुए इलाके में लड़कियों के स्कूल खोलेगे?

श्री माडू सिंह मलिकः हम 50 फीसदी लड़कियों के और 50 फीसदी लड़कों के स्कूल अपग्रेड करेंगे।

चौधरी जय सिंह राठीः क्य वजीर साहिब बतायेगे कि जिस जगह से स्कूल अपग्रेड करेंगे, क्या सरकार उस जगह की आदिी को सीडर नही करती? क्या यह नी देखा जाता कि इन सकूल में कितनी बच्चे पढेगे, क्य यह हाई स्कूल चल भी सकता है या नही, इन बातों को कंसीडर किया जाता है या नही?

श्री माडू सिंह मलिकः जी हा, कंसीडर किया जाता है।

चौधरी जय सिंह राठीः अगर कंसीडर किया जात है तो क्या वजीर साहिब बतायेगे कि इन सात स्कूलों में किस किस स्कूल में कितने लड़े और लड़कियां पढ़ती है। और कितनी आबादी है?

श्री माडू सिंह मलिकः ये स्कूल लड़कियों के लिए है। जितनी लड़कियों को उनके मां बाप भेजेगे उतने पढोगऐ।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहिब, पिछले दिनों वजीर साहिब सिढौरा गये थे, वहा लड़कियों का स्कूल नही है और बहुत ज्यादा आबादी है। क्या वहा स्कूल खोलने लिएआर्डर जारी कर दिए गए है।

श्री माडू सिंह मलिकः जिस स्कूल की बिल्डिर तैयार हो जाएगी आर्डर जारी कर देगे।

चौधरी जय सिंह राठीः क्या वजीर साहिब बतायेगे कि तहसील पानीपत के तीन गावों में जहां कि बिल्डिंग्ज बनी हुई है और स्टूडैट्स भी है और उनके मंत्री महेादय के पास आये थे कि वहां पर स्कूल खो दो लेकिन मंली महोदय ने वहा स्कूल खोने से इन्कार कर दिया, क्या यह ठीक है?

श्री माडू सिंह मलिकः बिल्कुल गलत है।

चौधरी जय सिंह राठीः क्या सरकार अब खोलने के लिए तैयार है?

श्री माडू सिंह मलिकः जो सरकारी कंडीशन्ज है, अगर वे परूी हो जायेगी तो स्कूल खोल देगे।

चौधरी लाल सिहः क्या मिनिस्टर महोदय बतायेगे जैसा उनहोने कहा कि 20 हजार रूपया दे देा तो हम बिल्डिंब बनसा देग.....

वित मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): ऐसा तो नही कहा था।

श्री सत्य नारायाण सिंगोलः जो स्कूल आपने खोले है क्या इनकी सारी कंडीश्ज्ञन्ज पूरी हो गई है?

श्री माडू सिंह मलिकः जी हां

श्री सत्य नारायाण सिंगोलः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि 50 फीसदी लड़कियों और लड़कों के स्कूल अपग्रेड करेंगे। मै अपने गांव का नाम नही लूंगा क्योंकि वहां तो अपग्रेडैशन हो नही सकती। दो गांव है– काटवा और हाल। क्या इन गावों के स्कूलों को अपग्रेड करेगे?

श्री माडू सिंह मालिकः अगर वे कंडीशन्ज पूरी करते होगे तो जरूर कर देगे।

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब, जैसा मंत्री महोदय ने कहा है कि हगर कंडीशनज पूरी होगी तो मिडल स्कूल से हाई स्कूल अपग्रेड कर दिया जाएगा। वे क्या कंडीशन्ज है, क्या क्राइटीरिया है जिसके बेसिज पर स्कूल अपग्रेड होगे?

Sh. Maru Singh Malik: The Government have prescribed the following condition for upgrading a Government Middle School to High Standard:-

(i) There is a demand for upgrading a school from the local community;

(ii) The enrolment in a school justifies it upgrading;

(iii) The locla community is prespared to construct or has already school;

(iv) The back/flood-affected areas are generally given preference whil upgrading schools; and

(v)	(a) Building accommodation	15 rooms
	(b) Land	8 acres (Including playground)
	(c) Enrolment	300 (Average attendance during the last six months)
	(d) Distance from the nearest Middle/ HighHigher Secondary School	5 miles
	(e) Population	2,000 or above.
	(f) Staff Quarters	20 (in phased manner)

Mr. Speaker: Questio Hour is over.

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr.Speaker: I have to report the time table fixed by the Business Advissry Committee in regard to various business.

The Committee met at 10-00 A.M. on 12th February, 1971

After some discussion, the Committee recommended that the following revised programmed of business be observed from 12 the February,1971 (II Sitting) onwards:-

1. On the 12the February, 1971, the Assembly shall, in its second sitting at 2-00 P.M. transact the following Business:-

2. Second Report of the Business advisory committe.

4. Appropriation Bill in respect of supplementary estimates (2nd Installment) 1970-71

5. Legislative Business.

(Time to be extended, if necessary.)

(13the February, 1971: off day)

(14the February, 1971: Holiday)

2. On the 15the February, 1971, the assembly shall meet at 2-00 P.M. and transact the following business:-

1. Question hour.

2. Discussion on Budget Estimates for the year 1971-72.

(Time to be extended, if necessary)

3. On 16th February, 1971, there shall be two sitting and the business be transacted as follows:-

1st sitting (9-30 A.M.)

1. Question hour.

2. Discussion and voting on demands for Grants on Budget Estimates for the year 1971-72

2Nd Sitting (2-00 P.M)

1. Appropriation Bill in respect of the Budge Estimates for the year 1971-72

2. Legislative Business.

3. Discussion on—

(a) The annual report on the working of the Hayrana Public Service Commission (1st April, 1969 to 31st March, 1971).

(b) The annual Financial Statement of the Haryana State Electricity Board for the year 1970-71.

(Time to be extended, if necessary)

Industries Minister (Sh. Abdul Ghaffar Khan): Sir, I bet to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this house agrees with the recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

Mr. Speaker: Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्पीकर साहिब, यह कनैश्चन बिल्कुल इल्लीगल हे।

Mr. Speaker: Now, the question ha sbeen put.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः मै तो उसी वक्त खड़ा हो गया था परन्तु आपेन जल्दी से ही क्वैश्चन पुट कर दिया।

Mr. Speaker: This has been done unanimously by the Business advisory Committee.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः स्पीकर सहिब, रूल 39 बिल्कुल क्लीयर है इसके मुताबिक जिस तरह से यहां प्रोसीजर अडोप्ट किया गया है वह नही किया जाना चाहिए था भले ही फैसला चुनानिमसी हुआ हो फिर भी This cannot be doen tlie that.

Mr. Speaker: I think, you are too late. You should have brought up the matter earlier.

श्री सत्य नाराण सिंगोलः स्पीकर साहब, मै कहता तो तब अगर मुझे टाईम मिलता। दसरे इसे तो लीडर आफ दी हाउस को मूव करना चाहिए था।

Mr. Speaker: According to the rules, any member of the committee can move in motion.

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Rule No. 37 is quite clear. It lays down:

"As soon as may be after the report has been made to the House a motion may be moved by a member of the Committee....."

So, any member can move the motion.

Sh. Satya Narain Syngol: It does not means that the prescribed procedure should be over ruled, because Rules 39 says:

"No variation in the allocation of the time order shall be made except on the request of the Leader of the Hose who shall notify orally to the House that there is general I agreement for such variation....."

Sh. Om Prabha Jain: It does not involve any variation of the business.

Mr. Speaker: I am afraid, the question has now bee put. I wish, this should have been brought to my notice earlier. In any case, this was the unanimous decision of the Business advisory committee.

Sh. Saya narain Syngol: After the general agreement an oral request has to be made by the Leader of the House and not by any body else.

Chief Minister (Sh. Bansi Lal): It was on my request that the business advisory committee took the decision about the allocation of the business.

Mr. Speaker: I will nor put the question again. Question is-

That this House agrees with recommendations contained in the second report of the business advisory committee.

The Motion was carried.

PRESENTATIONOF REPORTS

Chairman, Public Accounts Committee(Sh. Raj Singh Dalal): Sir, I beg to present the Third report of the public account committee (1970-71) on the appropriation account s of the Haryana government for the years 1966-67 and 1967-68 and the audit reports, 1968 and 1969.

Chairman, Estimates committee (Sh. Chandravati): Sir, I beg to present the third Report the estimates committee (1970-71) on the budget estimates for the year 1970-71.

Chairman, Committee on subordinate Legislation (Ch. Chand Ram): Sir, I beg to present the third report of the committee on subordinate legislation (1970-71).

Sh. Kanwar Singh Dahiya (A member of the Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the third Report of the Government on the Government Assurances (1970-71).

LIGSLATIVE BUSINESS.

THE HARYANA APPROPRIATION BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Sir, I bet to introduce the Haryana Appropriation Bill.

Sir, I also bet to move-

That the Haryana Appropriation bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana appropriation bill taken into consideration at once.

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Since nobody wants to speak, I shall put the question to the vote of the House.

Ch. Jai Singh Rathi (Naultha): I want to speak, Sir, I was just collecting my papers.

स्पीकर साहिब, ऐप्रोप्रिएशन बिल हाउस के सामने आया है हरियाणा पर खर्चे की भी बात है, पैसे की भी बात है और हमारे फाईनैन्सिज की भी बात है। (इस समय उपाध्यक्ष पदासीन

हुई) डिप्टी स्पीकर सहिबा, यही सरकार जो आज ऐप्रोप्रिएशन बिल लाई है बड़े तमतारक सक कहती है कि ख्वाह अपोजीशन के मैमबरकुछ भी कहत रहे, जो मर्जी क्रिटिसिज्म करते रहे, चाहे सड़कों के बारमें करें, बिजली के बारें मे याऔर किसी चीज के बारें में करें उसे हम नही मानते क्योंकि ये उसे जल कर करते है। क्योंकि हम तो कर रहे तरक्की औरवह तरक्की इन्हे भाती नही। ऐसा कार तो मेरे ख्याल में अपोजीशन के किसी मैम्बर ने नही किया कि कोई अच्छा स्टैप हो और उसे भी उसेन क्रिटिलाईज किया हो। डिप्टी स्पीकर साहिब, कल जो चीफ मिनिस्टर साबि यह दावा कर रहे थे कि हमें कही रास्ता नही मिलेगा, सब दरवाजे हमारे लिये बंद हो जायेगे क्येांकि वे काम कर रहे है उसके बारमें मेरी अर्ज है कि इन्होने क्या काम कियाहै इसको जनता देख लेगी। सरदार प्रातप सिह कैरों भी इसी तरह से चले थे।। कोई भी काम अपनने हल्के उसने नही छोड़ा था। बिजली, सड़क, पटवारी, मास्टर, जा कुछभी था सबा का बस उसने अपने हल्के में पहुंचा दियाथा लेकिन झूठी 33 वोटो से जीत कर आए थैं लोगोन ने पीट पीटप रक भूत बना दिया था।

श्री बनारसी दास गुप्ताः वे और भी कुछ करते थे।

चौधरी जय सिंह राठीः वही तो मै कहने जा रहा हूं कि लोग तुम्ळज्ञरे हम काम को देखेगे। बेईमानी कितनी की है उसे भी ढूंढ लेगे। ये जिन जिन कामों का बहाना करना चाहते है उनकी तह में कितनी बेईमानी है उसे भी देखेगे। सड़कों की चौड़ाई और

मोटाई को अवश्य देखेगी इधर से कितने बढ़े है उधर से कितने घटे है वह सब कुद देख लेगी।

(श्री बनारसी दास गुप्ता की तरफ से विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठीः डिप्टी स्पीकर सहिबा, मै आपसे सबमिशन करूंगा कि अगर ये इस तरह से बीच में ने टोके तो अच्छा रहेगा।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः नही नही यार चलने दे इनका इलाज मेरे पास है।

श्री बनारसी दास गुप्तः अगर तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगती है तो मै चला जाता हूं। (श्री बनारसी दास जी उठ कर बाहर चले गए।)

श्री सत्यनाराण सिंगोलः नही नही, आप बैठे।

चौधरी जय सिंह राठीः वह बैठे कैस? उसकी आंखों मे तेा हिम्मत नही कि वह मुझ से आंखे मिलाकर बात कर सके।

डिप्टी स्पीकर सहिब, मै आन से सबमिशन कर रहा था। ट्रैयुरी बैचिज की हर बात को हम बड़ी खामोशी के साथ सुनते है इसलिइनको भी चाहिए कि हमारी हर बात का ध्यान से सुन और उसमें अगर कोई बात इन्हे गलत लगे तेा इनमें से कोई सदस्य अगर लिखा पढ़ा यहां पबैठा है उसे नोट कर ले और बाद में जवाब दे दिया करे।(हंसी) तो, डिप्टी स्पीकर सहिब, में क रहा

था कि जनता सबसे से पहले यह चीज देखती है कि जो पैसा हम टैक्स की सूरत में, रैवन्यू की सूरत मं और दूसरे किसी और तरीके से जैसे स्माल सेविग्ज के जरिए या किसी और ढंग से इक्टठ्ा करके सरकार को देते है उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कही बेईमानी ता`नही हो रही, जनता इस बात को देखती ळै। यह बड़े तमतराक से कहते है। कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है, हम सड़के बना रहे है, बिजली के खम्भे लगा दिए, यह पहुंचा दिया और वह पहुंचा दिया लेकिन मै इन्हे बताना चाहता हूं कि ये कोई किसी के ऊपर एहसाननही कर रहे है। यह इनकी ड्यूटी है। अगर इन्होने ये काम नही करने है तो ये जो अफसर साहिबान यहां बैठे है ये किसलिए बैठे है? लोग रैवन्यू देते है, टैक्सिज देते है, स्माल सेविग्ज के जारि कुलैक्शन करके देते है। लेाग तो एक चीज को चाहते है, अगर सरकार उस चीज का कर देती है तो वे इसके सामने सिर झुकाते और हम भी यही कहतेहै कि स्टेट में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। कि ला एण्ड आर्डर के थ्रू या अफसरो ंके थ्रू लोगों के मोरेल को, स्टैण्डर्ड को ऊंचा किया अपने देश प्रदेश के प्रति अच्छी भावना पैदा की है परन्तु यह सरकारकेवल अपने मतलब के लिए जातिपाती की बिना पर लोगो ंको लड़ाती है। अगर दो भाई लड़ते है तो उनमें से एक की मदद कर उन का आपस में झगड़ा करवाती हैं अगर सरकार उस पैसे को जो लोगों ने इस को दिया हहुआ है उसको ईमानदारी के साथ खर्च करती तो लोग समझते कि ईमानदारी से काम किया है परन्तु सारी स्टेट के अन्दर मौरल

नाम की तो कोई चीज इस सरकार ने छोड़ी ही नही हैं औनैस्टी, सिनसियेरेटी और टरूथफलनेस ये चीजे जो इन्सान के अन्दर होनी चाहिए उनका आज नामों–निशान नही मिलता है और खासतौर पर उन लोगों के अन्दर जो यह कहते है कि हमने देश की सेवा की है। क्या इन्ही लोगों की सेवा करने वाला कहा जाता है? जैसा कि शेर है–

क्यां कुछ और कहता है निहां कुछ और कहता है।

नजर कुछ और कहती है, जबान कुछ और कहती है।।

बनी बैठी है देखो देश की लीडर।

यहां कुछ और कहती है वहां कुछ और कहती है।।

कहने का मतल बय हहै कि जबान और नजर में और है और दिल में कुछ और ही है– और इन के बाहर कुछ और है मै तो यह कहूंगा कि जिस तरीका से चल रहे है इन पर ट्रस्ट किया ही नही जा सकता। लोकगों की पब्लिक लाइफ को इतना गन्दा बना दिया है जिसके विषय में कुछ ब्यान ही नही किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर साबि यहां तमतराक से कहने लग जाते है। कि सरकार के खिलाफ इन अपोजीशन के भाईयों के पास कुछ कहने के लिए तो है नही, वैसे ही सरकार को क्रिटिसाइज करते है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर इनकी मुराद या मकसद हमारे लिए कानून और कंस्टिच्यूशन की बात करन को है उसके लिए तो मै समझता हूं कि इनके पास अफसर है, चीफ सैक्रटरी, सैक्रेटरी,

डिप्टी सैक्रेटरी और ज्वायंट सैक्रेटरी है जो सरकार के काम को चलाते है। उनके बारमें मे कहने के लिए तो हमारे पास कुछ नही है लेकिन अगर मिनिस्टर साहब भी अपने आप को सरकार में शामिल करते है तो मै परमात्मा से दुआ करूंगा कि इन से स्टेट को बचाये। इनसे तो स्टेट का कोई भी काम नही होगा।

डिप्टी स्पीकर साहिब, शायदएक बात को ये भूज जाते है कि जब सन् 1968 मे चुनाव हुए थे तो उससे पहले यहां हरियाणा स्टेट के अप्छर गवर्नर रूल था। सरकार तो उस वक्त भी यहां कायम थी और वह सरकार चल भी रही थी तथा हरियाणा के हित के काम क्ी कर रही थे। मै तो यही कहूगा कि ये जो कुछ भी काम शुरू हुएए है ये उसी वक्त के किये हुए हैं उसी समय की योजनाये बनायी हुई है। उन्होने ही सारी योजनाओं के लिए लिखा पढ़ी की हुई थीं इनका तो वही हिसाब है कि माल चोरी करके ता केठ भी जाये और दाग लगे कटडे के मुंह पर। यह तो खामख्वाह की भलाई लेना चाहते है इसी सिलसिले में मुढ कए किस्सा भी याद आ गया हैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै ज्याद टाईम नही लूंगा थोडे ही समय में समाप्त करता हूं दो गावों की आपस में लड़ाई हो गई। उनका असूल थाकि शामो जब लड़ाई खत्म हो जाती तो वे इक्ट्ठे बैठ कर बातचीत करते थे और आमने सामने बैठ कर ही खाना पीनक करते थे। दोनों पार्टियों के असूल था शाम को आपस में पूछते थे कि आपका कौन आदमी मारा गया ओर कौन घायल हो गया। एक दिन एक आदमी का पता नही

चला, काफी पूछताछ भी की वह आदमी जिन्दा है या मर गया। उसका जिक्र ही चल रहा था कि इतने मे वह आ गया उससे पूछा गया कि आपने किसको मारा? उसने कहां कि मैने किसी को काटा, किसी का पेट काटा, किसी का हाथ लेकिन वहां पर किसी की गर्दन नजर नही आयी वरना मै उसको भी काट देता। कहने का मतलब यह है जब हमने पूछ ये सारी स्कीमें कहां असे आई और किसने बनाई तो उसके बारें में ये कहने को कुछ भी तैयार नही। स्कीमें ो इस सरकार से पहले की बनी हुई थी। इन्हेाने तो इनता ही यिका है कि इनकों इम्पलमैंट करवा दिया, वह भी इस कारण से कि इनकों अफसर काबिल मिल गये। उन काबिल अफसरों के कारण यह सारा कम हो गया वरना इनकी काबलियत से हरियणा मे ंकभी भी तरक्की नही हो सकती थी। जनता को तो इनके किसी भी बात की कोई उम्मीद नही है। अगर हमारे पास कोई चीज कहने को नही है तो वह अफसरों के खिलाफ नही हैं अगर वजीर साहिबान के खिलाफ कहने की बात आये और उनको जो काम करने का तरीका है उससे तो जनता की भलाई नही हो सकती।

डिप्टी स्पीकर साहिब, ओर इलजामात को तो मै नही दोहराऊगा लेकिन कुरप्शन के विषरू में तो थोड़ा कहूंगा। आपकेां पता ही है कि पिछले दो सालों से कितनी कुरप्शन बढ़ गई है। इस सरकार ने नये नये तरीके निकाले हुए है, कई तो इनके प्रिविलेजिज बन गये है। इस सरकार ने नये नेय तरीके निकले हुए

है, कई तो इनके प्रिविलेजिज बन गये है इनके अलग अलग तरीके हैं उस विषय मे ंतो मै नही जाऊंगा क्योंकि वह बहुत लम्बा सब्जैक्ट है लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन्ही वजीरों के बारें में यहां हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट में एक केस चला। एक व्यक्ि तने जिसका नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा है जो लुहानी का रहने वाला है, उसने हाई कोर्ट में रिट दायर की कि मै ब्लाक समिति का चेयरमैन हूं। मै इनैक्शन के अन्दर जीता हूं लेकिन मैरा इलैक्शन काफी दिनों से गजट नही किया गया है। उस केस में हामर चीफ मिनिस्टर साहब रेसापैडैट बनाये गये थे। वह रिट श्री ओम प्रकाश के हक में हो गई। हाई कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि इनका खचार्ा 250 रूपये रेसपौडैट पर डाला जाता है। मुझे तो हैरानी होती है कि सरकार उसका ऐप्रोप्रिएशन बिल में और सप्लिमैटरी ऐस्टिमेंट में ले आई हैं इसमें सीरियस बात यह है कि यह प्राईवेटली खर्चा हुआ था और वह रसापौडैट को लगना चाहिए था, क्योंकि इसमें चीफ मिनिस्टर साहब की जाती हार भी थी और दूसरे सरकार की ीाी हार थीं बड़े दुःख की बात है कि एक आदमी को इन्साफ न दिया ाजये, उसे नाम की गजट नोटिफिकेशन ने की जाये और जो 250 रूपये कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर साहिब के जिम्मे लगाया था उसको ंये सरकार पर डाल रहे है। यह तो रैसपौडैंट को देना चाहिए था। यह बड़ा सीरिसय मामाला है। सरकार की आमदन ीका एक पैसा भी जयाया हो तो उसका भी हिसाब किबात रखा जाता है। परन्तु यहां तो कई रूप्यों का सवाल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस ओर गौर करे वरना ऐसी रिकवरी

कल को भी हो सकती है। अगर यही तरका अडौप्ट कर लिया जये कि हर मिनिस्टर या आज का चीफ मिनिस्टर यो करें तो हरियाणा की ऐ ऐसी स्टेट है जिसमे मैक्सिमस रिटे है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इतनी रिटे हाई कोर्ट में जितनी कि कैरों साहब के वक्त मैं भी नही थीं इतना ही नही कई रिटों मे अपहोल्ड किया गयाहै कि चीफ मिनिस्टर ने जो ब्यान दिया है वह गलत है। जब ऐसा फैसला आ गया तो तो इन को चीफ मिनिस्टर नही रहना चाहिए लेकिन फिर भी ये सता हथियाये बैठे है। हाई कोर्ट के हुक्म को तो इतना एहतराम होता है कि जब उस का हुक्त हो जाता है तो उसको तबदील करने की कोशिश नही क जाती। ये लोग यहां हाउस में खड़े हो कर हमारे नेता अर्थात पं० भगवत दयाल जी को क्रिटिसाइज करते है कि कांग्रेस 'ओ' के नेता ने स्टेट की तरक्की को रेा दिया था लेकिन इनके नेताओं ने क्या किया और देश को क्या दिया? यह हम सब जानते है और उस का असर हमारे इस ऐप्रोप्रिशन बिल पर भी पड़ा है। आप यह ने समझे कि मै आट आफ कांटैक्सट बोल रहा हूं क्योंकि इसी ऐप्रोप्रिएशन बिल में इस बात का रैफ्रन्स है इसलिए मै अर्ज कर रहा हू। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके जरिए मतै होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि बीच में बोलना अच्छर नही है। वह हाउस के लिए भी अच्छा नही और मुझ को बीच में टोकना भी अच्छा नही है।

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर इस भाई को मेरी शक्ल अच्छी नही लगती है तो मै बाहर चला जाता हूं मैने तो कुछ भी नही कहां। मै तो जरा सा मुस्करा दू ं तो भी ये महसूस करते हैं अगर ये कहें तेा मै उठ कर चला जात हूं

चौधरी जय सिंह राठी: डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे नइकी शैस से कोई वास्ता नही है। अब ऐसी शक्ले देखने की मोरी आदत नही रही। मै शादीशुदा हूं। मैने तो इनसे सबक सीखना है। हम नये मैम्बर है। जैसा सबक इनके पासहै वह तो मै सीखने की कोशिश नही करूंगा।

श्री के.एल.पोसवाल: जिस शक्लों को आप देखने के आदि है वे देख ले।

चौधरी जय सिह राठी: अब शक्लें देखने का आदि नही हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा मै अर्ज कर रहा था इनके नेताओं के बारमें, क्योंकि इन्होने हमारे नेताओं के बारें में कुछ कहां बैक नैशनेलाईजेशन का इन्होने शुरू से ढिढोरा पीटा कि ये किसी बैक को नैशनलाईज नही करेगे.....

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां बैक से क्या ताल्लुक है?

चौधरी जय सिंह राठी: हां जी बैकों का ताल्लुक है क्योंकि उनसे पैसा मिलना था। (विघ्न)

उपाध्यक्षः आप एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोले जो आपके आपने फायदा के लिए है! (विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठीः क्या यह कोई ऐप्रोप्रिएशन बिल फायदे का है? अगर फायदे का होता तो हमसे भी पूछते। (विघ्न)

उपाध्यक्षः गवर्नमैंट कुछ भी करे हाउस से पूछ कर करती है। (विघ्न)

चौधरी जय सिंह राठीः आप तो हमे यह पूछना चाहते है कि मार तो नही देगे। यह तो बाहर जनता में नही निकलते बिना पुलिस के। किसी भी गांवों में जाये पुलिस साथ होगी। इनके नेताओं का तो यह हाल है कि सुबह के वक्त कुछ कहना नही, रात को साढ़े दस बजे हुक्म हो गया प्रजीडेण्ट से आडिनैन्स जारी करा दिया कि राओं के प्रिवी पर्सिज खत्म कर दिये जाये। दिन को अभी बातचीत चल रही थी लेकिन रात को हुक्म हो गया। रात का आडिनैंस जारी किये जाते है। फिर कहने लगे कि पालियामैंअ नही तोड़ी जायेगी।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिब, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां सैण्ट्रल गवर्नमैंट की कार्यवाही पर डिसकशन की जा रही है या ऐप्रोप्रिएशन बिल पर?

उपाध्यक्षाः मेरा ख्याल है कि यहां ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोला जाये।

चौधरी जय सिंह राठीः मैडम, मै इा परही बोलूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक चीज मुझ कहने में आपत्ति नही है कि जहां तक स्पीच का ताल्लुक है पिछले दो साल से इस हाउस में अपोजीशन की स्पीचिज ही मिलेगी, इन भाईयों की स्पीच का कही जिक्र नही मिलेगा, लेकिन ये ने दूसरों को बोलने देते है न खुद बोलते है। मै अर्ज कर रहा था कि सुबह की यह सूचना थी कि इस देश की पालियामैंट तोड़ी नही जायेगी लेकिन नौ बज राज को हुक्म हो गया कि पालियामैंट तोड़ दी गई हैं जितने भी नुकसान के काम यह सरकार करती है वह रात को करती है लेकिन इनका असर जनता पर इतना भयानक पड़ेगा जिस के बारे में कुछ नही कहा जा सकता। मै सदन को बताना चाहता हूं कि आज किसी गरीब को बैको ंसे पैसा नही मिलता है लेकिन ये कहते है कि 4 करोड़ रूपया बचाने के लिए यह सब कुद यिा गया है।

उपाध्यक्षः राठी साहिब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलिए and do not go beyond its scope.

श्री बनारसी दास गुप्ताः मैडम, मेरी एक सबमिशन और है किसी मैम्बर की बोलने क लिए कोई टाईम लिमिट होनी चाहिये।

उपाध्यक्षः हाउस ही बताये कितना समय होना चाहिये?

श्री के०एल० पोसवालः जो आप फिक्स करे दें, मैडम।

उपाध्यक्षाः आगे से किसी मैम्बर को 10 मिनट से ज्यादा नही दिये जायेगे मगर ये तो पहले सहे ही बोल रहे है।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः मैडम, क्या यह टाईम हम भी नोट करें? यह रिकार्ड के अन्दर है कि कल तो 15 मिनट दिये गये औ मुझ भी 15 मिनट दिये गये थे लेकिन अब आप दस मिनट कह रही है।

उपाध्यक्षः अब तो हाउस का फैसला है इसलिए मैम्बर साहिबान एक मिनट भी ज्यानदा नही बोल सकते। अगर हाउस 10 मिनट चाहता है तो 11 मिनट नही बोल सकेगा। राठी जी, आपको 5 मिनट और दिये जाते है।

चौधरी जय सिंह राठीः बात यह है कि जब इनके बोलने का वक्ता होताहै तब तो कहा जाता है और टाईम और टाईम, और जब हमारा नम्बर आता है तो कहते है दस मिनट।

Deputy Speaker: Nobody will be allowed to take more than ten minutes.

चौधरी जय सिंह राठीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै अर्ज कर रहा था कि जो डिमांड्ज आई है हाउस में इन मैं राजाओं से प्रिवी पर्स देन `के लिये भी रूपया मांगा गया है। जब इन्होने डिमांड भी पेश कर दी तो कैसे ये उसका हाउस मे ंजिक्र करने से इनकार करते है? जो चीज हाउस में आ जाये उसको यह कैसे इनकार कर सकते है? उसका हम जिक्र कर सकते है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः बैकों का जिक्र नही कर सकते।

चौधरी जय सिंह राठीः बैको से हमें कर्जा लेना हैं खुद आपने ही तो जिक्र किया था कि शराब बन्दी के लिए सैटर से साढे तीन करोड़ रूपया मिलेगा। इनके लिए पाबन्दी नही, हमारे लिय है, यह तो बड़ी अजीब बात है।

श्री के. एस. पोसवालः वह तो रिटन आ चुका है।

चौधरी जय सिंह राठीः यह कही रिटन नही?

उपाध्यक्षाः आपके तीन मिनट और रह गये है। (हंसी)

चौधरी जय सिंह राठीः मैडम, मेरा तो मिनट कायम रहे वह भी बहुत है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मै बिजली के महकमें के बारें में कुछ अर्ज करना चाहता हूं बिजली के महकमे को कुछ पैसे दिये गये है कुछ ग्रान्टस दी गई है। इन्होने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर वगैरह बेचने के लिए एक कम्पनी हमारे पास आई। मै हैरान हो गया इनकी बात सनु ककि जो अफसर इनको ंसामन बेचने आया वह यही से नौकरी छोड़ कर गया था और इनके महकमें का बहुत पुराना नौकर था। पता नही ट्रक्टरों के मामलेमें बिजली के ट्रांसफर्मरों को कैसे ल आये। (विघ्न) मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या इन्होने किसी ऐसी कम्पनी से पूछाथा जो ट्रक्टर बनाती थी कि हमें बिजली के ट्रांसफार्मर चाहिये? उनके पास से इनकों ट्रांसफर्मर कैसे मिल गये, यह बात मेरी समझ मे

नही आती? पता नही इन्होने कैसे ट्रैक्टरों के ट्रासफार्मर निकला के रख दिये।

श्री के.एस. पोसवालः वह अफसर तो खुद ऐसा सामान बेचने आया था।

उपाध्यक्षः मै हाउस से रिक्वैस्ट करूंगी कि इन्ट्रप्शन न हो।

चौधरी जय सिंह राठीः इन वजीरों को कहो, मैम्बर कोई कुछ नही कह रहा।

श्री के.एल. पोसवालः मै तो आपका प्वायंट कलैरिफाई कर रहा था।

Deputy Speaker: Mr. Rathi, you are talking to the Minister Please address the Chair.

चौधरी जय सिंह राठीः मै अर्ज कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कोई नई बात नही की है पहले जो भाषझा गवर्नर साहब यहा पढ़ कर गये थे और बता कर गये है कि हम फलां फलां कामों में तरक्की कर देंगे तो वही कुछ इन्होने किया है। इन्होने कोई जस्टिफिकेशन नही दी। कोई चीज भी ये ऐसी नही करना चाहते जो कि जस्टिफाइड हो। फिर अपोजीशन पर ये इलजाम लगाते है कि वह हाउस को छोड़ कर भाग गई। हम तो यहां, बोलते है ओर हर रैलेवैट बात बताते है। लेकिन एक चीज है जो मै आपकें बताना चाहता हूं और वह यह कि जब हम दो चार

क्रिटिसिज्म की बातें करते है तो ये बिगड़ जाते है औ जब हम कोई सजैषन देते है ये हंस का टाल देते है कहते है कोई बात नही। तो डिप्टी स्पीकर सहिाबा, हम गिरे हुए नही है कि इनकों गालिया देने लग जाये। गालिया देना बाहर की बात है। इन्हौने तो अदब सीखना नही लेकिन हमे तो अदब कायम रखना है।

उपाध्यक्षः आपका टाईम हो गया है।

चौधरी जय सिंह राठीः मैडम, मै कनकल्यूड कर रहा हूं मै अर्ज करूंगा कि यह जो ऐप्राप्रिएशन बिल ले आये है इसमें अफसरो ंको छोड कर मुख्य मंत्री का या इनके वजीरों का थोड़ा सा भी हाथ नही है बल्कि मै तो यह कहूंगा कि हरियाणा की तरक्की को ये बहुत पीछे ले जे है अगर ये अफसर न होते। ये तो यहां जवाब देने के लिए भी तैयारहोकर नही आते। इन्होने यह कहा है कि गर किसी अफसर की नौकरी के दौरान बदकिस्मती से अचानक मौत हो जाये तो उनके परिचारों को ये कुछ सहूलियतें देगे मगर कितने ही अफसर इन्होने दो दो साल से सस्पैड कर रखे है अज़ैर वे तड़पप रहे है (घंटी) डिप्टी स्पीर सहिब, मै खत्म कर रहा हूं यह कह कर कि इस सरकार की सब चीजे नंगी हो चुकी है, जनता इसके फेवर में नही है।, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल लाये है मै इसकी सख्त मुखलिफत करता हूं और मैम्बर साहिबान से रिक्वैस्ट करता हूं कि यह पास नही होना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबाा, आज यह तो सप्लिमैन्टरी ऐस्टिमेंट्स पर एप्रोप्रिएशन बिल आया है, सुबह से मै श्री बनारसी दास जी की इस हालत देख रहा हूं। मुण्े इनकी कुछ समय पहले की हालत या आ गई है। आज इनके अन्दर कुछ ताकत सी आ गई है। और मुझे खुद भी महसूस हुआ कि हमारी बिरादारी में भी इससे कुछ ताकत आ गई हैं पिछले दिनों जब कैबिनैट की एक्सपैंशन हुई तो यहां से चीफ मिनिस्टर साहब ने इनकों टेलीफोन किया क्योंकि यह पार्टी के जनरल सैक्रेटरी है, कि मै कैबिनट की एक्सपैशन कर रहा हूं आप फौरन पहुंचिए। इन्होने उनसे नये आदमियों के नाम पूछे, तो उन्होने नाम भी बता दिये। अब बिरादी तो इनकी, आपकी और हमारी एक ही है। लेकिन यह धोती बांधते है, वैसे अगर मै बारह हूं तो मै भी धोती ही बांधता हूं परन्तु ये जरा सरमायेदार है, इसलिए रेशमी कुर्ता पहनते है और टोपी भी लगाते है जब इन्होने नाम पूछे तो चीफ मिनिस्टर साहिब हने लगे कि चौधरी नेकी राम, माडू सिंह, महावीर सिंह, और सूबेदार, यह सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं परन्तु जब नइका नाम आया तो आंखों से पानी निकलना शुय हो गया और पानी से उनकी जूती भर गई। घर वालों ने यहा सोचा कि शायदा बाबू जी का पेशाब न निकल गया हो! आज इनकी ताकत देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम मेरी बिरादरी के एक आदमी में कुछ हिम्मत तो आई है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः यह जूती जो थी, इन्होने साफा की थी।

Deputy Speaker: Please speak on the Appropriation Bill.

श्री के० एल० पोसवालः डिप्टी स्पीकर साहिब, थोडसे से हंसी मजाक को तो कई हर्ज नही.....।

उपाध्यक्षाः यह हाउस हंसी मजाक की जगह नही है।

श्री सत्य नाराण सिंगोलः मेरी अर्ज यह है कि पिछली दफा भी जब बजट सैशन था तो उसमें सप्लिमैटरी ऐस्टमेट्स जब आये तो मैने हाउस में दो–तीन चीजों की मांग की थी और उनको पूरा करने के लिए फाईनैस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ने वायदा भी किया था। एक तो मैने सफीदों में रैस्ट हाउस बनाने के बारमें में कहा था जिस पर इन्होन`कहा था कि हम जरूर बनवा देंगे। वह न ऐस्टिमेट्स में तो नही है। लेकिन नये बजट के अन्द जरूर है कि सफीदों में पी. डबल्यू.डी का एक रैस्ट हाउस बनवायेगे। इसके लिए मै चौधरी रण सिंह का धनयवादी हूं क्योंकि इन्होने मेहरबानी करके उसे बनवा दिया है। एक चीज मै जरूर कहूंग.....।

श्री बनारसी दास गुप्ताः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम, ये बजट का जिक्र कर रहे है। आपने पहले रोका था कि बजट का जिक्र न किया जाय.....।

Deputy Speaker: I will see, it is my duty.

श्री सत्य नारायण सिंगोलः वाह! महात्मा आनन्द! तो डिप्टी स्पीकर साहिबान मै इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि सफीदों के अन्दर किस भी आफिस के लिये ने तो अक्मोडेशन और न ही किसी अफसर के रहने के लिए जगह है। गवर्नमैंअ ने एक सरकुलर निकाला था जिसके तहत जितने भी तहसील हैडक्वार्टर थे, तमाम के तमाम सब–डिवीजनल हैड–क्वाट्र में चेंज कर दिये गए थे। एक सफीदों ही ऐसी तहसील है जो कि अभी तक भी तहसली हैडक्वार्टर ही है। जब भी इनकी कोई इम्पूवमैंट या डिवैल्पमैंट की स्कीम आती तो उसके अन्दर ये कहते है कि तमाम डिस्ट्रिट्स के अन्दर जितने भी सब–डिवीजनल क्वाटर है, उन पर यह डिवैल्पमैंअ करनी हैं हरियाणा के अन्दर सफीदों ही ऐ ऐसी तहसील है। जो सब–डिवीजनल हैडक्वार्टर नही है। यह एक बहुत पुरानी तहसील है। इनसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि जहां यह डिवैल्पमैंट के कामों के लिए सब–डिवीजनें है वहां इस सफीदों तहसील को भी सब–डिवैजन समरू कर इन्कल्यूड कर लिया करें क्योंकि इसका एक राइट था जोकि इसकों नही मिला। इसलिए डिवैल्पमैंट की चीजों इसे साथ धक्के शाही नही होनी चाहिए।

इरीगेशन के लिए इन्होने बड़ा पैसा मांगा है। इरीगेशन मिनिस्टर यहा बैठे हुए है पिछले दिनों जींद डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जींद डिस्ट्रिक्ट नं 3 जो कि बहुत लम्बी है, की तामता मोरियों का री–कन्सट्रक्षन किया गया है और वहां नये डिजाइन की मोरिया

लगाई गई है। मुझे तो पता नही कैन ठेकेदार था लेकिन किसी ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया गया जिसने कि काम ठीक नही किया और वे तमाम की तमाम मोरिया टूट गई है। मैने इसके बारें में एक्स.ई.एन. और एस. ई. को चिट्ठी भी लिखी। मै खुद ीा वहा गया था और तीन चार मोरियों की हालत तो मैने खुद देखी हैं सब मोरियों टूअ गयी है अैर सरकार को चाहिए कि कम सक कम जमींदार के ऊपर न लगाये और उसकी इन्क्वायरी करवये कि किस ठेकेदार ने वे गल्त मोरिया लगाई हैं उसके बाद अन मोरियों को ठीक कराये औ जब ये नये ढंग से मोरिया लगी है और जब तक वे रिपेयर नही हो जाती, जब तक का जमीदार के कोई नही तावाना लगाना चाहिए। इन्होने तावान को भी भी कमर तोड़ टैक्स बना दिया है। वह भी पहले से 20 गुना कर रखा है। जमींदार का इसके अन्दर कोई कसूर नही है। रामधारी जी पिछले दिनों वहां गये थे और एक जगह तो इन्होने खुद देखकर ओरली का दिये थे कि वाइई राजवाहे की पटड़ी खराब है इसएिल जब तक इसको ठीक न कर दे यदि यहां कोई ब्रीच हो गया ता जमींदारों पर इसकी कोई जिम्मेदार नही होगी। उसके तीसरे–चौथे दिन वहां ब्रीच हुआ और उस ब्रीच को कट बना कर लोगों पर लगा दिया। इन्होने खुद मोरखी, लुदाना या भवेंवां, मे से किसी एक गांव के अन्दर वायदा किया था। इसलिए मै रिक्वैस्ट करूंगा कि वहा तो तावान लगाया गया है वह नही लगना चाहिए।

इन्होने दो तीन कालेजों का जिक्र किया है। एक बहादुरगढ़, एक राई और एक कालका। कालका तो खैर तहसील हैडक्वाटर है लेकिन न तो बहादुरगढ़ और न ही राई में तहसीले है और उनके मुकाबले में सफीदों बैकवर्ड और फ्लड अफैक्टिड एरिया है। हर तरीके से वह पशमान्दा हैं वहां के लोगों ने इनसे मांग की है कि वहां एक कालेज बना दिया जाए। एक लाख रूपया उन्हों ने इकटठा भी किया हुआ हैं मै इनसे करक्वैस्ट करूंगा कि जैसे ये कहे है कि हम बैकवर्ड और फ्लड अफैक्टिड एरिया है हर तरीके से वह पशमान्दा है। वहा के लोगो ंने इनसे मांग की है कि वहां एक कालेज बना दिया जाए। एक लाख रूपया उन्हों ने इकट्ठा भी भी किया हुआ है। मै इनके रिक्वैस्ट करूंगा कि जैसे ये कहे है कि हम बैकवर्ड और फ्लड अफैक्टिड एरियाज की तरक्की करेंगे यदि औन मैरिट इन्होने कुछ करना है तो सफीदों के लिए कालेज की बहुत जस्टिफिकेशन है और वहां पर कालेज का होना जरूरी भी है। मै इनको ंएक नई चीज बताता हूं। अब तक इन्होने तमाम के तमाम कालेज शहरों में खोले है। इसलिए शहरों की तरक्की हुई है। और देहातों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। एक राई का जो कालेज है यह पता नही किस तरह से से इन्होने बनाया है ंमै तो बहुत साफ आदमी हूं चैधरी मुख्तियार सिंह की बात इनसे रली–मिली है। पता नही इन्होने वहां पर कैसे कालेज बनवा दिया हैं मेरी तरफ से इनको ंसजैशन है कि इनकों रूरल साइड मे भी कालेज खोलने शुरू करने चाहिए। मै इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि तालवा बहुत बड़ा गांव है

वहा यदि आप कालेज खोल दे तो हम आपको जितनी जमीनकी जरूरत होगी दे देगे बिल्डिग भी जा हम हाई स्कूल के लिए 10—15 कमरे बना रह है वही दे देगे। मेरी यह सजैशन भी है कि आप वहा पर एक कालेज खोल दे। वैसे मेरा अपना गांव नी है, लेकिन मेरे ऊपर उनके अहसान जरूर है। जुई नहर की यह बड़ी डीगे मारत है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होन`यह नहर बनाई, यह भी ठीक, तीन महीन`पानी देगी, यह ीाी ठी, लेकिन ये जो कहते है कि देसरे जिलों का पानी कट नही किया, यह गल्त है। इन्होने एक हिसाब लगा रखा है जो कि मै समझ रहा हूं और वे ऐसे है कि जो शुरू से पानी चला आ रहा है वह तो उसकी रेशों बांटते है और शायद उस रेशो से हामर जिले का भी पानी देते है होगे लेकिन जो फालतू पानी व्यास लिक का आना है उसमें कहे है कि आपका हाथ नही है। यदि किसी जमीदार को पानी की जरूरत हो और यह फालतू पानी हमारी ही नहरों में से हमारे सामने से हेाकरी गुजरे, और ये उसको वह पानी न दे, तो उसकेां बहुत महसूस होता है। ये जो कहते है कि वहां 3 महीन पानी न दें, तो उसको बहुत महसूस होता है। ये जो कहते हे कि वहां 3 महीने पानी दैगे, यह तो एक ढोंग है वरना इस बात को तो ये भी ऐडमिट करते होगे कि नौ महीने उस इलाके मैं आक पैदा होगा। अगर वहां पानी तीन महीने नही जाना है तो फिर इसके अन्दर जो नहर जमनग़र्बी के साथ साथ ये 500 या 600 ट्यूबवैल लगा रहे है यह उस तमाम पानी को उन नहरों में इस्तेमाल करना चाहते है। सब मोरियों के अन्दर उस पानी का ईक्वल डिस्टिट्रब्यशन हो और

उसी रेषों के हिसाब से यह पानी सब को मिलना चाहिए और अकेल हुई नहर के अन्दर नही जाना चाहिए। इन्होने 2 हैलीकॉप्टरों की डिमांड की है और कहते है हम हैलीकॉप्टर खरीदेंगे।

उपाध्यक्षाः आपका टाईम हो गया है।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः मैडम, दो मिनट तो बाकी होगे।

उपाध्यक्षाः अच्छा! आप दो मिनट और बोल ले.....
....।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः डिप्टी स्पीकर सहिब, हैलीकॉप्टर की जरूरत या तो कपास की फसल या फिर ईख की फसल पर स्प्रे करने के लिए पड़ती है। गेहू या चने पर तो इससे स्प्रे नही हो सकता क्योंकि इससे फसल नष्ट हो जायेगी। अब न तो कपास की फसल आनी है और न ही ईख की सीजन है। अब तो इनकी अप्रैल मई में काश्त की जायेगी। बरसात क मौसम में जाकर कही उनको स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। इस साल में यह सरकार 10 लाख रूपये जो खर्च कर रही हैं यह बिल्कुल नाजायज मांग है। और उस पर अब यह खर्च नही करना चाहिए। इस खर्चे को नैक्सट ईयर के लिए पोस्टपान किया जा सकता है। और इस पैसे को किसी और अच्छी जगर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहा चौधरी खुरशाीद अहमद साहत बड़े तम तड़ाक से बोलते है।

पिछली दफाा इन्होने मेरे से वायदा किया था कि कुछ पैसे इनके डिपार्टमैंट बच गये थे। मेरे से कहने लगे कि मैने काफी पैसा बचा करके सफीदों के अस्पताल के लिएये दे दिया हैं मैने बहुत कोशिश की पता लगाने की परन्तु न तो उस बारें मे हैल्थ डिपार्टमैंट कुछ बता रहा है और न ही पी०डब्ल्यू०डी० कुछ बता रहा है कि वह पैसा है कहां? सफीदों के अस्पताल को अपग्रेड हुए कम से कम एक साल हो चुका है लेकिन आज तक उसकी बिल्डिग के ऊपर एक पैसा भी खर्च नही आुआ। वहां दो तीन क्वार्टज इन्हाने जरूर स्टाफ के लिएये बनाये है लजेकिन जाहं तक हास्पिटल की अकमोडेशन का ताल्लुक है वह यों की यों है। जब तक वहां अकमोडेशन नही बतनी तब तक वहां न तो बिस्तरों का इन्तजाम हो सकता है और नही किसी दूसरी चीज का। मै इन से रिक्वैस्ट करूंगा कि जो पैसा पिछला था और इन्होने उस अस्पताल के लिए दिया था, कम सक कम उस पैसे को तो वहा लगा दे ताकि उस पैसे से अस्पताल की कुछ अकमोडेशन बनाई जा सके और इस फ्लड–अफैक्टिड एरिया के अन्दर अच्छा काम हो सके। मै आपका धन्यवाद करता हूं और ख्याल करता हूं कि गवर्नमेंट मेंरी बात पर ध्यान देगी।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, सप्लिमैन्टरी ऐप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा हम चार करोड़ से ऊपर की मां मंजूर कर रहे हैं आजकल प्लानिग का युग है आम तौर पर अच्छा तरीका बजटिग का यह है कि जिन चीजों का हम को पता

है ये हमने करनी है उनका जिक्र तो बजट में होना चाहिए और कुछ चीजें जो बाद में आएं उनके लिए सप्लिमैन्टरी एस्टिमेट्स लाए जाये लकिन यहां तो हालत ही दूसर हैं बहुत कुछ कहा जा रहा है कि हर जगह सड़क बना देगे, पानी का इन्तजाम करे देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आज से पांच वर्ष पहले जिन सड़कों की मंजूरी दी गई थी, वे सड़क आज तकी नही बनी हैं तो अब जिन सड़कों की मंजूरी दी ज रही है वे 1972–73 तक कैसे बन सकेंगी?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री खुरशीद अहमद): बनाने से बनेंगी।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती है कि श्री खुरशीद अहमद के जिले वाले सहयोगी के पास बिजली का महकमा गया था तो ये कहने लगे कि रोहतक को बिजली नही मिलेगी।

श्री खुरशीद अहमदः यह तो आपने कहा होगा। मैने तेा ऐसा नही कहा।

चौधरी जय सिंह राठीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। क्या जब कोई माननयी सदस्य बोल रहा हो तो मिनिस्अर साहिब इंटरफीयर कर सकते है?

उपाध्यक्षाः मै खुद यह चाहती हूं कि इंटरफीयर न हो जिससे हाउसा का काम ठीक तरह से चल सके। It is up to me. If any Honurabl eMember speaks no body should interfere.

लोक निर्माण मंत्री (श्री रण सिंह): मै चौधरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जो सड़के पांच साल पहले मंजूर हुई थी और अब तक नही बनी है उनके नाम बता दे ताकि उनको बना दे।

चौधरी रणबीर सिंहः जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि मै उन सड़कों के नाम बताऊं तो सारी सड़कों के नाम तो इस समय मुझे याद नही है क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी सड़के थी जो उस समय मन्जूर की गई थी और एक सड़क तो चैधरी रणसिंह के हल्के में भी मंजूर की थी।

श्री रणसिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। अगर ये सही बाते तो अच्दा रहेगा जिस सड़का का ये जिक्र कर रहे है वह तो मैने ही मंत्री बनने पर मंजूर की है। इन्होने नही।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, यह तो प्वायंट आफ आर्डर नही है।

चौधरी रणबीर सिंहः मेरा तो ख्याल था कि लोक निर्माण मंत्री शायद हौसले से सुनना चाहेगे। मुझ को इसमे ंकाई एतराज नही है कि वह सड़क इन्होने मंजूर की हो लैकिन यह सरकारी कागज तो मै नही बनस सकता। अगर मंत्री महेादय इस बात क लिए तैया है तो मै आज ही शौर्ट नोटिस क्वैश्चन भेज देता हूं कि 1966 में कौन कौन सी सड़के मंजूर की गई थी और कौन कौनी सी बनाई गई?

श्री रण सिंहः आप नोटिस दीजिए। मुझे आपत्ति नही।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, मुझे मालूम है कि सरकार ने एक योजना बनाई थी जो 25 प्रतिशत, चाहे जमीन की शक्ल में, मजदूरी की शक्ल में, मिट्टी की शक्ल में या नकद पैसा देगा वह सड़क हम गांव तक बना देगे। मुझे पता नही वह योजना अभी चल रही है या नही।

श्री रणसिंहः वह खत्म कर दी है।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, यह खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक अवस्था अच्छी हुई है। हमारी साख अच्छी हो गई है, हमें कर्जा मिल जात है है यह भी खुशी की बात है कि हम बारह करोड़ रूप्ए सड़कों पर खर्च करने जा रहे है।

उपाध्यक्षाः आपके तीन मिनट और रह गए है।

चौधरी रणबीर सिंहः यह तो ठीक है लेकिन ये लोग मुझे दुसरी तरफ ले जाते है वह टाईम कहा जाएगा? उसका हिसाब कौन रखेगा।

उपाध्यक्षाः उसका हिसाब मेरे पास रहेगा।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, जो सड़के है उनमें से कुछ का नाम मै बता सकता हूं। मेरे गांव की सड़क पांच साल हो गए है। आज तक नही बनी, मेरे पड़ोस में पड़ने वाली

सड़कों के नाम ही मै बता सकता हूं। मेरे गांव का नाम सांधी है। उस गांव की सड़क अभी तक नही बनी। धामड़ और चमारियों की सड़कें भी आज तक नही बनी।

उपाध्यक्ष महोदया, मुझ को मालूम नही कि ये मेरे हल्के को कौन सा मानते है? मुझ को तो गिला इस बात का है कि मै कांग्रेस पार्टी का मैम्ब हूं (विघ्न) चौधरी जय सिंह राठी भी काग्रेस के मैम्बर थे जब लोगों ने उनको चुना था।

चौधरी जय सिंह राठीः मै तो चौधरी साहब, अब भी कांग्रेस का ही मैम्बर हूं, असली कांग्रेस का।

चौधरी रणबरी सिंहः खैर, मै उस झगड़े में नही पड़ता। तो मै अर्ज कर रहा था कि किलोई हल्के में जिसको मै रिप्रिजैण्ट करता हूं, चाहे कोई पानी की स्कीम है, चाहे सड़कों की स्कीम है और जिन स्कीमों के लिए पैसा भी लोगों ने दे रखा है, फिर भी उनको नजरअन्दाज किया जाता है। मै पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई पाकिस्तान का इलाका है या यू.पी. का हिस्सा है या पंजाब का इलाका है। किलोई के हल्के को आप हरियाणा में मानते है कि नही (विघ्न)

उपाध्यक्षः इन्ट्रप्ट न करें।

चौधरी रणबीर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे खुशी है कि हम हरिजन कल्याण निगम बनाने जा रहे है लेकिन मै यह

कहे बिना नही रह सकता कि उसक लिए हमने जितना पैसा कहा था उतना पैसा क्यों नही दिया जा रहा।

उपाध्यक्षाः चौधरी साहब, आपक को तीन मिनट ज्यादा दिए जाते है।

चौधरी रणबीर सिंहः मै आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उपाध्यक्षा महोदया, इसी तरह से एक सवाल पूछा गया था कि कितने बैकवर्ड कालसजि के लोगों को नौकरियो दी गई है। लकिन उसका कोई जवाब नही मिलता। फिर यह भी सवाल पूछा गया था कि कितने आफिशियलज मुअत्तल हुए है लेकिन उसका को भी कोई जवाब नही मिला। मै पूरी जिम्मेवादी के साथ कह सकता हूं कि आज भी सरकार के पास बाकायदा क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, हो सकता है कि वह पहली जनवरी, 1971 तक न आई हो लेकिन उससे पहले क्वार्टर की रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद थी। इनके पास यह रिपोर्ट थी कि कुल कितने मुलाजम मुअत्तल हुए है, छः महीने से ज्यादा कितने है अैर साल से ज्यादा कितने है, अगर गवर्नमैंट यह बताने के लिए तैयार नही तो फिर उनका भला क्या हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदया, उन्होने सरकारी मुलाजमों की बात बताई कि हम उनको इनामात देते है मै यहां पर अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर एक बड़ी अफसोसनाक घटना हुई थी। एक सरकारी मोटर किसी कार के साथ टकरा गई जिस में तकरीबन छः सात आदमी मारे गए। उस में एक तो चौधरी माडू सिंह जी, जो हमारे मंत्री है,

उनकी लड़की थी, मेरी भतीजी भी उसमें से थी और इकके अलावा कुछ और नन्हे बच्चे थे वे जो उस दुर्घटना मे ंमोर गए थे। उस ऐक्सीडैट मे ंचौधरी जसवंत सिंह, जो उस वक्त उप मंत्री थे उनका ड्राईवर अैर गनमैनभी मारा गया था उस का दावा हुआ और उस दावे के अन्दर बीस–बीस हजार की डिग्री हुई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि और मदद तो दूर रही सरकार ने अभी तक उसे डिग्रीकी पेमैट भी नही की। अगर राजनीति के बेसिज पर व डिग्री रोकी जा रही है क्योंकि चौधरी जसवंत सिंह, जा चौधरी सूरज मल क लड़क हैहै वे उस वक्त विरोधी कदल के उप मत्री थे, तो यह बिल्कुल मुनासिब बात नही है। अगर इस ख्याल से उन की डिग्री रोकी भी गई थी तो दूसरों को तो पैमेंट कर देनी चाहिए थीं उपाध्यक्ष महोदया, चौधरी माडू सिंह और मै कांग्रेसी हैं जैसा मै पहले बता चुका हूं उसमें एक चौधरी साहब की लड़की थी और दूसरी मेरी भतीजी थी। अगर हमारे चौधरी सूरज मे के साथ रिश्तेदार होगई ते इसका मतलब यह नही हो जाता है कि उनके हम में जो डिग्री हुई है वह उनको दी न जाए? मै समझता हूं कि यह सरकार के लिए जायज बात नही है। सरकार को ऐसे कामों में लोगों को हाई कोर्ट में जाने के लिए मजबूर नही करना चाहिए। यह कोई शोभा वाली बात नही है। इसी तरह जो दीगर सरकारी मुलाजमों के हक में डिग्रियों हुई है वह भी सरकार को जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। हर बात क लिए लोगों को हाई कोर्ट मे जाने के लिए मजबूर नही करन चाहिए क्येांकि उससे हमारे प्रदेश की शोभा नही बढ़ती और इसके

इलावा खजाने पर और भी बोझ पड़ता है। मै उम्मीद करता हूं कि गवर्नमैंट इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। बाकी जो तकलीफो में इमदाद करने की नीति गवर्नमैट ने रखी है मै उस का स्वागत करता हूं। आप का धन्यवाद।

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खां): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिन मामलात पर आज बहस हो रही है मुझे अफसोस यह है कि उनका एक बहाना बना कर (विघ्न)

श्री सत्य नारायण सिंगोल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, खान साहब के महकमें के बारें में तो कोई बात नही कही गई?

Deputy Speaker: But if he wants to speak he can. Any Minister can participate in the discussion in the House.

श्री अब्दुल गफ्फार खां: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै कोई लम्बी चौड़ी बात नही करनी चाहता बल्कि मै उन बातों के लिए अफसोस का इजहार करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिन का कि हमारी स्टेट से या ऐप्राप्रिएशन बिल से कोई ताल्लुक नही था बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि यहां किसी पर इलजाम लगा दिया जाये क्योंकि किसी की जबान को रोकने वाला तो काई है नही। अगर यह बात है और खासतौर पर हाउस क अन्दर तो जो दिल में आए कह जाओं। मुझे अफसोसा है कि यहां परबगैर जिम्मेवारी क उन लागों पर कटाक्ष किया गया है जो आज हिन्दुस्तान के महबूब लीडर समणे जाते है। और जो हिन्दुस्तान को

तरक्की की रहा पर ले जाना चाहिते है। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। मेरा इस वक्त दिल भरा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन लोगों ने जिन्होने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिन्दगी गुजार दी, जिन्होने अपना सब कुछ त्याद दिय, उनके बामरें मे इशारतन या वैसे यह कहा जाये कि वह करते कुछ है और कहते कुछ है तो यह गैरमुनासबि बात हैं तीन पुश्तसे उस खानदान का कमा सिपाहगिरी चला आ रहा है वह उस दादा की पोती है जिनका नाम पंडित मोती लाल नेहरू है और व उस बहादुर की बेटी है जिसन हिन्दुस्तान का नाम तमात दुनिया में मशहूर किया है और जिसका नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू है..... .....।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः डिप्टी स्पीकर साहिबा, हाउस मे जो बहस चल रही है वह ऐप्रोप्रिएशन बिल पर चल रही है और उसमे इस बारें में कोई जिक्र नही जिसका खान साहिब यहां चर्चा कर रहे है और तकरीर फरमा रहे है। इसमें यह सब कुछ कहा से आ गया?

उपाध्यक्षाः खान साहिब, आप ऐप्रोप्रिऐशन बिल पर ही बोले।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः मै तो जनाब ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोल रह हूं और इन साहिबान ने जो कुद इस बिल पर बोलते हुए कहां है उसका जवाब दे रहा हू।

उपाध्यक्षाः मेने उस वक्त इन को भी चैक किया था जब वह आउट आफ वे जा रहे थे।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः जो बाते इन्होने कही है मेरा फर्ज बनता है कि मै उनका जवाब दूं।

उपाध्यक्षाः ठीक है, आप अपना फर्ज अदा करें लेकिन ऐप्रोप्रिऐशन बिल पही ही बोले.....।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः जिसके बारें में इतनी बाते हाउस में कही गई है।

उपाध्यक्षाः ठीक है और मैने उनको चैक किया था वहा हाउस है, पब्लिक प्लेटफार्म नही है।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः चलो मै यह बात छोड़ता हूं लेकिन मै पूछता हूं कि [* * * *] यह हिन्दूस्तान की बहादुर बेटी कश्मीर की लड़ाई में हाजीपीर की चोटी पर खड़ी हो गई थी। सामाने निशाना है, जनरल कह रहा है कि एक तरफ हट जाओं वरना सीधा निशाना तुम हो लेकिन वह बहादुर बेटी हिन्दुस्तान की जिने हिन्दुस्तान को मशहूर किया टस से मस नही हुई। उव वक्त वह प्राईम मिनिस्टर नही थी.....।

चौधरी जय सिहं राठीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। काश्मीर की लडाई किसी की बाहदुरी, किसी का हाजीपरी

की चोटी पर खड़ा होना औरकिसी जनरल को कुछ कहना, क्या ये सब कुछ ऐप्रोप्रिएशन बिल का हिस्सा है?

उपाध्यक्षाः यह तो मै मानती हूं कि वे ऐप्रोप्रिऐशन बिल पर नही बोल रहे है लेकिन वे मिनिस्टर है इसलिए उनकों हक है कि जो बातें यहां पर उठाई गई है उनका जवाब दे। क्योंकि राठी साहब ने इस बात का उठाया था इसलिए उसका वे जवाब दे रहे है और उसका उनकों हक है।

चौधरी जस सिंह राठीः अगर वे मेरी स्पीच पढ़ कर साबत कर दें कि मैने कुछ कहां हो तेा मै मान जाऊंगा। हिन्दूस्तान की बेटी न कोई उस वक्त प्राईम मिनिस्टर थे और प्राईम मिनिस्अर के बारें में कोई बात मैने कही ही नही और उस वक्त वह लड़ाई हुई वहा प्राईम मिनिस्टर नही थी और उस वक्त के प्राईममिनिस्टर का मेन कोई जिक्र नही किया।

उपाध्यक्षाः अगर आप अपनी स्पीच में बैंकस वगैरा को ला सकते है तो उन्होने तो बतौर मिनिस्टर उसका जवाब देना है।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः तो जनाब मै उसी का ही जवाब दे रहा हूं यहा इनसिनुसेशन किये गये और क्या हम नही समझते कि जो ये बाते इशारतन और किनारतनकरते है और ये करते रहे। तो मै कह रहा थ कि जनरल का कहना था कि एक तरह हट जाओं क्योंकि आप सीधा निशाना हो लेकिन उस बहादुर बेटी ने कहा कि जब लोग खड़े हुए है और अपनी जान देने के लिए

तैयार है तो मुझ जान की परवाह नही। वे उस वक्त प्राईम मिनिस्टर नही थी। उनके दिल में यह दर्द था.....

उपाध्यक्षाः देखिए खान साहब, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोले और उन की बातों का जवाब दे और जो बाते उन्होने नही कही उनके बारमें में न बोले

Sh. Abdul Ghaffar Khan: May I request the Deputy Speaker to kindly tell me wheter what they said was on the Appropriation Bill or was it beyond its scope.

उपाध्यक्षाः यह ठीक है कि वह आउट आफ दि वे गये है। (शोर)

श्री अब्दुल गफ्फार खांः

हम आह भी भरते है तो हो जाते है बदनाम।

वह कत्ल भी करते है तो चर्चा नही होता।

चौधरी जय सिह राठीः आन ए प्वायंअ आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन, मैडम। खान साहब ने एक बात कही कि जिस वक्त वह हिन्दुस्तान की बेटी हाजीपीर की चोटी पर खड़ी थी तो आपके **** कहां थे और यह मुझ पर उन्होने डायरैक्ट चोट की है।

आवाजेः उन्होने ऐसा बिल्कुल नही कहा। (शोर)

श्री अब्दुल गफ्फार खांः मैने ऐसा नही कहा और किसी पर चोट नही की

चौधरी जय सिंह राठीः आपने कहा है और मेरे * * * * के बारे में कहा है आप रिकार्ड देख लें.....(शोर)..... ....।

उपाध्यक्षाः आर्डर प्लीज। मै रिकार्ड से देख लेती हूं कि क्या कहां गया है।

श्री अब्दुल गफ्फार खाः डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमने जितने भी तरक्की के काम किये है वे अफसरान की मेहरबानी से किए है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें निहायत ही काबिल और लायक अफसरान मिले है। ये अफसर पहली मिनिस्टरी में भी रहे होगे, उस वक्त क्यों नही ऐसे कमा किये जो हमारी मिनिस्टरी ने करक दिखाये है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अफसर निहायत काबिल है यह कहना कि साहब आपने कौन सा घर से पैसा लगा दिया है, आपने कौनसा तीर मान दिया है, सड़के बना दी है या नहरें बना दी है, यह कर दिया, वह कर दिया–ऐसा कहने से कोई फायदा नही है। जनाब, गवर्नमैंट जो पालिसी बनाती है उस पालिसी को इम्पलीमैंट करने के लिए अपने अफसरान से दरखास्त करती है।

उपाध्यक्षाः देखिए मैने रिकार्ड देख लिया है और खान साहब, आपने यहा कहा कि * * * * जब यह हिन्दुस्तान की बहादुर बेटी कश्मीर की लड़ाई में हाजीपीर की चोटी पर खड़ी हो गई थी.....।

चौधरी जय सिंह राठी: इसलिए तो मै पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। यह साफ तौर पर मेरे * * * * के बारे में कहा गया है.....(शोर) अब उसका जवाब भी सुन लो.....(शोर).....

श्री अब्दुल गफ्फार खां: मै अब भी कहता हूंकि कहां थे वे लोग जिस वक्त वहा बहादुर बेटी वहा खड़ी थी..... (शोर).....

उपाध्यक्षा: उन्होने खुद ही ठीक कर दिया है और कहा है कि कहा थे वे लोग.....तो यह आम बात है और किसी एक के बारें में नही है, जनरल बात है। यह आपक बारें में राठी साहन नही कहा गया.....(शोर).....वे कहते है कि उनकी सैस यह थी । तो मै यह करैक्ट करवा देती हूं कि * * * * की जगह 'कहां थे' वे लोग' कर दिया जाए.....

चौधरी जय सिंह राठी: मै भी तो उन लोगों में शामिल हूं जिन के बारे में इन्होने कहा है। तो मै खान साहब को बताना चाहता हूं कि * * * * (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहिबा, खान साहब ने ये लफ्ज भूल से कह दिये थे लेकिन राठी साहब को यह बात नही कहनी चाहिए थी। यह बहुत बुरी चीज है।

Ch. Jai Singh Rathi: I withdraw these words.

उपाध्यक्षाः इन्होने मान लिया है और जो लफ्ज अच्छे नही है उनको विदड्रा कर लिया है।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि खान साहब के मुंह से कुछ शब्द इनएडवर्टैंटली निकल गये थे जिन का डायरैक्ट हिट इन के बुजुर्गो पर नही था। लेकिन अफसोस की बात है कि राठी साहब ने आपने ऐक्सप्लेनेशन में खान साहब पर पर्सनल अटैक किया है (व्यवधान) This is a very sensitive thing. Such things should not be mentioned. It was in good taste.

उपाध्यक्षाः इन्होने अपने लफ्ज विदड्रा कर लिए है, इसके बाद कोई बात रह नही जाती।

श्री अब्दुलत गफ्फार खांः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे और मेरे खानदानकी कोई बात नही.....

उपाध्यक्षाः खानदान के बारें मैं जो लफ्ज 'बजुर्ग वगैरह' इस्तेमाल किये गये है, वे ऐक्सपंज किए जाये।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः मै अर्ज कर रहा था कि यह कहना कि पैसा तुम कहां से लाए हो, जो खर्च कर दिया, गलत बात है। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मैम्बर या कोई भी आदमी अपने पास से पैसा नही लगा सकता क्योंकि तमाम मुल्के के लिए या तमाम सूबे के लिए इतनी ताकत किसी में नही होती जो अपने पास से सारा पैसा लगा दे। सूबे की तरक्की क लिए आम जनता

टैक्सों के जरिए से पैसा देती है। टैक्स के जरिए से पैसा वसूल होता है और उस पैसे के जरिए से जो लायक गवर्नमैंअ होती है वहा पालिसी बनाती है और उस पालिसी के लिए अपने अफसरान से रिक्वैस्ट करती है कि वे उस पर अमल करे।

चौधरी जय सिंह राठीः यह क्यो नही कहते कि जनता का पैसा वजीर न खाये?

श्री अब्दुल गफ्फार खांः हमने कब कहा कि हम अपना अपना पैसा लगाते है। क्या किसी मिनिस्टर ने कहा, क्या फाईनैन्स मिनिस्टर ने कहा कि हमाने अपना पैसा लगा दिया? हाउस इस बात को जानता है कि हमारी गवर्नमैंट ने कितनी शानदार पालिसीज बनाई.....

उपाध्यक्षाः खान साहब, आपको बोलते हुए पंद्रह मिनट से ज्यादा टाईम हो गया है, अब खत्म करें।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः नही जी, आप टाईम निकाल लें, हिसाबा कर लें कितना टाईम हो गया है।

उपाध्यक्षाः 22 मिनट हो गये है।

श्री अब्दुल गफ्फार खांः सिर्फ एक मिनट और दे दें। डिप्टी स्पीकर साहिब, यहां पानी की बाबत और दूसरी बातों की बाबत बातें हुई। मुझ अफसोस है कि मेरे निहायत करीबी दोस्त, मेरे दिली दोस्त और कलगी दोस्त, जिन से मै अलग नही हो

सकता और न ही वे मढ से अलग हो सकते है, चौधरी रणबीर सिंह जाी इस वक्त हाउस में मौजूद नही है। जब ये वजीर थे तब आपको मालूम है कि अम्बाला जिला में कितनी सड़के थी? जा–जा कर इनके पास और चौधरी रिजक राम क पास दरखवास्त करते थे कि यहां सड़क बना दी जाये लेकिन बावजूद बार बार दरखावासत करने पर इन्होने सड़क नही बनवाई। चौधरी रणबीर सिंह जी ने बहुत पहले अम्बाला छावनी से बबियाल तक एक सड़क बना दी थी। आप जा कर देख ले उनके अपने गांव तक पक्की सड़क जाती है। चौधरी रिजक राम के गांव में जो मुश्किल से चार फर्लाग का फासला है, पक्की सड़क जाती हैं इन्होने अम्बाला जिला में सिर्फ एक बबियाल तक बनई थी लेकिन हमें कहते है फलां जगह सड़क नही गई, फला जगह यहा नही हुआ, वह नही हुआ जब ये खुद मिनिस्टरी में थे तो इन्होने क्या काम यिा, कितनी सड़के बनाई? आज हमें कहा जाय कि सड़के नही बनई यह कहा तक सही है, कोई छूमन्तर तो नही जे सारीसटेट में एक दम बना दें। तमाम सूबे की जरूरतों को सामने रखकर सलोली एंड स्टैडीली हम सारे कम करेंगे। हमारा गोल यह है कि किसी इलाको को नही बल्कि तमाम सूबे की तरक्की देकर जर्मी से आसमां तक पहुंचा दे। इन काम में खुदाबन्द अल्ला ताला हमारी मदद करेगा, जनता हमारे साथ सहयोग करेगी। हमें यकीन है कि हम अपने सूबे को, जो कि सूबा नही बल्कि एक सूबी की तरक्की के लिहाज से तमाम हिन्दुस्तान से सूबों से आगे रखेगे। पिछली अढ़ाई अर्से में इस छोटे से सूबे की हिन्दुस्तान में ही नही बल्कि

अमरीका के अखबारों में चर्चा हुई कि इतने छोटै से सूबे ने सारे प्रदेश में बिजली लगा दी। मै यह नही कहता की हाथ लगा कर देख लो, ईक है किसी जगह नही पहुंची होगी, करंट नही गया होगा लेकिन इतना जरूरी है कि बिजली के साधन पैदा कर दिए है, सारे सूबे में बिजली लगाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है और जो कदम बढ़ाया है वह तमाम दुनिया में बेनजीर है, का मुकाबला कोई दूसरा सूबा नही कर सकता, चाहे कितना ही बुरा भला कहें। दुनिया हमारी तरीफ करती है लेकिन जो तारीफ न करें उस का इलाज क्या हो सकता है?

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै एक बात कहना चाहता हूं। अच्छे दोस्त का यह कायदा है कि वह पगड़ी की तरफ, टोपी की तरफ देखता है कि आया वह साफ है, उमदा है या नही। जो मुखाल्फित है वह हमेंषा जूते की तरफ देखता है कि इसका जूता टूटा है या नही। मै एक और बात कहकर खत्म करता हूं। आप एक जगह फल या इतर रख दें और दूसरी तरफ गंदगी का ढेर लगा दे। कम्बखत मक्खी फूलों की तरफ नही जाएगी, गन्दगी की तरफ जायेगी। यही हाल इनका है।(हंसी)

श्री भगवान दास सहगल (अम्बाला कैंट): डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरे हल्का अम्बाला कैंट में दो मैजिस्ट्रेट है मगर अफसोस की बात है कि वहां गवर्नमैंट की तरफ से कोई कचहरी की बिल्डिग नही बनी हुई। आजकल कचहरी एक प्राईवेट कोठी में है। वहां कोई स्टैम्प फरोश भी नही है। जिससे कि लोग कागज और

स्टैम्प वगैरा ले सकें। एक दस पैसे का कागज लेने के लिए भी अम्बाला शहर जाना पड़ता है। जो कि वहां से पांच मी है। इससे वैसे दिककत तो सभी की होती है परन्तु बूढे और बुढ़ियों को ज्यादा तक्लीफ होती है। इस कचहरी की बिल्डिग में आर०टी०, अम्बाला के सैक्रेटरी भी बैठते है मगर अफसोस की बात है कि वहां पीने के पानी तक का इन्तजाम भी नही है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि बाकी जिलों में जहां इतना पैसा खर्च किया जा रहा है वहां मेरे जिले की ओर भी ध्यान दिया जाय और कचहरी की बिल्डिग जल्दी से जल्दी बन कर तथा दूसरी सुविधाएं जिनका मैने जिक्र किया है देकर वहां के लोकों के ऊपर भी कृपा की जाए।

वित्त मंत्री (श्रीमती प्रभा जैन): माननीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर जो कई बातें कही गई उनका डायरैक्ट सम्बन्ध इन डिमांडों से नही था। बहुत सी बातों का जवाब खान साहब ने दे दिया है और मुझे कोई लम्बी चौड़ी बात कहने की नही रहती। राठी साहब एक पोलिटिकल बात को ख्वामखाह यहां कह गए ओर प्राईम किनिस्टर वाली बात को चाहे इन्होने ईशारतन कही जिक्र किया मगर बेहतर होता अगर वे उस बात को यहां न करते क्योंकि प्राईम मिनिस्टर, इंडिविजूयल कैपेसिअी मे ंनही बल्कि स्टेटस के लिहाज से सारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी नेता है। मै ाते यह भी कहना चाहूंगी। कि उनके सहयोग से पीछे भी यहां बहुत या काम हुआ है

और इस साल के बजट में भी कई स्कीमें उनके सहयोग के कारण ही शामिल की गई है। ड्राई फारमिंग के लिए जो नई स्कीम सितम्बर, 1970 में गवर्नमैंट आफ इंडिया से भेजी गई थी और जिसका खास तौर पर बैकवर्ड तथा रेगीस्तानी इलाकों को फायदा होगा, उसका भी जिक्र है। मै समझती हूं कि आज नई आर्थिक व्यवसाि के लिए जो प्रेरणा हमें उनेस मिल है वह हम सब लोगों के लिए फख्र का चीज है।

राठी साहिब ने सड़कों के बारें में कहा कि बहुत पहले ही गवर्नर रूल में उनका फैसला हो गया था और अब तो यह सरकार केवल उन फैसले को एक्सीक्यूट कर रही है। मै उनेस कहना चाहती हूं कि गवर्नर रूल से पहले जो प्लान बनी थी वह सिर्फ 169 करोड़ की बनी थी उसमे सड़कों के लिए केवल 10 करोड़ रूपये खर्चा रखा थां उसक बाद ऐनुवल प्लान बनती रही। फोर्थ फाईव ईयर प्लान जो दो साल पहले शुरू हुई थीं और उसमे जितना पैसा रखा था पांच साल के लिए उससे ज्यादा पैसा हम दो साल में खर्च कर चुके है। अगले साल के लिए हमने 12 करोड़ का प्रोविजन रखा है और इस साल मैं रोड प्लैन पर ही तकरीबन 8–9 करोड़ रूपया खर्च किया है। कहां दो साल में हम अकेले 19–20 करोड़ रूपये खर्च कर रहे है और कहां पांच साल में दस करोड़ रूपये खर्च हुए थे। अगर ये इस हवाई ख्याल मैं हो कि यह गवर्नमैंट पुरानी स्कीमों को एक्सीक्यूट कर रही है तो वह गलत ख्याल है। और सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाली बात है।

श्री के.एल. पोसवालः यह तो ताजमहल के बनाने वाले है।

चौधरी जय सिंह राठीः डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे एक सबमिशन करनी है।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसमें ऐक्सप्लेनेशन की कोई बात नही।

चौधरी जय सिंह राठीः डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़ी छोटी सी सबमिशन है। मै गुड हयूमर और गुड टेस्ट में बात कर रहा हूं। मुझकों जा बात कहनी थी उसमें एक बात याद आ गई। किसी ने कहा है किः–

मारे जाते है फरिश्तों के लिखे पर नाहक

आदमी कोई हमारा दमें तहरीक भी था।

उसमें हमारा कोई आदमी नही था। ये ातो ऐसे ही बात कर है।

श्रीमती ओमप्रभा जैनः डिप्टी स्पीकर साहिबा, शेर तो इन्होने बोल मगर इसमे कोई आनन्द नही आया।

उपाध्यक्षाः आनन्द वाले शेर तो आपकी तरफ से होगे।

श्रीमती ओम प्रभा जैनः बोलते तो ये भी अच्दा है, मगर यह शेर अच्छा नही। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंगोल साहन ने

सफीदों के रैस्ट हाउस की बात कही। बाद में में इन्होने तसलीम भी किया कि सप्लिमैंटरी ऐस्टिमेटस में उसका जिक्र नही आया मगर अगले साल के बजट में हय इंकलूडिड है।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः मैने तो धन्यवाद किया था।

श्रीमती ओमप्रभा जैनः फिर तो आपका भी धन्यवाद। सफीदों कालेज के बारें में भी इन्होने कहा। मुख्य मंत्री जी वहा गए थे और लोगों से उन्होन कहा था कि अगर कुछ हिम्मत लोग करेगे तो सरकार अवश्य ग्रांट देगी। राई और बहादुरगढ़ में जो कालेज बने है उनके बारमें में अर्ज यह है कि राई में जमीन की कोई प्रौब्लम नही थी इसलिए कालेज बन गया ओर बहादुरगढ़ में लोगों ने जमीन देने का वायदा कियाहै। सफीदों में अगर लोग हिम्मत करेंगे तो वहां भी बन सकता है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होने इस्पताल की बात की। इस वाक्त तो हमारे पास फंडज की कमी है लेकिन मै कहना चाहती हूं कि हम कोशिश कर रहे है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन सोशल सर्विसिज के लिए जैसे हस्पताल है और दवाईयां आदि है, दे सकेगे देगे। पिछले साल सप्लिमैंटरी ऐस्टिमेंटस में ऐगजैक्ट फिगर तो मुझ याद नही परन्तु लाखों रूपया दिया था।

श्री सत्य नारायण सिंगोलः जो 2 लाख 30 हफ़ार सफीदों के लिए दिया था उसका पता ही नही लग रहा कि कहां है।

श्रीमती प्रभा जैनः तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब चूंकि कोई विशष बात कहने वाली नही है इसलिए मै सदन से प्रार्थना करूंगी कि इस ऐप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once:

The motion was carried

Mr. Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried

Schedule

Deputy Speaker: Question is-

The Schedule stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I bet to move-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUBLICE WAKES (EXTENSIONOF LIMITATION) HARYANA AMENDMENT BILL

THE PUBLIC WAKFS (EXTENSIONOF LIMITATION) HARYANA AMENDMENT BILL, 1971

Health Minister (Sh. Khurshed Ahmed): Madam, I bet to introduce the Public wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill, 1971

Sh. Khurshed Ahmed: Madam, I also beg to move-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now, the House will take up consideration of the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Sub clause (2) of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर सहिब, मै क्लाज़ 2 के ऊपर बोलना चाहता हूं। इसमें बात यह है कि इसक्लाज़ में इन्होने वर्ष 70 के बजाय 71 कर दियाहै इसमें मै एक सजैशन देना चाहता हूं। वक्फ प्रोप्र्टीज के बहुत से केसिटज कोर्टस के अन्दर चल रहे है। इस ऐक्ट के मुताबिक यह है कि

1947 के बाद के जो कब्जे है वे बेदखल हो जायेगे और उसके पहले क जेा है वे बेदखल नही सकते। वक्फ ऐक्ट के जब वे कोट में जाते है है ते उनकेां इस बात को साबित करने के लिए गवाही नही मिलती है कि यह कब्जा बाद का है या पहले का है। जो टैनैन्ट या मुजारा होता है वह कहता है कि मै तो पाकिस्तान से सन 45 में आ गया था या 47 में आ गया था। तो इस ऐक्ट की सन् 71 तक अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे है यह तो ठीक है। लजेकिन उन केसिज का भी कुछ इन्तजाम होना चाहिए जिन को दो–चार गवाह देने पर जज भूमि अलाट कर देता है। पहले जो कब्जे नाजायज है इसका भी ख्याल होना चाहिए। उनको भी बेदखल करने की इन्तजाम करना चाहिए।

श्री खुरशीद अहमदः जहां तक ऐविडैंस की बात है उसके लिए ऐक्ट में डिटेल्ड प्रोविजन है। इसमें तो लिमिटेशन बढ़ाने का सवाल है। यही मेरी रिक्वैस्ट है।

Deputy Speaker: Question is

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (1) of Clause 1 stands part of the Bill.

The Motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Sh. Khurshed Ahmed: Madam, I beg to move-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move-

That the Public Wakfs (Extension of Limitation) Haryana Amendment Bill be passed.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया जहा तक अवधि बढ़ाने का सवाल है इसमें मेरी कोई दो राय नही हो सकती। एक बात जरूर है कि इतना अर्सा हो गया है लेकिन वह जायदार जो किसी धर्म स्थान क लि हो उसका कब्जा नही छोडा जाता है या कोई दखल नही दिया गया है, इसका भी कोई कारण हो सकता है? मै सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी रिपोर्ट सदन में आनी चाहिए। बहुत सारी बातैं और कहनिया वक्फ जयदाद के बारें मे सुनी जाती है वे सही भी हो सकती है। और गलत भी हो सकती है लेकिन एक बात जिसमें हम सहमत हो सकते है वह यह है कि धर्म स्थानों की कोई चीज हो उसका नाजायज इस्तेमाल नही होना चाहिए उसके ऊपर धक्का नही होना चाहिए और जहां धक्का हो रहा है उसका इन्तजाम इतने सालों से

क्यों नही हो पाया है? इसका कारण क्या यह हे कि जो इन्तजाम करने वाल है वे उनसे मिले हुए है, इस कारण से उनका ब्जिा नही मिला या कोई अन्य कारण है? इस विषरू में जो भी कारण हो वे सदन की जानकारी के लिए मंत्री महोदय दें। यहां जो अवधि मांगी जा रही है वह केवल एक साल के लिए मांगी जा रही है। आज सन् 47 को 23 वर्ष को गये है। अब तक ये झगड़े क्यों नही खत्म हुए? ये झगड़े तभी खत्म हो सकते है जब दोनो ंचीजों का पता चले कि कहां पर क्या खराबी है? कैन कौन इसके पीछे है? जिनके जिम्मे इनका संरक्षण लगाया हुआ है क्या वे गड़बड़ी कर रहे है या काई अन्य व्यक्ति। इसलिए मै मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि यह सदन जब भी आगे बैठे है वे इस सिलसिले में ऐ स्टेटमैंट दे ओर बताये कि कौन कौन ऐसी जायदादे है जिनपर दूसरे आदमियों ने कब्जा किया हुआ है और सरकार क्यो नही अब तक कब्जा ले सकी?

उपाध्यक्षः आप स्टेटमैट देंगे?

श्री खुरशीद अहमदः मैम्बर महोदय ने जो कुछ तजवीज दी है वह बहुत अच्छी है। इसके बारें में जो कुछ भी कर सकेंगे करने की कोशिश की जायेगी।

THE PUNJAB URBAN IMMOVABLE PROPERTY TAX (HARYANA AMENDMENT) BILL 1971.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Madam, I beg to intrododuce the Punjab Urban Immovable property Tax (Haryana Amendnment Bill, 1971)

Madam, I also beg to move-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Urban Immovable Property Tex (Haryana Amendment Bill be taken into consideration.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, आप जानती है कि इस सदन के अन्दर हमारे राज्यपाल महोदया ने अपने बजट स्पीच के अन्दर कोई 11 करोड़ रूप्ये का घाआ दिखलाया। उन्होने यह भी कहा कि दो करोड़ रूपया तो इधर उधर से बचत के तौर पर आ जायेगा लेकन नौ करोड़ रूपये का घाटा जरूर रहेगा। इन्होने अपनी बजट स्पीच में या गवर्नर साहब के अभिभाषण में कोई इशारा नही किया कि टैक्सिज लगने चाहिए। परन्तु बड़े दु:ख की बात है कि जो अैक्स खत्म होने जा रहा है उसकी अवधि फिर से बढ़ाने जा रहे है। इस बिल के विषय में भी जिक्र गवर्नर ऐड्रैस में करना चाहिए था। जब एक टैक्स कुछ अवधि के लिए लगा है हमेशा के लिए नही तो फिर क्यों आसकी अवधि बढ़ाई जा रही है? इन्होने उसमें लिखाा है कि यह इसलिए लगाया जा रहा है कि कुछ खास हालात की वजह से और खास अवधि के लिए लगा है अब ये हर साल उसकी अवधि बढ़ाते

जाते है मगर उसका जिक्र कही नही आता कि इसका जिक्र क्यों नही किया गया। यह बिल तो ऐसा जिस हम मान बैठे है और इन्होने सोचा कि इसकों तो हम वैसे ही बिना विचार–विमर्श किये ही पास कर देगे।

उपाध्यक्ष महोदया, यह ठीक है कि ऐसे ही देहात की सम्पति के बारें में पिछले सदन में एक बिल आया था। पिछले साल भी बिल आया था उसमें हमने कई साल की अवधि बढ़ा दी थी अर्थात चार या पांच साल की थी। अब भी शायद उसी नुक्ते ये यह जो टैक्स लगाया जा रहा है। यह कोई अच्छा तरीका नही है। पहजले तो कहना कि हम डिसक्रिमिनेशन हटा रहे है। और फिर टैक्स बड़े एलान करके लगाये जाते है गवर्नर साहब के अभिभाषण में, राष्ट्रति के अभिभाषण में कहा जाता है है या वित्त मंत्री जी अब अपनी स्पीच करते है तो उस वक्त कहा जाता है कि तमाम प्रदेश और देश इस टैक्सेशन के लिए तैयार हो। इसमें कोई दो राय नही है कि हमे अपने प्रदेश की तरक्की के लिए पैसा चाहिए और तरक्की के लिए टैक्स लगाये ही जाते है। लेकिन प्रजातंत्र के अन्दर, डेमोक्रेटिक संस्थाओं के अन्दर जा ढंग होते है उसी ढंग से हमें टैक्स लगाने चाहिए। यह नही होना चाहिए कि कभी एक बिल आ गया, फिर दूसरा आ गया। यह कोई अच्दा तरीका नही। अभी शायद एक बिल और आया है 42 ट्यूबवैलों के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब गवर्नर साहब का अभिभाषण हो या वित्त मंत्री महोदया की तकरीर हो उसमें इसके

विषय में जिक्र आना चाहिए ताकि सदन के सदस्य उस पर अपने विचार देने के लिए तैयार हो कर आये। जिस भाई की जो भी राय हो वह सोच–विचार कर दे। जब तक सिी चीज को पढ़ा ही न हो उसके विषय में मैम्बर अपनी क्या राय दे सकते है? मैम्बर कम से कम पैरेन्ट ऐक्ट को देख कर आये कि उस एक्ट से जो पैसा आया है उसका ठीक प्रकार से प्रयाग हुए है या नही।

उपाध्यक्ष महोदया, हमारी कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो अवश्य बन गयी है। परन्तु मुण्े मालूम नही क्या कारण है जससे हमारे प्रदेश के लिए यूनिवर्सिटी एक कहानी बन गई है कौन उसके कसूरवार है यह तो मुझको मालूम नही क्योंकि मै तो न एजूकेशनिस्ट हूं और ही स्टूडैन्ट हूं इसलिए मुझ को बहुत ज्याद इलम नही है लेकिन एक बात जरूर है कि आये दिन हम सुनते रहते है। कि आज वहां यहा हो गया और आज वहां यह भी हो गया। बहन चन्द्रावती जी और मुझ को वहां जाने का एक बार हाल ही में मौका मिला। हम कुरूक्षेत्र यूनिर्सिटी गये थें हमने समझा कि खाने पीने की कैन्टीन है, वहां खाना ख लेगे। खुश किस्मती समझिये या कुछ और समझिये वह दिन ऐसाथा जिस दिन विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति का भाषण हुआ। जिस वक्त हम शाम हो पहुंचे मैने पूछा कैन्टीन कहां है? जब एक दोस्त का नाम पूछा, उसका घर पूछता तो हमरे से पूछने लगे कि क्या आप चुनाव के सिलसिले में ओय हैत्र मैनक कहा हां इसी सिलसिले में आये है। किसके लिएये आप किस को चाहते है? जिस ढंग से उन्होन बात

की थी उसको हमने बड़ी गम्भीरता से सोचना है। वह बात मै दोहराऊंगा नही क्योंकि वह एक अच्छी बात नही है। ने हमारे लिये अच्छी है न विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अच्छी है। विश्वविद्यालय में शान से विद्यार्थियों के माता–पिता उनके लिये काफी पैसा खर्च करते है ताकि वे अच्छी तालीम हासिल कर सके। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय इसलिये बनाया गया था क्योंकि हम सब को गिला था कि पंजाब में यूनिवर्सिटी बनी है हरियाणा के अन्दर यूनिवर्सिटी नही है। इस कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के पीछे एक बहुत बड़ी भावना थी। कुरूक्षेत्र, जहां महाराज कृष्ण ने गीता का प्रवचन दिया, हिन्दू धर्म की संस्कृति का पुण्य और पूज्य स्थान है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे याद है उस वक्त जो पालियामेंट के स्पीकर थे श्री आयंगर वे हमारे साथ आये और उनके साथ कई मैब्र औ भी आये। मै उस वक्त लोकसभा में था। उस वक्त उनहोने हमारी मदद की थी, क्योंकि उस वक्त जो शिक्ष मंत्री हिन्दूस्तान की सरकार के थे वे राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होने कहा हमारे प्लान के अन्दर कोई नयी यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत नही। उस समय पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों थे। उन्होने कहां हमनें कुरूक्षेत्र के अन्दर यूनिवर्सिटी बनानी है ताकि वहां एक अच्छा वायुमंडल पैदा हो सके। आयंगर महोदय का यह ख्याल था कि यह संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनानी वहिये और हिन्दु सम्भ्यता के लिये वहां पर जानकारी दी जाये। उसके लिए खास सब्जैक्ट हो। उपाध्यक्ष महोदया, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए एक बडत्री महत्वपूर्ण यूनिवसिर्टी हमारे यहां कोई है नही,

फिर यह यूनिवर्सिटी एक अहम और पूज्य स्थान पर है, एक बहुत बड़ा ख्याल रख कर इसकों कायम किया गया था। वह न तो संस्कृत यूनिवर्सिटी बन सकी, न हिन्दू सम्भ्यता बढाने वाली यूनिवर्सिटी बन सकी। इसकी अब हालत यह है कि वहां झगड़े होते रहते है अध्यापकगण और विद्यार्थियों का वह एक लड़ाई और युद्ध का स्थान बन गया है। कुरूक्षेत्र वैसे स्थान तो ऐसा ही है लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसी बातें नही होनी चाहिए।

श्री के. एल. पोसवालः वह हर यूनिवर्सिटी में हुआ है।

चौधरी रणबीर सिंहः इनकों ज्यादा इल्म है क्योंकि यह गृह मंत्री है इसलिये सारे हिन्दूस्तान की बात ये बात सकते है। वह भी वक्त था जब विद्यार्थी अध्यापकगण के ऊपर बड़ी श्रद्धा रखते थे और हिन्दूस्तान की आजादी के बाद यह भी वक्त आया।

उपाध्यक्षाः मै कहना चाहती हूं कि जैसा कि पहले बिल पर दस दस मिनट रखे थे उतना ही टाइम इस बिल पर बोलने के लिये रखा जाये।

चौधरी रणबीर सिंहः मेरी गुजारिश है कि बिजनै ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश हो गई हैं हम तो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी का कम है कि हर बिल पर कितने समय तक बोलना है आप नई प्रणाललन क्यों शुरू कर हरेहै? तो मै आपेस प्रार्थना और कहूंगा कि अगर कोई गल्त बात कहे तो कहे तो उसको आपको आप रोकें क्योंकि ऐसा करना तो बहुत जरूरी

होता है। असल बात तो यह है कि हामरे प्रदेश की बदकिस्मती है कि हम कानून सोच विचारक करके नही बातने है और फिर चैयर भी अगर हर कम बड़ी जल्दी से करना चाहते तो यह ठीक बात नही है।

उपाध्यक्षाः मैने यह नही कहा कि आप कम समय लजो। मै तो यह कहना चाहती हूं कि हाउस के सामने और बिल भी पड़े है इसलिए मैंबर के बोलने की टाइम लिमिट होनी चाहिये। अगर वह हाउस चाहेगा तो टाईम ऐस्सटैड भी हो सकता है।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, आप को बहुत बड़ा तजरूबा रहा है। 1937 में जबकि हिन्दुस्तान आजाद नही हुआ था उस वक्त भी आप पांजाब असैबली और कौसिल की मैबर रही है। कभी इनती जल्दी नही हुई जितनी आ हो रही है। सरकार तो जल्दी कर सकती लेकिन आप ऐसी जल्दी करें यह मेरी समझ मे नही आता गुस्ताखी माफ हो मै आपसे यह उम्मीद नही कर सकता कि इतनी जल्दी की जाये। मै चाहूंगा कि आप हमें इस बिल पर विचार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दे।

उपाध्यक्षाः मै तो समय आप पर ही छोड दूंगी।

चौधरी रणबीर सिंहः मैडम, मै तो आपसे एक अपील ही कर सकता हूं और मै भी आप पर समय छोड़ सकता हूं आप मुझ जितना समय देना चाहे दे।

श्री के. एल. पोसवालः रणबीर सिंह जी, आप चेयर को भी कह गये।

चौधरी रणबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदया, अगर मेरे मुंह से ाकेई ऐसी वैसी बात निकल गई हो और गृह मंत्री जी उसकों साबित कर देंगे तो मै आप दोनों से माफी मांग सकता हूं। मै इस सरकार की तरह नही कि सवाल का जवाद उल्टे लफजों मे दू। यह तो सरकार का कायदा होता है कि यदि कोई गलती हो जाये तो मांफी मांग ले। हमसे जब गलती हो जाती थी तो हम रिग्रैट लिख कर दिया करते थे, लेकिन यह सरकार ऐसा नही करती। इसकी माफी मांगनी सीखनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैन कोई गलत शब्द इसतेमाल रि दयिा हो तो उसके लिए मै क्षमा मांगता हूं।

उपाध्यक्षाः जब मै समझती हूंकि आपकी तरफ से काई ऐसी बात नही हुई है तो इसका प्रश्न ही पैदा नही होता।

चौधरी रणबीरसिंहः उपाध्यक्ष महोदया, मै यह कह रहा था किक कई किस्म की बातें सुनी जाती है लोग कहते है कि सरकार कहती है कि हम हरियाणा वालों का या हरियाणा के बचों का या हरियाणा के अध्यापकगण का इन्तजमा करेगे, मै इस बात से इन्कार नही करूंगा। यह ठीक है कि देश के अन्दर कही कोई प्रादेशिक भावना पैदा नहो, इसके लिए हमेशा यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय में ऐ बात रखी गई कि हर प्रदेश के भाई इसमे

आये ताकि किसी प्रदेश में कोई ऐसी भावना न पैदा हो जाये कि देश के हितों के विरूद्ध हौं लेकिन यहा जो यूनिवर्सिटी बनी है उसमे यह माना जाता है है कि ज्यादा बच्चे और ज्याद प्रशिक्षक उसी इलाके के हाते है जिस इलको की वह यूनिवर्सिटी होती है। अगर हममें कोई गलती आ गई है तो हमें अपना कसूर मानना चाहिय। हम भी इस प्रदेश के हिस्सेदार है। छात्रों के असन्तोष को कैसे दुरूस्त करें यह सोचने की बात है। कोई लाठी से तो यह सिलसिला दुरूस्त हो नही सकता, समझौता कराने या उनकों समझाने से कोई बात जरूर बन सकती है। उनके दिल को कोई चोट पहुंचती है। उस पर मरहम पट्टी करने से शायद हम दुरूस्त कर कसे। वरना यह तो जबरबा कर रहे है वह काफी लम्बा होगा। इसके लिए आप जो पैसा रखेगें मै समझता हूं कि उसका कोई अच्छा इस्तेमाल नही होगा। चाहे वह पैसा ये दे या कोई औद रदे। मै सरकार से कहूंगा कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का जाब आज सवेरे यहां नात लिया गया तौ मैने ऐतराज कियाथा कि वे यहां जवाब नही दे सकते, ऐसा नही किया जाना चाहिये। जैसे उन्होने बताया अच्छा ही आदमी होगा जो इतना बड़ा तजरूबेकार है, और इससे अध्याप कभी तजरूबकार ही होगे लेकिन एक बात माननी होगी कि जो आन्तरिक झगड़े है उसको हम हल नही सके। उस झगड़े हो हल करने में हमें उनकी इमदाद करनी होगी और उनकों हमारी इमदादर करनी होगी हयां पर एक ऐसी सद्भावना पैदा होनी चाहिये जिससे कि लोग यह समझते कि यह हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है। और इकी इज्जत हमारी अपनी इज्जत है।

यहां पर हमारे गृह मंत्री जी ने एक कही। मै मानता हूं कि कुछ ऐसी बातें चली जिनका एक बहुत ही अजी सा इतिहास है। 1966 से पहले विश्वविद्यालय के अन्दर कोई झगड़े नही होते थै। यह झगडे तब से शुरू हुए है जब से 1966 मे बार कौसिल की सिफारिश पर यह एलान किया गया कि 'ला' का कोर्स आगे सते तीन साल का हो गया है।। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी जो कि हमारे नेता थे, ने मैट्रीकुलेशन का इम्तहान पास किया और उसके बाद वह विलायत से बैरिस्ट बन कर आ गये। इसके अलावा औरभी बहुत सारे नेता है जैसे सरदार बल्लभ भाई पटेल, जो कि ऐही ही बैरिस्टर अने । आज एक विद्यार्थी 13–14 साल लगा कर डिग्री लेता है और उसके बाद ला के लिय उसको तीन साल और लगाने पड़ते है। मेरे ख्याल से यह झगड़ा ला पढ़ने वाले स्टुडैन्टस, जिनकी बहुत जिम्मेदारी है, जिनको हम सिखा रहे थे कि वह देश के अन्दर कानून की कैस रक्षा करेंगे, की तरफ से खड़ा हुआ है मेरा ख्याल है कि जो गल्ती सैटर ने की है, सरकार उसको बताये। सारे देश के अन्दर एक बवंडर उठा हुआ है। मै मानता हूं और इसका मुझे तजरबा भी है कि आज तक भी विश्वविद्यालयों में शान्ति नही है। मै चाहता हूं कि यह सरकार शिक्षा में एक क्रांति पैदा कर दे। शिक्षा की क्रांति में हम बहुत पीछें है अमरीका क अन्दर, जैसे यहां किया जाता है। कि किताबों का रट्टा लगाया, और इम्तहान में लिखा दिया, नही किया जात। वहां तो किताब ले जाने का हुक्म है। वहा पर बड़े से बड़ा वकील और बड़े से बड़ा ऐडवोकेट जनरल जबानी नही बहस करता बल्कि

किताबों की पूरी मदद लेता है यहां पर क्या हाल है? यहां पर बच्चे कोई टैक्सट या कोइ रैफरैन्स बुम इम्तहानों मे नही ले सकते। यही नही और भर बहुत सारी बाते है, जिनको ंमै इस शिक्षा की कमिया समझता हूं। दूसरे देशों के अन्प्दर आप चल जाये। वहां इन्जीनियरों को या जो टैक्नीकल नौलेज वाले है, उनकों कई काम करने सिखते है लेकिन यहो का तो ढंग ही निराला है। यहां का पढ़ा हुआ इन्जीनिय प्रैक्टिल तौर परकाम जानता ही नही हैं वह तो कागजी दुनिया मे ंरहता है। इसमें उसका कोई कसूर नही हैं हमारे देश के विश्वविद्यालयों मे ंपढ़ने वाले बच्चे अपनी हाथ में घी की कटोरी उठा कर चलना भी अपनी बेइज्जती समझते है। यहा कोई अच्छी बात नही हैं हमार तो गीरब आदमियों का देश है। विलायत में कोइ भी ऐसा देश नही जहां पर कि पढऋने वाल बच्चे कोई न कोई काम करत हौ। लेकिन यहां पर तो वह कोई चीज उठाकर चलना भी अपनी बेइज्जती समझते है, यह उनका कसूर नही है, यह हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उसका कसूर है। जब तक हम अपनी परीक्षा की प्रणाली में सुधार नही करेंगे तक तक काम नही चलेगा। आखिर हमारे अध्यापकगण भी कही नह कही से ग्रैजुएट हो कर आये है, आज यदि हमारी सरकार और अध्याप गण के बीच मै लड़ाई चलती है तो इसका हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा पर रहे बच्चों पर, उनकी बुद्धि पर क्या असर होगा? मै सरकार से कहूंगा कि पैसा ही बहुत बड़ी चीज नही होती है यदि लोग पैसा कमायेगे, तो खर्चेगे भी। यदि प्रदेश के अन्दर आमदनी होगी तो वह विश्वविद्यालय के लिये

या दूसरे कामों में चर्चा भी होगी। पैसा और इकट्ठा करने की भी कोई बात नही लेकिन जब मैने इन्हे कहा कि देहातों के साथ ज्यादती हो रही है तो कहने लगे कि देहातों पर हम इसलिए इसलिए कम पैसा कर्चा कर हैं है क्योंकि हमें पैसा बचान है। मुझ इस बात का जरूर ख्याल है कि आज जो ऐडमिनिस्ट्रेशन पर हमार खर्चा ओवर हैड बढ़ता ही जा रह है, और जिससे कोई ज्यादा फायदा नही है, उसको रोकना चाहिए। हम जितना पैसा ज्यादा से ज्यादा फजूलखर्च होने से रोकेगे उतना ही प्रदेश का हित होगा। अप उस पैसे को हरियाणा के बनाने पर लगाये। मुझ मालूम है कि सरकार को इस सब चीज क बावजूद पैसे की जरूरत है मै इसकी मुखालफत नही करता। मैने सरकार से पिछली दफा भी कहा था और आज भी कहता हूं कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी की प्रसिद्धी या बदनामी हरियाणा की आनी सुनामी या बदनामी है। वहां शान्तिपूर्व ढंग से काम नही चला रहें वहां की अशान्ति में, चाहे पढ़ने वाले हो, शिक्षक या कोई और हो, कोई न कोई जिम्मेदार हैं वहां के झगड़े को शान्ति से निपटाने की जरूरत है उसमें हमारे प्रदेश की इज्जत बढ़ेगी। उसी में हमारे बच्चे जो वहां पढ़ते है और देखा देखी में ऐसी शिक्षा लेकर चले जिस पर कि उन्हे नही चलना चाहिए, उनका भला है। मै यह नही मानता कि इस चीज का इलाज नही हो सकता है। यदि सरकार चाहे तेा वह शान्ति से उन्हें समझाने के लिए ये चाहे कितनी ही पैसे खर्च करे, हमें काई एतराज नही परन्तु यह सरकार बहुत तेज है, इसमें बहुत तेजी है, काम में भी ाअैर दूसरी ाितें मे भी। इनके व्यवहार और विचार में

बहुत तेजी है। वे हमारे अपने बच्चे है किसी गैर के बच्चे नही है। इस देश के कर्णधार है। घर के अन्दर अगर कोई बच्चा गल्ती करता है तो उसके सुधार के लिये हमें सब कुछ करना पड़ता हैं अगर हमारे विश्वविद्यालयों के बच्चों में कोई खराबी आ गयी है तेा उनकों हमें सुधारना चाहिए। उनमें असन्तोष के कुछ मोथ्लक कारणहै और कई बसेकि बहूहात है उन पर सरकारको गौर करनी चाहिए। अगर इसके लिये इम्तहान की प्रणाली बदलने की जरूरत हो तो बदल दे। जैसे अमरीका के अन्द है चाहे वैसा कर दे और जिस तरह पहले रट्टा लगा कर बच्चे पा होत`ळ`वह खत्म कर दे। अगर अमरीका के अन्दर बगैर रट्टा लगाये काम चल सकता है तो यहां क्यों नही चल सकता? यदि अमरीका का पढ़ा हुआ यहां आ कर शिक्षा दे सकता है तो हिन्दुस्तान का पढ़ा हुआ बच्चा क्यों नही शिक्षा दे सकेगा। जो सिस्टम मैकाले यहा पर लगा गया, आज तक भी वही सिस्टम चल रहा है। उनका काम दूसरा था, उनका मुद्दा दूसरा था। हम आज कोई द्विभाषिये पैदा करने नही जा रहे है। हम तो इस देश के बनाने वाले पैदा करने ज रहे है। हमें सारा ढांचा और पढ़ाई का तरीका बदलना हेागा। हमारे गृह मंत्री जी हाउस से चले गये। आज हिन्दुस्तान की गृह मंत्री हमारी प्रधान मंत्री है ओर वह बहुत शक्तिशाली है लेकिन बच्चे बड़े शक्तिशाली होते है। मै नाम नही लूंगा। हमारे साथ पंजाब असैम्बली मे एक मानयोग मैम्बर हुआ करते थे। वे कहं करते थे कि हम चाहे जो कुछ भ्झी कर ले लकिन बच्चों पर काबू नही पा सकते। वे कहते कि बाप को हारने वाल बच्चे ही होते है.....

(विघ्न) बच्चे जब खराबी करते है, तो बाप को बड़ी शान्ति से सोचना पड़ता है, यदि घर में कोई तबदीली भी करने की जरूरत हो, तो हालात के मुताबिक वह करनी होती है। एक जमाना होता था जब कि मां बाप और बुजुर्गो के लिए बच्चों के दिलों मे श्रद्धा होती थी लेकिन आज जमाना बदल गया हैं जो इस जमाने के साथ साथ नही बदलेगा, जमाना उनको अवश्व बदलेगा। हमारी तरफ एक कहावत है कि जिस वक्त जवान खवे से ऊपर दिखने लग जाता है तो उसकों बराबर का समझा जाता है। और यदि वह कोई गल्ती करें तो उसे समझाया जाता है। मै कहना चाहता हूं कि बच्चों को हमें संभाल कर रखना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय के बच्चे गलत रास्ते पर चलते है तो हमें उन्हें समझा कर ठीक रास्ते पर चालने की कोशिश करनी चाहिए। इसके स्थान पर हम यह मानें कि हमारें पास शक्ति है हम उन्हे कुचल देंगे ता यह गलतफहमी होगी अंग्रेजों को भी बड़ा हौसला था, उनके राजय में सूरज भी नही छिप्ता था। लोग यह समझते थे कि अंग्रेज कुचल कर रख देगे। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिपाही तैयार किए। हमारे खन साहिब भी उन्ही सिपाहिसों में से है। मेरे खिलाफ जबान से कटु हो जाएंगे लेकिन हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे। हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध है तो अहिंसा की शक्ति से हमने अंग्रेज की शक्ति को हराया थां आज जो लोग यह समझते है कि हम शक्ति से किसी को दबा देगे, यह विचार ठीक नही है। बच्चों को शक्ति से नही दबाया जा सकता। बच्चों को प्यार से जीता जा सकता है। इसलिए मै वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे

पैसे की परवाह न करें। आए साल वही पुरानी कहानी वही बातें हने से कोई लाभ नही। वेसे तो कहते है कि हम कोई टैक्स नही लगाते लेकिन चुपचाप बढ़ाते रहे है। अब कोई अैक्स नही लगाया है लेकिन कुछ दिना बात कोई नोटिफिकेशन निकालकर बढ़ा देगे। कितनी फीस अब तक बढ़ा दी गई है।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन): चौधरी साहब कौनसी फीस?

चौधरी रणबीर सिंहः आप तो देख रही है कि मेरसा समय समाप्त होने जा रहा है मै सारी इन्फर्मेशन कि कौनसी फीस बढ़ी है जब बजट पास किया जाएगा उस समय दूंगा। मेरा तो अंत में इतना ही कहना है कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय मे अगर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के झगड़े खत्म हो जाएं तो हमारे प्रदेश की जितनी इज्जत बढेगी उसका अन्दाजा नही लगाया जा सकता।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदो): डिप्टी स्पीकर साहिब, अरबन इम्मूवेबल प्रापर्टी टैक्स में जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसके सम्बन्ध में मै बताना चाहता हूं कि पिछला सैशन में वित्त मंत्री महेदया ने लैड रेवेन्यू पर 50 प्रतिशत सरचार्ज पांच साल के लिए बढ़ाया था और इस अमैन्डमेंट के जरिए एक साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। उस वक्त मेने इस बामें मे कहां था तो यह जवाब दिया गया था कि शहरों में प्रौपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स दोनों लगते है। हम दोनो को अमैलगमेंअ करके एक ही कर

देगे लेकिन वहां तो यह काययाब नही हुए। सुबह चीफ मिनिस्टर साहिब ने गवर्नर साहिब के ऐड्रैस के जवाब में बताया कि हरियणा हिन्दुस्तान में पहली स्टेट है जिसने कई चीजों में बहुत तरक्की की है।

डिप्टी स्पीकर महोदया, हरियाणा में ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो अब कायम हुई है लकिन कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो उस वक्त कायम हुई थी। जब डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। यह विश्व उनके दिमाग की उपज थी और उन्होने इसे संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से बनाना चाहा। कुरूक्षेत्र जहां महाभारत की लड़ाई लड़ी गई और जहां गीता का उपदेश दिया गयौ उन्होने वहां इस विश्वविद्यालय को कायम किया हिन्दुस्तान के अन्दर कोई भी ऐसी स्टेट नही है। जो अपनीयूनिवर्सिटी चलाने के लिएकोई सरचार्ज या ऐडिशनल टैक्स लगाए। यह सिर्फ हरियाणा में ही हो रहा है। जब ज्याायंट पंजाब था तो यह टैक्स शायद अरबन इम्मूवेबल प्रापर्टी पर था ओर जब हरियाणा बना तो इसकों जारी रखा गया। अब इसे 1975 तक बढ़ाया जा रहा है, लोग इसके लिए टैक्स देगे। बजाए इसके कि इसकों पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए आजकल इसकां सैयासत का अखाड़ा बनाया ज ारह हैं पिछले दिनों हमारे चीफ मिनिस्टर सहिब गए थे और इन्होने ऐजूकेशनिस्टों को धमकी दी थी उन्हे निकाल दिया जाएगा, इस तरकी बाते वहा ंपर की। इस बात का उन लोगों ने बहुत रामनाया और उन्होने एक सैपरेट मीटिंग की और यह पास किया कि हमारे

साथ जो इस किसस्म का व्यवहार किया गयाहै वह बहुत बरुी बात हैं उसके साथ साथ वहां पर लड़कों भी एक रैजोल्यूशन पास किया क्योंकि ये वहां पर लड़कों को भी धमकी दे आए थे कि इनकों निकाल दिया जाएगाा, सस्पैड कर दिया जाएगा। वहां पर स्टुडैटस यूनियन का प्रैजिडैट था, वह रिसर्च का स्टुडैंट था। यह हरियाणा की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अव्बल तो यहां रिसर्च के लिए कोई पैदा नही होता और अगर हाता है तो उसकों तंग किया जाता है उस प्रैजिडैंट का रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करा दिया और उसकों जो रिसर्च स्कॉलरशिप मिलता था वह वापिस ले लिया और उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। यह सियासत का एक अखाड़ा बना हुआ है। जितना पोलिटिकल इन्टर होगा या बाहर क आदमी जाएंगे उतनी ही ज्यादा गड़बड़ होगी। यूनिवर्सिटी एक फंक्शन होता है जिसकों कनवोकेशन कहा जाता है। उस वक्त भी यही कोशिश होती है किसी ऐसे आदमी को बुलाया जाए जो लिटेररी हो, हाई कोर्ट का जज हो या कोई डिसटिग्विश्ड आदमी हो। पोलिटिकल इंटरफियरैन्स नही होनी चाहिए। इसकों अवाएड करना चाहिए और वहां पर जो शिक्षा है उसका ठीक ढंग से प्रबन्ध होना चाहिए।

कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी में इसलिए स्ट्राईक है क्योंकि वहां पर उनको ंखाना अच्छा नही मिलता है। वहां पर जो वार्डर लगे हुए वे पैसा लेते है, इसलिए लड़कों को अच्छा खाना नही मिलता। आखिरकार वे पोस्ट ग्रेजूएट क्लासिज के लड़के है, वे अपने घर

पर भी अच्छा खाना खाते है। वहां पर एक अलग से इंजीनियरिग इंस्टिच्यूशन है उसके अन्दर खाना बहुत अच्दा दिया जाता है। वहां पर ला के भी लड़के पढ़ते है। जब उनकी शिकायतों पर ध्यान नही दिया जाता तो ला एंड आर्डर की पोजीशन भी वहां खराब होती है और ला एंड आर्डर की प्रौब्लम क्रिएट होती है। उनकों चाहिए कि शुरू से ही उसका ठीक इन्तजाम करें और वहां के वाईस चांसलर को कहं कि जो खाने के बारें में शिकायत है उसकों ठीक रें। इसएिल मै वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि अव्वल तो इस यूनिवर्सिटी के लिए सैप्रेट टैक्सेशन बदं करनी चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ग्रांटस वगैरह देनी चाहिए। यहां पर उन्होने बताया था कि हम और नए टैक्स नही लगाएंगे लेकिन आज तीन चार किस्म के टैक्स आहिस्ता आहिस्ता से ले आए हैं तो मै समझता हूं कि यह लोगों की आंखों में धूल डालने वाली बात है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर टैक्स लगाया भी जाता है तो जो लोगों ने पैसा वसूल किया जाए उस पर जायज इस्तेमाल होना चाहिए, वह रूपया अगर लड़कों को तालीम के लिए सही तरीके से खर्चा जाए तो हमें काई एतरज नही लेकिन उस मे ंभी पौलिटिक्स लजाने की कोशिश की जाती है। हमारे हरियाणा में यह केवल एक यूनिवर्सिटी हैं कहने को ये कहते है कि हम ऐड दे रहे ळे लेकिन इधर इस ऐक्ट के जरिए पैसा ले रहे ळै और उसको इन्होने यूनिवर्सिटी को ट्रांस्फर करना है। यह कोई ग्रांट नही है औ न ही ऐड हैं जब यह रूपया लोगों पर टैक्स लगा कर यूनिवर्सिटी को जाता है और यह ने ऐड अै औ नही ग्रांट है

तो फिर यूनिवर्सिटी के अन्दर यह भावना पैदान नही होनी चाहिए कि अगर हमने काई बात गवर्नमैंट की मन्शा के मुताबिक न की तो हमारी ऐड या ग्रांट बंद हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पैसे को नाजायज इस्तेमाल नही होना चाहिए। मै कहता हूं कि लोगो ंपर टैक्स लगाने की बताए गवर्नमैट को अपने बजट से यूनिवर्सिटी को मदद देनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इन्होने वहां पर वातावरण खराब यिका है वहा कोई शोभा बढ़ाने वाली बात नही है। वहां पर जो रिसर्च स्टुडैंट की रिजस्ट्रेशन कैंसल करवाई है और उसका स्कालरशिप बंद करवाया है वह उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए और उसकी स्टडी कन्टिन्यू करवाई जाए। मै जाती तौर पर उस लड़के का वाकिफ नही हूं और नह ही वह मेरी जात बिरादरी का है ओर नह ही मेरी कांस्टिच्वैंसी का है लेकिन चूंकि वह हरियाणा का लड़का है इसएिल मै कहता हूं कि उसको हायर एजूकेशन का मौका दिया जाना चाहिए और विकिटमाईज नही करना चाहिए। हो सकता है वह कल को दुनिया में चमके और हरियाणा का नाम रोशन करे। बस इतना कह कर मै बैठता हूं।

वित्त मंत्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन): डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी रणबीर सिंह जी ने और सिगोल साहब ने अपनी स्पीचों में इा बात पर जोर दिया है कि जो बजट प्रपेजल्ज है उनका जिक्र बजट स्पीच में आना चाहिए था। मै निदेदन करना चाहती हूं कि हम को कतन ऐसा करने में गुरेज नही था। हम

बजट सैशन में ही बिल को लगए है क्योंकि पिछली दफा सन् 1971 तक का बिल पास हुआ था, अब हमने उसकों 1975 तक का किया है ंपिछली दफा मैम्बरों को यह शिकायत थी लैंड रैवन्यू पर सरचार्ज लगाया गया है। ओर प्रापर्टी टैक्स नही लगाया गया। मैने उस वक्त भी कहा थाकि सरकार ने हाउस टैक्स ओर प्रापर्टी टैक्स को अमैलगमेंट करने के लिए कमेटी बनाई हैं उस कमेटी की रिपोर्ट अब सरकार के पास आ गई है, जल्दी ही सरकार उस पर निर्णय लेगी और उसक पर अमल किया जाएगा। इस बिल पर बोलते हुए अधिकतर बातचीत कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारमें की गई है और यह कहा गयाहै कि उसको ंबजट में से रकम देनी चाहिए। मै उन मैबर साहिबान को यह बताना चाहती हूं कि यह सरचार्ज जो है यह हमारी सरकार नह नही लगाया, यह तो राव साहिब ने लगाया था और वह पूराना ही चला आ रहा है। इसएिल जो चीज पुरानी चली आ रही है। उसको बजट में लाने की जरूरत नही होती। दूसरी बत यह है कि इस विश्वविद्यालय का सारा खर्चा केवल इसी में से ही पूरा नही होता। पिछली दफा जब हमने बजट पास कियाथा तो उसे ंसे हम ने 80 लाक्ष रूपए के करीब दिए थे और जहां तक इस टैक्स का ताल्लुक है यह भी कंसौलिडेटिड फण्ड में जाता है ओर बाद में हम उनकों देते है। इसके इलावा यहां पर यह काह गया कि यह संस्कृत विद्यालय होनी चाहिए थी क्योंकि यहां पर महाभारत का धर्म युद्ध हुआ था ओर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै समझती हूं कि आज जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का

संचालन हो रहा है वह ठीक है। आज के युग में अगर हम दूसरी विद्या से अपने छात्रों को महरूम रखेगे तो वह इस सायंस के युग मे दूसरे के साथ कम्पीट नही सकेगे। महाभारत के जमाने में आप जानते है। कि साइंस का बड़ा जोर था और हम चाहते है कि वैसा ही अब भी वहां पर होना चाहिए। जहां तक डिसिप्लिन वगैरा की बात है आजकल सभी जगहो पर कुछ यूनिवर्सिटीज में हो रहा है वहा सभीको मालूम है, लेकिन मै समझती हूं कि कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रैजैट वाइस चांसलर के आने से वहां पर वातारण काफी सुधरा है। बाकी सरकार का मन्शा बिल्कुल ऐसा नही है कि किसी तरीके से उसमे ंपौलिटिक्स को रखा जाए। इस बिल में कोई खास बात नही थी। इसमें सिर्फ दो प्रपोजल्ज है। एक तो 1971 से इसको 1975 तक किया गया ओर दूसरी बात यह है कि जो एक दो एरिया में हमारी वैल्युएशन की मियाद है वह मार्च में खत्म होने वाली थी, उसके लिए चूंकि समय लगता है इसलिए हमने तीन साल का वक्फा मांगा है। हम प्रौपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को रैशनेलाईज करने जा रहे है, इसएिल अगर हम पहले वैल्युएशन लिस्टस तैयार कर लेगे तो वह बाद में हमकों फिर चेंज करनी पड़ेगी और हमारी पहली लेबर सारी जाया जाएगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ने मियाद मांगी है ताकि वैल्युएशन लिस्टस ठीक तरह से बनाई जा सके। इन दो बातों के लिए हमने यह बिल पेश किया है। हाउस को मै निवेदन करूंगी कि इसको पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration

The motion was carried

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimati Om Prabha Jain: Madam, I beg to move-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB MOTOR VEHICLES TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Madam, I bet to introduce the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971.

Madam, I also beg to move-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

THE PUNJAB MOTOR VEHICLES TAXATIN (HARYANA AMENDMENT) BILL

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज चीफ मिनिस्टर साहब ने राज्यपाल महोदय के

धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए बताया था कि वह हरियाणा की 80.02 फीसदी ट्रांसपोर्ट नेशनेलाइज कर चुके हैं और 31 मार्च तक और भी करे देगे और शायद थोड़े बहुत रूटस ही रह जायेगे जहां इनकी मोटरे नही चलेगी। इन हालात में मेरी समझ में नही आता है कि इस बिल के लाने की क्या जरूरत थी ओर इससे क्या फायदा होगा? यह तो एक खाता का पैसा दूसरे खाता मे लेने देने की बात ही होगी और यह सिर्फ पेपर ट्रांजेक्शन होगी। यह तो बिल का हौआ बना कर ख्वामखाह प्राईवेज औप्रटर्ज में, जो चंद रह गये है ओर वे भी मार्च के बाद इनके कहने के मुताबिक खत्म होने जा रहे है, रिजैटमैंट पैदा कर रहे ळ। इससे स्टेट को कोई फायदा भी नही होने वाला है क्योंकि एक तरह से वह बिल सिर्फ दो तीन महीनों के लिये है और उसे बार सारी ट्रांसपोर्ट इनकी ही हो जानी है। या ाते यह बात है कि इनके दिल में ऐसी कोइ चीज है कि कुछ एक प्राईवेट ट्रांसपोर्ट वालों को लाइसैस देकर उनके रूटस ऐक्सटैड करना चाहता है और अगर यह बात नही है तो इस बिल को कोई फायदा नही है क्योंकि इस टैक्स से सारी इनकम स्टेट फंड से ही आयेगी और स्टेट के फंड में ही जायेगी और सिर्फ कागजी कार्यवाही ही बढ़ेगी। इन हालात में मै समझता हूं कि इस बिल की कोई जरूरत नही है।

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, वैसे तो यह बिल बड़ा मासूम या मालूम देता है लेकिन इससे जितना

आज टैक्स है उससे दुगना हम करने जा रहे है। हमारी गाड़ियां आज बहुत सारी सरकारी हो गई है और रहती है वे भी जैसे ये कहते है सरकारी होने जा रही है। मुझे मालूम देता है कि इस बिल पर काफी सोच विचार की जरूरत है।.....

श्री बंसी लालः चौधरी साहब ज्याद लम्बी सोच न सोचा करें यह इतनी सोच की बात नही है। (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंहः यह मैने इस लिये कहा और मेरी परेशानी इसएिल है कि आज हमारी गाड़िया जम्मू तक जाती है, जयपुर और देहली जाती है। अगर हमने टैक्स बढ़ा दिया तो जो कही थोड़ी बहुत प्राईवेट गाड़िया होगी दूसरी स्टेट्स भी टैक्स बढ़ा देगे और.....

श्री बंसी लालः चौधरी साहब टोकन टैक्स दूसरी स्टेटस में नही दिया जाता। अपनी स्टेट की गाड़ियां जब टोकन टैक्स अपने हां दे देती है तो दूसरी स्टेट् वाले क्लेम नही कर सकते है।

चौधरी रणबीर सिंहः यह तो ठीक है लकिन इसमें एक और बात भी और वह यह है कि पैप्सू रोड कारपोरेशन में हम हिस्सेदार है और उनका सारा ही टोकन टैक्स पंजाब वाले ही ले रहे है क्योंकि वह सारी गाड़ियां वहा ही रजिस्टर कराते है। सह तो अच्छी बात है कि जिस बात से मै डरता था उस बारें में उन्होने कह दिया कि वह रीएक्शन नही होगा जिसका मुझे खदशा था, लेकिन अगर फर्ज किया कल को कोई आपस में समझौता

ऐसा हो जाये कि जो गाड़िया चलत है दूसरे प्रदेशों की, जिनकों हमारे प्रदेश में चलने की हक है कानूनी तौर पर और हम कहे कि तब चलने देंगे अगर हमारे यहां कुछ परसैटेज रजिस्टर कराओं तो.....

Sh. Bansi Lal: If any such thing happens, it will be reciprocal.

चौधरी रणबीर सिंहः मै वही बात कहने लगा था। मै कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की चंद गाड़ियों की बात हो तो काई बात नही लेकिन अगर इससे इन्टरस्टेट झगड़ा बाद में खड़ा हो तो यह सोचने की बात है। ऐनऐब्लिग अख्तियारात देने में हमें कोई इतराज नही लेकिन शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त यह ध्यान रखा जाये कि कोई आपस में झगड़ा न हो जाये और बजाये फायदा के घाआ होना शुरू हो जाये।

Sh. Bansi Lal: There will be no iner-state dispute.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimat Om Prabha Jain: Madam, I bet to move-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxatin (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxation (Haryana Amendment Bill be passed

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Madam, I request that the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971, be taken up first.

Deputy Speaker: All right.

Sh. Om Prabha Jain: Madam, I beg to introduce the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971

Madam, I also bet to move-

That the Punjab Passengers and Goods. Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Passengers and Goods Taxatio (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Sh. Bansi Lal: There will be no iner-state dispute.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Shrimat Om Prabha Jain: Madam, I bet to move-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxatin (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Motor-Vehicles Taxation (Haryana Amendment Bill be passed

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (HARYANA AMENDMENT) BILL, 1971

Finance Minister (Sh. Om Prabha Jain): Madam, I request that the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971, be taken up first.

Deputy Speaker: All right.

Sh. Om Prabha Jain: Madam, I beg to introduce the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1971

Madam, I also bet to move-

That the Punjab Passengers and Goods. Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Passengers and Goods Taxatio (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो भिक्षावृत्ति बंद करने के बारमें में बिल हमारे सामने आया है इसके लिए सचमुच सरकार बधाई की पात्र है और मै समझती हूं कि यह अच्छी बात की गई है। मुझे इस बात की भी खुशी है। कि चाहे हमारी स्टेट छोटी है लेकिन यह काम हमारी स्टेट से शुरू हुआ। इसके साथ साथ में यह कहना चाहती हूं कि गलियों की भिक्षा से लेकर हम आय यू.एन.ओ. तक भीख मांगने चले गये है। मुझ यार आता है कि जब भी कभी यहां देश में अकाल पड़ा तो विदेशों में वहां के छोटै छोटे बच्चों ने भी अपना पौकेट मनी बचा बचा कर हमारे लिये भेजा कि हिन्दुस्तान के लोग भूखे मर रहे है। मै समझती हूं कि हय भी बैगरी है। उपाध्यक्ष महोदया, बिहार में अकाल पड़ा तो लोग भीख मांगते थ। भीख मांगने के एिल धर्म भी छोड़ देते थे और बहुत सारे क्रिशचियन बन गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि भीख मांगना हमारे संस्कार में है। पहले

लोग जनेऊ के नाम पर गांवों में भीख मांगते थे। बोद्धीजम और जैनीजम में भिक्षा मांगने की संस्थाए है जो हमें संस्कार के रूा में का कर रही है। हो सकता है संस्कार में भिक्षा वृत्ति होने के कारण ही ये संस्थाए संसार के नक्शे पर छाई हुई है। संसार में कोई ऐसा देश नही छोड़ा जहां पर ये मांगते न हो। मै चाहती हूं कि हम सारे हिन्दुसतन मे इस भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिए इस तरह का कोइ ऐक्ट लाएं ताकि हमारे देश की शोहरत दुनिया में कायम हो। इस वृति के कारण हमारे देश की शोहरत बहुत नीचे हो गई है। आपने दखा होगा, जापान और जर्मनी जैसे मुल्कें के दो दो टुकड़े हो गये, जिनकी आबादी का एक चौथाई हिस्सा तबाह हो गया था, लेकिन उन्होने भिक्षा–वृत्ति को नही अपनाया जिस तरह हमारे देश में अपनाया गया है मै तो चन्दा मांगने के भी खिलाफ हूं। यह भी एक प्रकार की भिक्षा ही है। गरीब आदमी भिक्षा मांग लेता है और अमीर चदा मांग लेता हे। मै समझती हूं कि चन्दे के नाम पर देश में इतनी भारी कुदरप्शन हो गई है जिसकी कोई हद नही। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै सदन को बताना चाहती हूं कि कैनेडा में चुनाव लड़ने के लिए सरकार की तरफ से उम्मीदवारों का पैसे मिल जाते है लेकिन वे चन्दा नही मांगते। यहां सेठ और शाहूकारों से चुनाव के लिए चन्दा मांगा जाता है। सेठ या शाहूकार अपनी जेब स चन्दा नही देता वह वास्तव में सरकारी खजाने से ही चन्दा देता हहैं क्योंकि जब वे चन्दा देते है है तो इस चन्दे की बिना पर कई गुना फायदा उठाते है। जो कि लोगों के खून पसीने की कर्मी होती है। हमारे

एक मित्र है जो कह रहे थे मुझे 10 लाख रूपये का फायदा हाता है और उसमें से 10 हजार रूपया पौलिटिशियन्ज की जेब में कहा है जो शाहूकार की दे दें? वह सरकारी खजाने से आता है। फिर कहां जाता है कि कीमते बढ़ रही है, कीमतैं क्यो नही बढ़ेगी? जिस व्यक्ति से चन्दा लेते है वक कीमते जरूर बढ़ाएगा। सरकार को इस चीज पर कोई न कोई चैक रखना चाहिए। गवर्नमैंट सवैंट कहता है कि तन्खा बढ़ा दो। जिस दिन तन्खाह बढ़ती है। उसी दिन से कीमतें बढ़ जायेगी क्योंकि शाहूकार ने चन्दा देकर फायदा उठाना है। इस सभी चीजों का कारण यह है कि हमारे संस्कार में भिक्षा वृत्ति है। हम संकोच नही करते कि किस चीज का चंदा मांगते है। मै आपकों चर्खी गांव के एक जमींदार की बात बताती हूं। हमारी तरफ एक बार अकाल पड़ गया था। अकाल के कारण जमींदार के पास खाने की सामग्री खत्म हो गइ। भीख मांगने की आदत नही थी। उसेन भीख मांगने के लिए एक लाठी पर झोली बांध ली। जिस किसी के घर जाता था लाठी पर बंधी हुई झोली सामने कर देता था। इस तरह उसका गुजार कई साल तक होता रहा कई साल के बाद पंचायत हुई। पंचायत में उसको कहा गया कि अरे तू क्या बोलता है तू तो भीख मांगता था'। उसने कहा–'मै लाठी के ठोर लेता था'। इसी तरह पौलिटिशियनों होता है, चन्दे के बहाने भीख लेते है। हमें इस कुरप्शन को खत्म करना चाहिए। हम छोटे मुलाजमों को कहे है कि फलां आदमी ने रिश्वत ली है। इसलिए उसकों ससपैड कर दो। सस्पैड तो कर दे है लेकिन यह नही देखते है कि यह वृत्ति कहां से पैदा होती है? इसका कारण

यह है कि हमारे सिस्टम में, संस्कार में भिक्षा वृत्ति आ गई है। चाहे इसकों भिक्षा वृति कहो, चाहे भीख कहो, चाहे चन्दा कहो और चाह डोनेशन कहो, एक ही बात है। अगर सरकार चन्दा मांगने की वृत्ति को खत्म करने के लिए कोई ऐक्ट लाये तो मै हरियाणा सरकार को बंधई दूंगी। अगर हमने मंहगाई बन्द करनी है, चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकना है, अडल्टैशन को रोकनाहै व्यापरियों को ईमानदार बनाना है, चोर–बाजारी को रोकना है तो इस चन्द्र रूपी भिक्षा को खत्म करने के लिए एक ऐक्ट लाना चाहिए, तभी कुरप्शन को दूर कर सकेगी। बिना ऐक्ट से ये चीजें बन्द नही हो सकती। हमें मालूम है कि सरकार बहुत काम कर रही है। लेकिन कुरप्शन की वजह से सूबे को आत्म निर्भर नही बना सकती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे एक उदाहरण याद आ गया है। किसी खाते पीते जमींदार के घर पांच छः बहू बेटे–बेटिया थी। उन सबन ने अलग अलग 'गांठी' करनी शुरू कर दी। कोई घर का अनाज बेचे, कोई बछढ़ा बेच दे, जिसका जो जी चहो बेच कर पैसा अपनी गांठ में रख ले। उस घर मे ंचाहे जितना अनाज पैदा हो, 10 हजार मन पैदा हो, उसका पता ही नही लगता था कि कहां जाता है। धीरे धीरे उस घर का दिवाला निकल गया यही हाल हामरी सरकार का है। जो भाई ऊपर बैठे है वे ही व्यक्तिगत गांठे बनाने लगे हुए है। गवर्नमैंट चाहे जितनी डवैल्पमैंट के काम कर दे, चाहे बिजली लगवा दे, चाहे कुछ कर दे, जा घर के बेटे–बेटियां की तरह ऊपर बैइे हुए लोग है आपने व्यक्गित गांठे भरने मे ंलगे हुए है वे हमारा दिवाला निकाल देगे, हमारे चरित्र

का दिवाला निकाल देगे। कोई भी आदमी महफूल नही रह सकता, किसी भी आदमी को कोई सिक्योरिटी नही कि वह चरित्रवाल रहे सके। यह जो बैगरी बिल अयाहै इसका क्रेडिट प्रभु सिंह जी को आना है क्योंकि यह उन्ही का महकमा है। अगर इसी तरफ चंदे लेने की वृत्ति खत्म करने के लिए बिल ले आंए तो हो सकता है कुछ लोगों की दुकान बन्द हो जायेगी जो चन्दा ले ले कर लखपति बने बैठे है। अगर ये लखपति खत्म हा जाएं तो देश में एक नई रिवायात हो जाएगी। यह देश के लिए नई बात होगी देश के लिए एक नये रास्ते का निर्माण होगा और सरकार की अच्छी शोहरत होगी। इन शब्दों के साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, चीफ मिनिस्टर साहब, चले गये है, अगर होते तो अच्छा होता क्योंकि मै इस बात के लाने पर सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सूबेदार साहब को ता बेधाई नही दूंगा क्योंकि यह उनके अपने दिमाग की बात नही है। अगर इनके अपने दिमाग की बात होती तो मै इन्हें बधाई देने के लिए तैयार होता। (सूबेदार प्रभु सिंह की तरफ से विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह ऐक्ट हरियाणा के लिए बड़ा जरूरी थी क्योंकि भीख मांगने की लानत बहुत ज्यादा फैल गई है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में मंगते बहुत ज्यादा थे। दिल्ली के बाजारों में इनकी लाईनों की लाईनें लगी रहती थी ओर जगह जगह भीख मांगते फिरते थे। बाहर से

जो फौरनर्ज आते थे वे इन मंगतों को इकट्ठा करके रीले बनाते थे और अपने मुल्क में लोगों को दिखाते थे ओर कहते थे कि जो पैसा हिन्दुस्तान का दिया जात है वह इन गरीबों पर नही बल्कि पार्टी प्रागेगण्डा के लिए इस्तेमाल होता है। नतीजा यह होता था कि बाहर से पैसा नही मिलता था। इस बिना पर कि इनके हमारे मुल्क की बेइज्जती होती है गवर्नमैंट ने दिल्ली में भीख मांगना बंद कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वे दिल्ली के चारों तरफ निकल गये और हरियाणा में दाखिल हो गये। आपने देखा होगा, अगर कभी अम्बाला कैंट के बस स्टैंड पर जाने का मौका मिला हो, कि कई मुस्टंडे बिल्कुल ठीक ठाक है, बड़ी अच्छी तरह से कमा कर खा सकते है, हाथ में डिब्बा लिए मांगते है और मुसाफिरो ंको तंग करते है। कल जब मै आया तो वहां पांच–छे खड़े थे बाकि पहले एक दो हुआ करते थे। इस बात को रोकने का जो विचार गवर्नमैट ने किया यह एक अच्छी बात है लेकिन मै इसमें कुछ संशोधन देना चाहता हूं। सैक्शन 1 की क्लाज 3 में लिखा है:–

"(3) It shall come into force in any areas of the state, one such date or dates as the state Government may be notificatioj appoint in this behalf for that area."

Wish that it should be delected and it should be read as:-

"(3) It shall come into force at once."

जो लिखा हुआ है कि स्टेट के किसी हिस्से में नोटिफिकेशन के जरिए यह कानून पहले यू हो जाएगा और किसी हिस्से में बाद में होगा यह बात नही होनी चाहिए। यारी में इसे फौरन लागू कर देना चाहिए।

दूसरे यह जो कोर्ट की डैफिनिशन दी है किः—

"(g) " Court" means the court of the Judicial Magistracte aon any class exercising criminal jurishdiction in the area in which this Act in force;"

उसके बाद यह दिया है कि पावर्ज कौन सी कोर्ट में वैस्ट करेंगीः—

4. (1) Where a person is brought before a court under section 3, the court shall make a summary inquiry in the prescribed manner as regards the allegation that he was found begging".

प्राइमरी प्रोसीजर इन्होने रखा है कि समरी प्रोसीजर के बाद कनक्विकशन हो जाए लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को समरी प्रोसोडिंग्ज के अख्तियार नही होते। ये अख्तियार हाई कोर्ट से दिए जो है ओर कुछ स्पैशल मैजिस्ट्रेटस को ही होते है जैसे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फस्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रैअ। तो इसे अन्दर जो कोर्ट की डैफिनिशन दी गई है—

It Should be amended as :-

"Court" means the court of a Judicial Magistrate of any class haveing powers to deciae it summarily be exercising criminal powers in the area in which this Act is in force."

Then there is Clause 31, in which it is stated:-

"(1) The State Government may, by notification and subject to the conditon of previous publication make rules for carrying out the purposes of the Act".

इसमें 'में' के बजाय 'शैल' होना चाहिए। यह तो औबलिगेटरी होना चाहिए और इम्मीजिएटली ऐनफोर्स करके इस बीमारी को इस प्रदेश से हटाना चाहिए। आप देखे इनके पास न ाते कोई कपड़ा होता है जिसे ये शरीर के ऊपर ले सकें और न रहने को कोई ठिकाना होता है। मगर फिरी भी बड़ऋे मजे से रहते है और इन्हें कोई सदी महसूस नही होती जबकि हम लोग रजाई लेते है, नचे गदेला होता है, ऊपर कभी कम्बल भी लेते है और फिर चार दीवारी के अन्दर होते है परन्तु फिर भी सर्दी महसूस करते है। इसका क्या कारण है? कुछ लोग कहते है कि आदम बन जाती मगर यह आदत वाली बात नही। ये लोग सुलफा और शराब आदि पीते है और सारी की सारी रात नशे में काट जाते है। इस लिए इनकों सर्दी महसूस नही होती। यह पैसा लेकर नाजायज इस्तेमाल करते है। इस बिल से एक तो यह बीमारी दूर होगी और दूसरे मांगने वालों को पता लगेगा कि वे मांग कर गुजारा नही कर सकते लेकिन उन्हें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। इससे हरामखोरी दूर होगी और ऐसा करके हमें अपने मुल्क की बड़ी भारी सेवा करेगे। ट्रेजरी बैचिज से चन्द्रावती जी ने

दूसरी स्टेटों के बारें में बहुत कुछ कहा लेकन मै बातना चाहता हूं कि हमारी स्टेट के अन्दर भी बहुत बुरी हालत है। कई कौम्यूनिटीज ऐसी है जो बाई प्रोफैशन मांग कर खाती हैऔर दूसरी तरफ ध्यान नही देती। उनकों इस बीमारी से बचाने के लिए था यह सिखाने के लिए हर आदमी को कमा कर खाना चाहिए तथा प्रदेश के लोगों की हालत सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी बिल है। मै सूबेदार साहब को जो इस बिल का लाये बड़ा धन्यवाद करता हूं और रिक्वैस्ट करता हूंकि जो अमैडमैन्ट मैने दी है इसकों एक दम बड़ी संख्ती के साथ सारी स्टेट में लागू करना चहिए, उस पर ये गौर फरमायेगे।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल आया है इसकों लाने के लिए वैसे तो मै इस सरकार की तारीफ करता हूं क्योंकि देश में भीख मांगने से बदनामी होती है। लेकिन इस बिल में कुद तबदीली चाहता हूं। बहुत से आदमी ऐसे होते है जिनमें हाई कोर्ट के जज भी होते है सुप्रिम कोर्ट के जज भी होते है, राजे महाराजे भी होते है, वे जब सन्यास लेते है, चौथी अवस्था में प्रवेश करते है। तो सबसे पहले गुरू मन्तर लेते है। कि पांच घरों में भिक्षा मांग कर रोटी खायेगे। यह उनका एक नियम है। अभी मै कुछ दिन पीछे हरिद्वारा गया था। एक बहुत अमीर आदमी थ, करोड़पति आदमी था। उसके बेटे ने उसे कहा कि पिता जी आप यहां रह कर भजन करें सारा खर्चा मै दूंगा लेकिन उसने कहा कि मुझे खर्चा वर्चा कुछ नही चाहिए, मै तो

पांच घरों में मांग कर रोटी खाऊंगा। इसी तरह की बाम मुझे मथुरा बृन्दावन में देखने को मिली। एक बहुत बड़ा आदमी इस्तीफा देकर वहा आया। उसकी घर वाली और लड़का भी उसे साथ थे। उन्होने उससे कहा कि आप यहां भजन किया करना नौकर आपको रोटी बना दिया करेगो। मगर उसने भी उनकी बात नही मानी और खुद पांच दरवाजे से रोटी मांग कर खाता था। तो इस किस्म के बहुत से महात्मा लोग है जिनके ऊपर इस बिल के द्वारा पाबन्दी नही लगनी चाहिए क्योंकि इस तरह से मांग कर खाना उनका एक नियम है। वे समझते है कि जब तक वे इस तरह से मां गर नही खांयेगे तब तक उनका बड़प्पन कम नही हो सकेगा। कही ऐसा नह हो कि उन लोगो के भी मांगने न दिया जाए ओर वे अपना नियम पूरा न होने की वजह से बिना रोटी खाये ऐसे ही शरीर बदल जे। नियम हमेशा नियम होता है। कोई आदमी बिना नियम के चल नही सकता। कोई मोटर गाड़ी बिना नियम के नही चल सकती। कोई आदमी टाईम टेबल के बिना ठीक ढंग से चल नही सकता। यह सूर्य भी बिना नियम के नही चल सकता। इसलिए उन लोगों के कुछ नियम होते है वे लोग अपना घर बार सामान, धन दौलत सब कुछ त्याग कर किसी तीर्थ स्थान पर जाकर बैठते है। और जब तक वे पांच घरों से रोटी मांग कर नही खाते तब तक उनकों सन्यास नही मिलता।

कुछ आदमी मस्ती से भिक्षा मांगते है। उनका इन्तजाम जरूर होना चाहिए लकिन कुछ आदमी अंग–हीन होते है जैसे की

के टांग नही होती, किसी के हाथ नही होता, किसी के आंख नही होती और उनके पासकोई चारा नही होता सिवाए इसके कि वें मांग कर खाएं, ऐसे लोगों का सरकार को कोई परमानैन्ट इन्तजाम नकर देना चाहिए ताकि उन्हें भी कानून से परेशानी का सामना न करना पड़े। (विध्न) हमारी सरकार तो यह कर देगी मगर किसी और स्टेट ने अगर इसकी नकल करके बिल तो पास कर दिया मगर इस बात को ध्यान में न रखा जाए तो जो लोग बेकस है, बे–सहारा है, जनके टांग नही है, आंख नही है, कान नही है वे मारे जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस बिल में कोई प्रोविजन करदे जिसके द्वारा यह देखना सरकार का फर्ज बन जाए कि आया ऐसे लोगों को दो टाईम रोटी मिल रही है। या नही, पहनने का कपड़ा मिल रहा है या नही, कही सर्दी में ही तो नही मर रहे। तो इस इस किस्म की बात इस कानून में जरूर होनी चाहिए क्यों कि यह कर्मो का फल होता है कि एक आदमी तो अच्दे घर में पैदा होता हे, उसे बढ़िया रोटी खाने को मिलती है और बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलता है। मगर दूसरा आदमी लंगडा लूला होता है। एक दंड तो उसे कुदरत देती है और दूसरा दंड अगर सरकार दे दे तो बहुत बुरा होगा। क्योंकिजा कुदरत के सताये हुए वरूकि है, जो पिछली गड़बड़ों के सताये हुए है उन आदमियों के अगर रोटी के साधन खत्म हो जायेगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मै सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर इस किस्म की तबदीली आनी चाहिए कि जो आदमी ढोंग करे, या ढोंग बना कर मां गकर खाये, या काम करने

के डर से मांग कर खाये उनके ऊपर अवश्य ही पाबन्दी होनी चहिए। इस प्रकार से तो जैसे हम वोट मांगने का कोई तरीका थोड़ा ही है अब बहिन जी अम्बाला से एम.एल.ए. बन कर आयी है ये वोट मांग कर ही बन कर आयी है। अगर हमने यह तरीका अपनाया तो कही की बात कही पहुंच जाएगी अऔर इससे कोई मतलब नही निकलेगा। इसलिए हमें उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिएऔर सब को सोचन चाहिए। इससे तो उल्टा असर भी पड़ सकता है ंजो लोग साधु महात्माओं को अत्र देते है , उनकों कपड़ा देते है, उनके लिए आश्रम बनाते है कही ऐना न हो कि इस कानून से वे भी बन्द कर दिय जाऐ।

संसार में सब से महतव की चीजें दो ही है। एक ध्यान और दूसरा भजन। गांधी जी की एक वाणी ने अंग्रेजो को देश से निकाला। इसलि इसमें कुछ तबदीली लाने की जरूरत है। हमारे देश की भूमि ऋषिओं की भूमि है, यह तपोभूमि हैै आज से नही पिछली सदियों से रही है। इस देश में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और वे मांग कर खाते थे। मै सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बिल को किसी कमेटीके पास भेजा जाये। वह इस पर विचार करके या जो कानून बनाने वाले हो उनकों कहें कि इसमे तबदीली लायें। कहीं ऐसा न हो कि हम इस वकत कानून बना दें अैर उन गरीबों के विषरू में किसी बात का ख्याल न करें। डिप्टी स्पीकर सहिबा, आपका पता है और आप तो बड़ी दयालु है। कि जो लोग मांग कर खाते है। उनमे ंऐसी आदमी भी होते है जिनकी बड़ी

मजबूरियां होती है। हमारे जितनी भी पुराने ग्रन्थ है चाहे वह गीता है, रामायण है, महाभारत है उनकों पढने से पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किये है है। उन्होने देश के लोगों को बड़े अच्छे अच्छे विचार दिये, देश भावना पैदा की। हमारे देश के अन्दर सब से ज्यादा धर्म को ऊंचा स्थान दिया जाता है। और सबसे अधिक धर्म का ही प्रचार हैं हमारे ऋषि मुनियों ने केवल हमारे देश को ही रास्ता नही दिखाया है बलिक दूसरे देशों के अन्दर जा कर भी धर्म का प्रचार किया और अज्ञानता से लोगों को बचाया। इसी कारण से दूसरे देशों में हमारे ऋषि–मुनियों का आदर है।

उपाध्यक्षाः बिल भी पास करना है इसलिए आप कितना समय और लेगे?

चौधरी लाल सिंहः ज्यादासमय नही लेता अभी समाप्त करता हूं। आप जब हुक्म करेगी बैठ जाऊंगा परन्तु एक बात मै और भी कहना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझ दस साल तक साधूओं के साथ रहने का अवसर मिला है। जैसा कि आपकों भी पताहोगाऔर सदन के मरे दूसरें साथियों को भी मालूम होगा कि कई लागे पहले हाई कोर्ट और सुपीम कोर्ट के जज रहे लेकिन बाद में साधू और सन्यासी बने। इस लिए इस प्रकार के जो भी साधू है उनपर किसी भी प्रकार कोई जुल्म नही होना चाहिए। ऐसा न हो कि महात्मा बनने पर ही पाबन्दी न लग जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै आपे जरिए हाउस को एक बात और बताना चाहता हूं बहुत से ऐसे लोग भी है जो भीख मांगते है। देखने में आया है कि भीख वे इसलिए मांगते है कि उनके पास मांगने के सिवाए और कोइ चारा नही हैं उनके विषय में मै सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई न कोई प्रबन्ध करे। वैसे तो मै इस बिल की सरहना करतहूं अैर स्वागत करता हूं लेकिन एक दो बातों के लिए इसमें तबदीली लाई जाये ताकि हमारे जा सही रास्ते है उनसे पीछे न हटें।

उपाध्यक्ष महोदया मै आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया और साथ ही सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि सरकार ऐसा बिल लाई लकिन साथ ही साथ एक बात और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है, जो मेहनत भी करते है लेकिन इसके बावजूद भी चार आदमियों के पास एक चारपाई और एक रिजाई होती है। इसलिए मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि उनके लिए यह कपड़े ओर खाने का प्रबन्ध करे। जो भी मैने इस बिल क लिए सुझाव सदन में पेश किए उनके विषय में सरकार विचार करके इस कानून में तबदीली लाये। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षाः हाउस से मै यह जानना चाहूंगी कि कितने आनरेबल मैम्बर इस बिल पर बोलना चाहते है और हाउस का कितना टाईम ऐक्सटेन्ड किया जाये? क्योंकि बिल भी पास करने है ओर कुछ आनरेबल मैम्बरों को बोलन के लिए टाईम भी देना हैं

केवल आधा घंटा हमारे पास है क्या आधे घण्टे के लिए हाउस को ऐक्सटेन्ट कर दें।

कुछ आवाजे: ऐक्सटेन्ट तो न किया जाए मगर बोलने के लिए अब पांच पांच मिनट ही दिए जाएं ताकि टाईम से सारा काम खत्म हो जाए।

उपाध्यक्षा: बहुत अच्छा।

चौधरी रणबीर सिह (किलोई): उपाध्यक्ष महोदया, आज हम यह बिल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए इस सदन में लाये है। इसके लिए हमारी सरकार और हमारे प्रदेश के लोग भी धन्यवाद के पात्र है। आप जानती है आसे 23साल पहले जब यह देश आजाद हुआथा उस समय हमारे लाखों भाई पाकिस्तान से बेघर हो आये थे यानि पचास लाख से ज्यादा भाई बेघर हो कर आए थे। उनका बोझा सबसे अधिक पंजाब ओर हरियाणा` लोगों पर पड़ा था। उन भाईयों में कुछ दूसरे प्रदेशों में भी गये लेकिन वे आज तक अपने पैरों पर खड़े नही हो सके है। जहां तक हमारे प्रदेश में भी गये थे लेकिन वे आज तक अपने पैरो पर खडे नही हो सके है। जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है तकरीबन सभी भाई अच्छी तरह से सैटल हो गये है। उस वक्त ऐसी हालत भी आई जब जो बहादुर और हौसल वाले भाई थे, उन्होने आजादी की खातिर वहां से अपने घरों को छोड़ा और इधर आये तथा अपने पैर जमा कर यहां आगे बढ़े। जो यहां के रहने वाले भाई थे

इन्होने भी उनका सहयोग दिया जिससे इस प्रदेश के अन्दर ऐसी हालत पैदा हुई कि कही भी भिक्षावृत्ति न रही। यह बात तो बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश के लिए ाऔर हमारी सरकार के लिए जो ऐसा बिल ला रही है।

इसके साथ ही साथ मै सरकार का ध्यान दूसरी तरफ भी दिलानाा चाहता हूं कि कानून से भिक्षावृत्ति नही रूक सकती है क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो कि कानून पास करने पर भी बन्द नही होती जब तक कि उन्के धन्ध्र को या उनक दिल को न बदला जाये। एक चीज आप देख ही रहे है कि आजकल समाज का रूझान दूसरी तरफ जा रहा है जो बिल्कुल गल्त तरीके है, जैसे कि आप बंगाल प्रदेश के अन्दर देख रहे है। जो बेरोजगार है उनकों भिक्षावृति की आदत पड़ गयी है। कुछ को तो बेबस हो कर मांगना पड़ता है,.....क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नही होता इसलिए वे भिक्षावृत्ति करते है। लेकिन अब लोगों का ध्यान उस तरफ से हट रहा है। दूसरी वृत्ति की तरफ आ रहा है। ऐसी वृत्ति इस देश के अन्दर नही होनी चाहिए क्योंकि जैसा समाजवाद हम लाना चाहते है। उस समाजवाद के अन्प्दर इसकी जगह नी है। उनका रूझाना हिसावृति का तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसा कि सदन को पता है कि बैक लूटे जाते है ओर दूसरों जो भी अदारे है जिनके पास लोगों के लिए साधन है वे भी लूट `जात `ळे दरअसल चीज तो यह है कि जहां हम यह कानून पास करने जा रहे है उसके साथ साथ जो बेरोजगारी है उसको भी

किसी तरह से खत्म किया जाये खासतौर पर जो पढ़े लिखे भाई है या जो बगैर पढ़े लिखे गरीब भर्ाी है जिनकें आजकल रेाजगार नही मिलताहै उनके लिए जब हत हम रोजगार का इन्तजाम नही करेगे तब तक चाहे कानून भी बना दे यह भिक्षावृति नही हटेगी। अगर इस प्रकार के कानून लागू भी कर तो भिक्षावृति नही हटेगी। अगर इस प्रकार के कानून लागू भी करें तो भिक्षावृत्ति के स्थान पर हिंसावृत्ति आयेगभं मेरे विचार में बीमारी को असल ईलाज तो तभी होगा जब कानून क जिरिए से भिक्षावृत्ति को खत कतो कर ही दिया जाये लकिन इसके साथ हिसाव ृत्ति की जो वृत्ति बढती जा रही है इसकों भी रोका जाये ताकि आजकल जो हत्यारे बढ़ रही है वे उस और न जायें आप जातने है आतकल चाहे गरीब हो चाहे पढ़ा लिखा हो वह अपने आपकों आधा भूख या आधा नंगा रखने को तेयार नही, क्यों वह तरीका अब समाज का खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होगा तो वे खुद अपने हाथ मे कानून लेकर उस भिक्षावृत्तिा का खत्म हाु चुका हैं अगर ऐसा होता तो वे खुद अपने हाथ में कानून ले कर उस भिक्षावृत्ति की तरफ चलेगे।

उपाध्यक्ष महोदया, बहन चन्द्रावती ने सही तौर पर है कि जब लोग दबाब देकर मांगते है तो इससे भिक्षा वृत्ति के साथ मिल जाती है। यहां कहा गया कि वह सखती नही है लेकिन मै समझता हूं कि अगर एक आदमी पिस्तौल चौरी से हाालि करता है अैर वह पिस्तौल के दम से मांगत है ते उसमें और इस तरह

सख्ती के साथ मांगन में कोइ बहुत ज्यादा फर्क नही है। तो मै कहूंगा कि इस कानून के जरिये भिक्षावृत्ति 16 आने नही छूटेगी। हिंसा वृत्ति और भिक्षा वृत्ति दोनो मिल कर समाज को और भी खराब करती है। जैसे बेबसे गरीब आदमियों को कानून के जरिये उनको उन बुरी आदतें से रोकने जा रह है तो उनके लिये पेट पालने के हम कोई साधन भी जुटाए और उन्हें रोजगार देने का कोई तरीका निकाले, उनको उनकी इच्छा के मुताबिक काम दे जो उनकेां आसान लगे। इएिल अब मुश्किल यह है कि उनको कैसे रेाजगार पर लगाये जाये? कुछ भी हो उनहे ऐसा रेाजगार दिया जाये कितससे वे थोड़ बहुत गुजारा कर सके, या ऐसा कोई तरीका हम निकले जिससे उनकी भिक्षा मांगने की वृत्ति दूर हो जाये। उपाध्यक्ष महोदया, जैसे मैन कहा है कि बावजूद इन मुश्किलात के हमारे प्रदेश के लोगों के लिए यह बडे फख्र की बात है कि हमार प्रदेश इस लायक बना है कि हम इसमें ऐसा कानून बनाये जिससे यह भिखारी न रहे।

उपाध्यक्षाः देखिए हमारे पास 25 मिनट है, आनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बोलना है। मिनिस्टर साहअ आप कितना टाईम लेगे?

श्री प्रभु सिंहः जितना आप देगे, मैडम।

उपाध्यक्षाः अगर आप थोड़ा टाईम ले तो प्रसत्री देवी जी भी 5 मिनट बोल ले। मै हाउस को यह बताना चाहती हूं कि

इस ऐक्ट पर मै भी बोलना चाहती थी। आज से 36 साल पहले पंजाब में मैने ऐंटी बैगरी बिल को पेश किया था, उस वक्त यह पास नही हो सका था। अब यह आ रहा है अब तक कि मै चेर पर हूं इसलिए इस पर बोल नही सकती।

कई आवाजेः हम इसे पास ही करेगे।

चौधरी रणबीर सिंह मैडम, मेरी स्पीच आपके नाम लिख दी जाये।

उपाध्यक्षाः मेरी यह भावना नही है। इसके लिये मै भी गवर्नमैट को दिल खोल कर बधाई दे दूं कि मेरी जो 36 साल पहले भावना थी वह आज पूरी हो रही है।

श्रीमती प्रसन्नो देवी (इन्दरी): उपाध्यक्ष महोदया, आज सरकार हाउस के सामने जो भिक्षा वृत्ति का बल ाई उसके लिए मै सराकर का बहुत धन्यवाद करती हूं क्योंकि यह इसलिए बहुत जरूरी थाी कि आम तौर से यह देखने में आता हज्ञै कि कुछ लोग गरीब बन कर बच्चें को उठाना शुरू कर देते है। वे इन बच्चों कसे दिन भर भीख मंगवते है और उनके द्वारा मांगी गई भिक्षा से वे शराब वे दूसरी चीजों के नशे करते है जो बच्चे हिन्दुस्तान के अच्छे नागरिक बन सकते है उन बच्चें से ये इस किस्म का काम करवाते है। ठग औ जब कतरे किन किन हालात में उनको ंले जाते है, इस चीज को देखते हुए इस बिल का लोने से बहुत अच्छा रास्ता खुल जायेगा क्योंकि इन्ही बच्चें नक कल का

हिन्दुस्तान को संभालना है। कई बार यह देखने में आत है कि कई औरते बच्चे ंको गोद में लिये ओती है। ओर वे भीख मांगती फिरती है। इस चीज का इन औरतों परऔर उनके बच्चों पर अच्छा असर नही पड़ता। इस बिल को लोने से उनके लिये यह एक अच्छी चीज हो जायेगी। लेकिन इसके साथ साथ ही मै आपक जरिये सरकार से प्रार्थना करनाचाहती हूं कि जो किस्म की बेसहारा औरते है जिन को कोइ काम नही मिलता और इस वजह से उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ती है हो उनके लिये सरकार कोई धन्धा चालू करें ताकि वे अपनी रोटी कम करके इस भिक्षा वृत्ति से अपने आपको दूर हटाये। कुछ लोग ऐसे होते है जो गुंगे या अन्धे है या उनके हाथ पैर नही है उनके लिये मै सरकार से प्रार्थना करती हूं कि कुछ आश्रम खोले जाए जो किसी हालत में काम न मिलने की वजह से भीख न मांगे। सरका इस चीज को भी देखे कि पंजाब और दिल्ली में भिक्षा वृत्ति बन्द करने के बाद जितने भी भिखमगे थे वे हरियाणा में इक्टठे हो गये है ंयह जो बिल सरकार लाई है यह बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है। इस के लिएये मै सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और आपका भी शुक्रिया अदा करती हूं कि आपेन मुझे बोलने का समय दिया।

श्री दया कृष्ण (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिब, आपकी बहुत मेहरबानी है कि आपेन मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मै कुछ बाते अर्ज करना चाहता हूं। यह देखते है इस किस्म का बिल सरकार को लाना पड़ा है हामरे देश के अन्दर आज दो वर्ग बन

गये है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। जो गरीब है वह बेचारा मांग करके अपना गुजारा करना चाहता है, लेकिन इस बिल के जरिये हम उनकों मांगने की ईजाजत नही देते। मै इस बात पर बिल्कुल एकमत हूं कि वे लोग जो बदमाशी या धींगा मुशती से बच्चों को उठाकर भीख मागने पर मजबूर करते है उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाये और उनके खिलाफ मुकदमें बनाये जाये। लेकिन बहुत से आदमी ऐसे है, बहुत से आदमी, बहुतसी बूढी औरते और बहुत से बच्चे जो बेरोजगार है आखिर हमारे शहरी है, उनके पास करने के लिएये काई काम नही है। उनके लिय काम का और रहन साहन का कोई प्रबन्ध केरं और उनकी हालत सुधार करे। अगर सरकार उनकी हालत को सुधर नही सकती, उनको रोजगार दे सकती, कपड़ा नही दे सकती, मकान नही दे सकती और फिर ऊपर से जो किस्म की सजा दे तो यह मेरे ख्याल से गलत बात है। भिखारी की जो इसमें दी है वह काबले तरमीम है इसकें भिखारी की डैफिनिशन लिखा हुआ है। जो आदमी घरों में जाकर चीज भी बेचेगा या पटरियों पर अपना समान बेचता है है वह भी भीख मंगियों की डैफिनिशन में आ जाता है।

प्रभु सिंहः इसमें ऐसा नही है।

उपाध्यक्षाः मिनिस्टर महोदय अपनी स्पीच में 2 बी (1) के बारें में बतायें कि इसमें सैलिग आटिकल्ज का क्या मतलब है?

श्री दयाकृष्णः मै समझता हूं कि इसके कुछ कमियां है इन कमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। जो बेसहारा लोग है उनकों कम देना चाहिये, सहूलियतें देना चाहिये और इनकी रिहायश का प्रबन्ध होना चाहिये, न कि उन के ऊपर कोई पाबन्दी लगाई जाये या मुकदमें चलाये जायें।

श्री प्रभु सिंहः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै तो सिर्फ दो–तीन मिनट ही लूंगा। सरकार की तरै से जो भिक्षा वृत्ति के खिलाफ बिल लाया गया है, इसकी आपोजीशन वालों ने भी तारीफ की हैं दो तीन चीजें इसमें बतानी जरूरी हो गयी है, जैसे हमारे भाई चौधरी लाल सिंह ने कहां कि वह जो बेरोजगार है या अपाहिज है, लूले–लंगड़े है, सरकार उनका क्या करेगी? मै यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ही इन बातों बा प्रबन्ध किया है कि जो लम्बे तगड़े काम करने लायक आदमी होगे, नको दस्तकारी बगैरा सिखने के लिए एक अलग से सैंटर खोलेगे और जो लंगडे लूले या अपाहिज है उनके लिय अलग से सेंटर बनाये जायेगे जिससे उन्हे रोटी कपड़ा मिलेगा, वे पढ़ सकेंगे और उन्हें डाक्टरी सुविधा भी मिलेगी। यह सरकार ऐसे अपाहिजों और बेकार भिखारियों के लिए 32 लाख रूपया पहले ही ऐस्टिमेंट मे रख चुकी है। कई तरफ से यह भी जिक्र हो रहा था कि जो बांस पर नट बगैरा चढा कर तमाशा दिखाते है वे भी इस ऐक्ट में आ जायेगी। इस बारें में मै कहना चाहता हूं कि मै मानता हूंकि वक एक हुनर है मगर बास पर चढ कर हुनर दिखाते दिखाते वे यह

नही सोच सकते कि किसी वक्त वे महल बना सकेगे और इस तहर से उन्के बच्चे भी तालीम हाासिल नही कर पाते। जब हम समाजवाद का नारा लगा रहे है तो इस नारे का पूरा करने के लिए हमारी सरकार 32 लाख रूपये का खर्च अपने सिर पर लिया है। जहां तक इस बिल का लागू करने का सम्बन्ध है, मै आश्वान दिलाता हूं कि गवर्नर साहब के दस्तखत होते ही फौरन एक मिनट बाद हम इसे लागू कर देगे। जो कुछ श्री दया कृष्ण जी ने कहा उसे बारमें मै कहना चाहता हू कि जो कुछ किया गया है वह सब कुछ सोच समझ कर बड़ी अम्लमन्दी से किया गया हैं यह अकसर दिखा गया है कि कुछ लोग सड़कों पर तीन तीन आने के पत्रे से लेर बैठ जाते है और लोगों की किस्मतें बताते है तथा राम को 10—10रूपये तक कमा लेते है। इसे अलावा लोग बन्दर नचाते है, रीछ नचाते है और पैसे बटोरते है। अब वे न ता बन्दर नचा कर पैसे ले सकते है और न ही रीछ वगैरा नचाकर पैसे ले सकते है। समाजबवाद क अन्दर ये लोग मेहनत करें और पैसा कमाये। जेा मजदूर है और बेरोजगार है उनकों हम दस्तकारी सिखायेगे और लोन देगे ताकि वह अपनी रोजी कमा सकें ओर एक अच्छे शहरी बन सके। मै चाहूंगा कि अब इसको पास करवा दिया जाय। धन्यवाद।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Prevention of Beggary Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) and (3) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is

That sub clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 32

Deputy Speaker: Question is-

That Clauses 2 to 32 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That sub clause (1) of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker; Question is-

That Title be the Title of the Bill,

The motion was carried.

Sh. Parbhu Singh: Madam, I beg to move-

That the Haryana Prevention of Beggary Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Prevention of Beggary Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That Haryana Prevention of Beggar Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Prevention of Beggar Bill be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House stands adjourned till 2-00 P.M. on Monday, the 15the February, 1971.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P.M. on Monday, the 15th February, 1971.)